लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 4-1-84
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

4th Lok Sabha

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)

Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

विषय—सूची / CONTENTS

अंक 19 शुक्रवार, 16 जून, 1967/26 ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 19 Friday, June 16, 1967/Jyaistha 26, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
541 नियंत्रण हटाये जाने के बाद इस्पात का मूल्य	Price of Steel after Decontrol	2389–2391
542 बन्द कपड़ा मिलों को चलाने के लिये निगम	Corporation for closed Textile Units	2391–2392
545 कपड़ा मिलों को सहायता	Assistance to Textile Units ..	2392
558 सूती कपड़ों का उत्पादन	Production of Textiles	2392–2396
543 गैर सरकारी विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Private Investment	2396–2399
544 छोटे पैमाने के क्षेत्र को प्रोत्साहन	Incentives for Small Scale Sector ..	2399–2402

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता प्र. संख्या S. Q. Nos.		
546 कोयले के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Coal	2402–2403
547 ब्रूसेल्स अन्तर्राष्ट्रीय मेला	Brusels International Fair ..	2403
548 आस्ट्रेलियाई ऊन	Australian Wool	2403–2404
549 द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	Second UN Trade and Development Conference	2404-2405
550 मशीनी औजारों के निर्माण में भारत पौलैंड के बीच सहयोग	Indo-Polish Collaboration in the Manufacture of Machine Tools	2405
551 परमिटों द्वारा प्राप्त की गयी रूई के स्टाक पर ऋण	Loans against Cotton Stocks covered by Permits ...	2405–2406

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
552	आयात तथा निर्यात	Imports and Exports ..	2406
553	कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग	Aluminium Industry at Korba	2406-2407
554	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	2407
555	आई. जे. एम. ए. का प्रतिनिधि मण्डल	I. J. M. A. Delegation	2407
556	गुजरात के कपास उत्पादक	Cotton Growers of Gujrat	2407–2408
557	अमरीका को निर्यात	Exports to USA	2408
559	पूर्वी रेलवे की जमालपुर कैंटिन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	DA to Employees of Jamalpur (ER) Canteen ...	2408–2409
560	पटसन के सामान का निर्यात	Export of Jute Goods	2409
561	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की कार	Car Owned by North East Frontier Railway	2409–2410
562	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उपकरण तथा मशीनों सम्बन्धी आवश्यकता	Requirements of Equipment and Machinery of Public Sector Steel Plants	2410
563	कथुआ के चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने के लिये जस्तावढ़ी नालीदार चादरों का नियतन	Allotment of Galvanised Corrugated Sheets for Ceramic Unit at Kathua	2410–2411
564	मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Messers Jessop & Co. Ltd.	2411
565	राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आयात–निर्यात	Imports and Exports handled by S. T.C. ...	2411
566	मुस्लिम देशों के साथ व्यापार	Trade with Islamic Countries	2412
567	कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति	Price Policy for Cotton	2412–2413
568	भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म	Quality of Indian Exports	2413

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

569	रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा जल का दूषित किया जाना	Water Pollution by Rourkela Steel Plant ..	2413
570	संसद भवन में काफी बोर्ड और चाय बोर्ड के संस्थान	Coffee Board and Tea Board Establishments in Parliament House	2414

अतारांकित प्रश्न स० U.S.Q. No.

2653	इलायची का मूल्य	Price of Cardamom ...	2414
2654	हरियाणा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Haryana	2414
2655	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	2414–2415
2656	झाझा और जमालपुर स्थिति वर्कशापों के रेलवे कर्मचारी	Railway Workers at Jhajha and Jamalpur Workshops	2415
2657	झाझा में रेलवे कर्मचारियों के लिये पानी की व्यवस्था	Water Supply to Railway Employees at Jhajha	2415–2416
2658	केरल के सूक्ष्म उपकरण बनाने वाले कारखाने (प्रीसीजन इन्स्ट्रमेंट फेक्टरी) के लिये इंजीनियर	Engineers for Precision Instrument Factory, Kerala	2416
2659	विद्युत चालित करघे	Powerlooms	2417
2660	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल	H. E. L. Bhopal	2417–2418
2661	मध्य प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences in Madhya Pradesh	2418
2662	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Hindustan Steel Ltd. Rourkela	2418–2419

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2663	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूलकेला को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Hindustan Steel Ltd. Rourkela	2419-2420
2664	असिस्टेंट डिविजनल पर्सोनल आफिसर्स	Assistant Divisional Personnel Officers ..	2420-2421
2665	रेलवे टी. टी. ई. तथा कंडेक्टर	Railway T. T. Es. and Conductors.. ..	2421-2422
2666	पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with West Germany ...	2422-2423
2667	समवायों के संतुलन पत्र	Balance Sheets of Companies	2423
2668	स्कूटरों का नियतन	Allotment of Scooters	2423-2424
2669	हीरे जवाहरात निर्यात संवर्द्धन परिषद	Gem and Jewellery Export Promotion Council	2424-2425
2670	माल डिब्बों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Wagons	2425
2671	जीन्द जंक्शन पर यात्री गाड़ी का रुकना	Stoppage of Passengers Trains on Jind Junction	2425-2426
2672	बिहार में उद्योग	Industries in Bihar ..	2426
2673	बटन उद्योग	Button Industries	2426
2674	औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences	2427
2675	धनराजमल गोबिन्दरन द्वारा रुई का आयात	Import of Cotton by Dhanrajmal Gobindran	2427
2676	इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्थानापन्न कर्मचारी तथा नैमित्तिक कर्मचारी	Substitutes and Casual Employees at Itarsi Station	2428
2677	इटारसी रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने वाले व्यक्ति तथा मेहतर	Watermen and Sweepers at Itarsi Station ..	2428 2429
2678	इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्थानापन्न कर्मचारी	Substitutes at Itarsi Railway Station	2429

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

प्रतो. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2679	क्विलांडी में मालाबार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना	Stoppage of Malabar Express at Quilandy ...	2429–2430
2680	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर नई रेलवे लाइनें बिछाना	Laying of New Railway Lines on North Eastern Frontier Railway	2430
2681	माल डिब्बों की रायचूर बम्बई बुकिंग का बन्द किया जाना	Closure of Raichur Bombay Booking of Wagons	2430–2431
2682	जयपुर और सवाई माधोपुर स्टेशनों के बीच स्टेशनों पर जल की कमी	Water Scarcity at Stations between Jaipur and Sawai Madhopur	2431
2683	खांडिया रेलवे स्टेशन	Khandia Railway Station	2431
2684	आगरा फोर्ट और गंगापुर सीटी के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियां	Passenger Trains Running between Agra Fort and Gangapur City	2431
2685	सारामपुर (मध्य रेलवे) और गंगापुर सिटी (पश्चिमी रेलवे) के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Sarampur (C. Rly.) and Gangapur City (W. Rly)	2431–2432
2686	पश्चिम रेलवे में गंगारपुर सिटी और दौसा के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Gagapur City and and Dausa (W. Rly)	2432
2687	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स	India United Mills	2432
2688	ऐस्बेस्टस बनाने वाली कम्पनियां	Asbestos Manufacturing Companies ...	2433
2689	रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा	Railway Staff College, Baroda	2433–2434
2690	त्रिची से मानामदुरे तक चलने वाली डीजल रेलगाडियां	Diesel Coaches Running form Trichy to Manamadurai	2434

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अतां. प्र. संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2691	आरंगतांगी से टोंडी तक रेलवे लाइन	Railway Line from Arrangtangi to Tondi ...	2434
2692	मद्रास राज्य में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Madras State	2434–2435
2693	ऊन के रस्से (टी)	Woolen Tows	2435
2694	उत्पादिता का लाभांश	Sharing Profits of Productivity	2435–2436
2695	तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल के मूल्य	Prices of Raw Materials Finished Products ...	2436
2696	निर्यात प्रधान उद्योग एवं वरीयता प्राप्त उद्योग	Priority Industries of Export Oriented Industries	2436–2437
2697	टोकियो में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग का अधिवेशन	ECAFE Conference in Tkeuo	2437
2698	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा गालीचों की खरीद	Purchase of Carpets by NCDC ..	2437–2438
2699	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में फंसी हुई पूंजी	Capital Blocked in N. C. D. C. Collieries ...	2438
2700	बादली औद्योगिक वस्ती	Badli Industrial Estate	2438–2439
2701	बादली औद्योगिक बस्ती में किराये की वसूली	Collection of Rent in Badli Industrial Estate	2439–2440
2702	बादली औद्योगिक बस्ती में शैड	Sheds in Badli Industrial Estate	2440–2441
2703	एम्बैसेडर कारों की किस्म में गिरावट	Deterioration in the quality of Ambassador Car	2441
2704	चरखी दादरी स्टेशन पर रेलवे फाटक	Level Crossing at Charkhi Dadri Station ...	2441–2442
2705	लघु उद्योग	Small Scale Industries ...	2442–2443
2706	भिलाई में हुआ इन्जिनियरों का सम्मेलन	Conference of Engineers held at Bhilai ..	2443

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/WRITTEN ANSWES TO QUESTIONS-Contd

2707	चम्पारन और पटना के बीच ऐक्सप्रेस गाड़ी	Express Train between Champaran and Patna	2443
2708	कानपुर में रेलवे ऊपरी पुल	Railway over bridge in Kanpur ...	2443–2444
2709	पालना कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Palana Coal Mines	2444–2445
2710	रेलवे अधिकारियों द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Railway Authorities ..	2445
2711	चश्मों के कांच का निर्माण	Manufacture of Ophathalmic Glass	2445
2712	रेलवे लाइन के साथ साथ झुग्गियों में रहने वाले लोग	Jhuggi Dwellers along Railway Line	2445–2446
2713	स्कूटरों, मोटर साइकिलों और साइकलों का निर्माण	Production of Scooters, Motor Cycles and Bicycles	2446
2714	आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences	2446–2447
2715	मेवों आयात	Import of Dry Fruits	2447
2716	तम्बाकू का निर्यात मूल्य	Export Price of Tobacca ..	2447
2717	जबलपुर–इटारसी सैक्शन पर यात्री बुकिंग	Passenger boo ing on Jabbalpur Itarsi Section	2447–2448
2718	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारी	Employees of H. E. C. Ranchi	2448
2719	यूरोपीय सांझा बाजार	E. C. M.	2448–2449
2720	काजू का निर्यात	Import of Cashewnuts	2449
2721	पूंजीगत सामान का आयात	Import of Capital Goods ..	2449
2722	ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Rural Areas	2449–2450

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2723	जामुई (पूर्वी रेलवे) पर रेलवे यात्रियों को होने वाली असुविधा	Inconvenience to Railway Passengers at Jammui (E. Rly)	2450
2724	माधोपुर गराहरा माल गाड़ी	Madhopur Garhara Goods Link	2450–2451
2725	माधोपुर गराहरा माल गाड़ी	Madhopur Garhara Goods Link ..	2451–2452
2726	रेलवे में कोयला परीक्षक	Coal Checkers on Railway	2452
2727	जमालपुर रेलवे वर्कशाप में बैटरी से चलने वाले ट्रक	Battery Trucks in Jamalpur Railway Workshop	2452–2253
2728	दानापुर डिवीजन में कोयला परीक्षकों को रात्रि को कार्य करने का भत्ता	Night Duty Allowance to Coal Checkers, Danapur Division	2453
2729	सहकारी सूत की मिलें	Cooperative Yarn Mills	2453
2730	बुरहानपुर स्टेशन पर उपरी पुल को बढाना	Extension of over bridge on Burhanpur Station	2453–2454
2731	वाराणसी ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी का नेपानगर स्टेशन पर रुकना	Stoppage of Varanasi Express at Nepanagar Station	2454
2732	पन्ना हीरों की खानें	Panna Diamond Mines	2454–2455
2733	केरल में अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Plant in Kerala	2455
2734	त्रिवेन्द्रम स्थित टाइटेनियम कारखाना	Titanium Factory at Trivandrum ..	2455–2456
2735	घड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Watch Components ..	2456
2736	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	2457
2737	कपड़े का उत्पादन	Porduction of Textiles ...	2457

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2738	लघु आविष्कार विकास बोर्ड	Small Scale Inventions Development Board..	2458
2739	पांडू और अमीनगांव के बीच नौका सेवा	Ferry Service between Pandu and Aming-... aon	2458–2459
2740	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सम्बन्धी चयन समिति	Selection Committee on N. E. F. Rly. ..	2459
2741	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का छपाई का काम	P.inting Works on N. E. F. Rly. ...	2459
2742	डोईवाला के निकट दुर्घटना	Accident near Doiwala	2460–2461
2743	उड़ीसा में माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons in Orissa	2461
2744	क्रोम अयस्क का उत्पादन	Production of Chrome Ore	2461
2745	मध्य प्रदेश में भिंड में सूती कपड़ा मिल	Textile Mill at Bhind in M. P. ..	2461–2462
2746	ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स	Gwalior Engineering Works ..	2462
2747	फिएट कारों का निर्माण	Production of Fiat Cars ..	2462
2748	भूतान में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Bhutan ..	2462–2463
2749	बल्गारिया को मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools to Bulgaria	2463
2750	इस्पात की बिक्री	Sale of Steel	2463
2751	प्रथम श्रेणी के तथा वातानुकूलित डिब्बे	Fist Class and Air conditioned ... Coaches ..	2464
2753	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति	Employment of Displaced Persons in H. E. C. Ranchi ...	2464–2465

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2754	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में स्थानीय लोगों को रोजगार देना	Employment of Local Persons in H. E. C... H. E. C. Ranchi	2465–2466
2755	रेलवे के राजपत्रित कर्मचारी	Railway Gazetted Staff	2466
2756	नर्म इस्पात का निर्यात	Export of Mild Steel	2466
2757	रानाघाट के रेलवे टिकट घर पर आक्रमण	Attack on Railway Booking Office, Ranaghat ..	2466–2467
2758	इस्लामी साझा बाजार	Islamic Common Market	2467–2468
2759	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	Khadi and Village Industries Boards	2468–2469
2760	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिया गया ऋण	Loan Advanced to Khadi and Village Industries Commission ...	2469
2761	उत्तर प्रदेश के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें	G. C. Sheets for U. P.	2470
2762	उत्तर प्रदेश के लिए स्टेनलैस स्टील	Stainless Steel for U. P.	2470
2763	चार्जमैनों और फोरमैनों का अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन	All India Joint Conference of Chargemen and Foremen.	2470–2471
2764	अरकोणम में निरन्तर इस्पात ढलाई संयंत्र	Continuous Steel Casting Plant at Arakonam ..	2471
2765	दक्षिण रेलवे में ईंजन के साथ चलने वाले कर्मचारी	Loco Running Staff on the S. Railway ..	2471
2766	रेलवे वेतन (पे) क्लर्क	Railway Pay Clerks	2472
2767	आर्थिक सत्ता का गैर-सरकारी क्षेत्र में संचित हो जाना	Concentration of Eonomic Power Private Sector	2472–2473
2768	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	2473

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2769	रूरकेला इस्पात कारखाना टाउनशिप	Ronrkela Steel Plant Township	2473-2474
2770	वस्तु बोर्ड	Commodity Boards	2474
2771	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Orissa ..	2474
2772	उड़ीसा में शक्तिचालित हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers in Orissa	2475
2773	उड़ीसा में ऊपरीनिचले पुल	OverUnder Bridges in Orissa	2475
2774	भिलाई इस्पात परियोजना	Bhilai Steel Project	2475-2476
2775	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	2476
2776	खनन क्षेत्रों के आरक्षण को समाप्त करना	De-reserving of Mining Area	2476-2477
2777	हावड़ापुरी एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना	Late running of Howrah Puri Express	2477
2778	विद्युत चालित करघों के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences to Power Looms	2478
2779	गोरखपुर और बाराबंकी के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Gorakpur and Barabanki	2478
2780	हरियाणा में होडल स्टेशन पर बिजली लगाना	Electrification of Hodel Railway Station in Haryana	2478-2479
2781	रेशमी धागे का मूल्य	Price of Silk Yarn	2479
2782	गुड़गांव जिले में रेलवे लाइन	Railway Line in Gurgaon District	2479-2480
2783	आयात तथा निर्यात विनियमों का उल्लंघन	Violation of Import and Export Regulations ..	2480
2784	व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	Trade Delegation	2480
2785	रेशम का आयात	Import of Silk	2481
2786	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Andhra Pradesh	2481

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2787	सागर रेलवे स्टेशन	Sagar Railway Station	2481–2482
2788	मैसूर में नये उद्योग	New Industries in Mysore	2482
2789	औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के बारे में जांच	Probe into Industrial Licensing ...	2482–2483
2790	केसरी हिन्दी मिल्स, बम्बई	Kaiseri Hind Mills of Bombay	2483–2484
2791	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	2484
2792	लेखा विभागीय परीक्षा	Accounts Department Examination	2484–2485
2793	भारी इंजीनियरी निगम रांची के कर्मचारियों की मांगें	Demands of the Employees of HEC Ranchi ..	2485
2794	कपास का आयात	Import of Cotton	2485–2486
2795	डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजनों का आयात	Import of Diese and Electric Locomotives ..	2486
2796	आन्ध्र प्रदेश में अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Project in Andhra Pradesh	2486–2487
2797	ट्रैफिक लेखा कार्यालयों के क्लर्क	Cierks in Traffic Account Office ..	2487
2798	डीजल के इंजन	Diesel Locomotives	2487–2488
2799	यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों के बीच झगड़े	Clashes between Passengers and Railway Officials	2488
2800	औद्योगिक संस्थानों की स्थापना	Setting up of Industrial Establishments ..	2488–2489
2802	इस्पात का मूल्य तथा उससे नियंत्रण हटाना	Decontrol and price of Steel	2489
2803	विदेशों के साथ व्यापार	Trade with Foreign Countries	2489
2804	समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का निर्यात	Export of Marine Products	2490

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2805	ट्रैक्टरों के मूल्य	Price of Tractors ..	2490–2491
2806	पश्चिमी जर्मनी को निर्यात	Exports to West Germany	2491–2492
2807	रूसी ट्रैक्टरों का विक्रय	Sale of Russian Tractors	2492
2808	रेलवे द्वारा इंजीनियरी सामान खरीदने के लिए दिये गये क्रयादेश	Orders for Engineering Goods placed by Railways ...	2492
2809	इस्पात का आयात	Import of Steel	2493
2810	रूसी सहायता से खनिज पदार्थों की खोज	Mining Prospecting with Soviet Aid	2493–2494
2811	वीरपुर से फारबिसगंज बथनाहा तथा भीनूनगर तक मीटर लाइन	M. G. line from Virpur to Farvisaganj Bathnaha and Bhinunagar ...	2494
2812	आन्ध्र प्रदेश और गोआ में भारी उद्योग	Heavy Industries in Andhra Pradesh and Goa	2494
2813	आन्ध्र प्रदेश और गोआ में नारियल की जटा का कारखाना	Coir Manufacturing Factories Andra, Pradesh and Goa	2495
2814	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ऊटकमंड	Hindustan Photo Films, Otacumund	2495
2815	सेवा निवृत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की समवायों में नियुक्ति	Appointment of Retired Comptroller and Auditor Generals in Companies — ...	2495–2497
2816	हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता	Hind Galvanizing and Engineering Co. Pvt. Ltd. Calcutta	2497
2817	बरौनी तिनसुकिया सैक्सन पर यात्रियों का परेशान किया जाना	Harassment of Passengers on Barauni Tinsukia Section	2498

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2818	आसाम मेल में लगे भोजन यान में दिया जाने वाला भोजन	Food Served in Dining Carattached to Assam Mail	2498
2819	नेशनल इस्ट्रमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	2489-2499
2820	रेलवे स्टेशनों में लाईसेंस प्राप्त कुली	Licensed Porters at Railway Stations	2499
2821	मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर अपर्याप्त सुविधायें	Inadequate Facilities at Mohiuddinagar Railway Station ...	2499-2500
2822	भिलाई में धमन भट्टियां	Blast Furnances at Bhilai ..	2500
2823	झांसी तथा इलाहाबाद के बीच एक्सप्रेस गाडी का चलाया जाना	Introduction of an Express Train between Jhansi and Allahabad ...	2500
2824	डूंगरपुर तथा दोहद के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Dungarpur and Doh–ad ...	2500-2501
2825	दोहद रेलवे स्टेशन पर निचला पुल	Over bridge at Dohad Railway Station	2501
2826	कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks	2501
2827	कमर्शियल क्लर्कों को वर्दी का दिया जाना	Supply of Uniform to Commercial Cle–rks ...	2502
2828	वाणिज्यक श्रेणी में उच्चतर वेतन क्रमों वाले पद	Higher Grade Posts in Commercial Catego–ry	2502
2829	पश्चिमी रेलवे ऊपरी पुल	Over–bridges on the Western Railway	2502-2503
2830	स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की मांगें	Demands of Station Masters, and Assi-stant Station Masters ...	2503
2831	उज्जैन में गाड़ियों का देर से आना	Late Arrival of Trains at Ujjain ...	2503

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2832	सलेमपुर स्टेशन, उत्तर रेलवे पर हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Salempur Station (N. Rly)	2503 2504
2833	स्थायी रेलपथ निरीक्षक संघ (पर्मानेंट वे इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन)	Permanent Way Inspectors' Association	2504
2834	जमालपुर टाउन सप्लाई (पूर्व रेलवे) की ओर से अभ्यावेदन	Representation from the Jamalpur Town Supply Staff (Eastern Railway)	2504–2505
2835	बड़ाजामदा से बलानी तक गाड़ी चलाना	Introduction of Train from Barajamda to Balani ...	2505
2836	गंगेश्वरी गहन क्षेत्र	Gangeshwari Intensive Area	2505
2837	आन्ध्र प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey in Andhra Pradesh	2506
2838	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	Durgapur Steel Plant	2506
2839	उद्योगों की नगरीय क्षेत्रों में स्थान	Location of Industries in Urban Areas ..	2506–2507
2840	डमडम जंक्शन और डमडम छावनी के बीच लड़ाई	Clash between Dum Dum Junction and Dum Dum Cantt	2507–2508
2841	चाय बागान	Tea Gardens	2508
2842	चाय का निर्यात	Export of Tea	2508
2843	मध्य प्रदेश तथा गुजरात को लोहे की नलीदार चादरों का आवंटन	Allotment of G. I. Sheets to M. P. and Gujarat	2509
2844	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	2509
2845	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd.	2510
2846	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd.	2510

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2847	रुरकेला उर्वरक कारखाना	Rourkela Fertiliser Plant ..	2511
2848	वाणिज्य दूतों के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण का कार्यक्रम	Training Programme in International Trade for Commercial Attache	2511–2512
2849	पास तथा सुविधा टिकिट आदेश (पी. टी. ओ)	Passes and P. T. Os. ..	2512
2852	चाय बोर्ड में महिला एसिस्टेंट	Lady Assistants in Tea Board	2512–2513
2853	केमरा फिल्मों की कमी	Shortage of Camera Film ..	2513
2854	आसाम में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Assam	2513–2514
2855	दुर्गापुर में श्रमिकों में असंतोष	Labour Unrest in Durgapur	2514
2856	चाय का निर्यात	Export of Tea	2514–2515
2857	खादी बोर्ड	Khadi Boards	2515–2516
2858	उत्तर प्रदेश में कपड़े की मिले	Textile Mills in Uttar Pradesh	2516
2859	उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Uttar Pradesh	2516
2860	सहकारी हथकरघा, मिल इटावा उत्तर प्रदेश	Cooperative Spinning Mill, Etawah, U. P, ...	2516–2517
2861	बिहार में कॉटन मिल	Cotton Mills in Bihar	2517
2862	टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य	Prices of Tyres and Tubes	2517–2518
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgeut Public Importance ...	2518
	सिक्किम की सीमा के निकट चीनी सेना का आगे बढना	Advance of Chinese army closee to the Sikkim Border	2518–2520
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	2518–2519
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Sawaran Singh	2519
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Query)	2520

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	2542
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	2543
चीनी दूतावास के कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में वक्तव्य जारी	Statement Re. Behaviour of Chinese Embassy Staff contd	2535
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	2535
खाद्यान्नों की वसूली की योजना के बारे में संकल्प	Resolution Re. Scheme for Procurement of Foodgrains ...	2545–2546
श्री भगवान दास	Shri Bhagwan Das	2545

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 16 जून, 1967/26 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Friday, June 16, 1967/Jyaistha 26, 1889 (Saka

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Price of Steel after Decontrol

+

***541. Shri S. C. Samanta :**
Shri P. Ramamurti :
Shri A. K. Gopalan :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Dhirendranath :
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Esawara Reddy :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Banerjee :
Shri George Fernandes :
Shri Mohan Swarup :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Manibhai J. Patel :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri A. B. Vajpayee :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Virendra Kumar Shah :
Shri Parathasarathy :
Shri K. Haldar :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent of rise and the reasons for increase registered in the prices of steel products as a result of decontrol of steel;

(b) the steps taken to hold the price line;

(c) whether steel production in the country has reached that stage at which there wou'd be no difficulty in steel trade in the open market as a result of decontrol; and

(d) whether a statement showing the details of the studies made and suggestions sought by his Ministry before effecting decontrol will be laid on the Table ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 685/67**]

श्री स० चं० सामन्त : 1 मई 1967 से इस्पात से हर प्रकार के नियंत्रण हटने के कारण क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जिन श्रेणियों में कम सप्लाई थी उनमें स्थाईकरण होने में तीन चार मास लगेंगे क्योंकि उनमें उत्पादन बढ़ने की आशा है और स्थिति सरल हो जायेगी ।

श्री स० चं० सामन्त : सरकार नियंत्रण हटाने को अध्ययन करने में कितना समय लगायेगी । क्या इसके लिए कोई समिति स्थापित की जायेगी ।

श्री प्र० चं० सेठी : कोई समिति स्थापित करने का विचार नहीं है परन्तु कुछ मास बाद हम परिणाम पर पहुचेंगे ।

श्री वासुदेवन नायर : वक्तव्य में कहा गया है कि नियंत्रण समाप्त करने के कारण इस्पात के मूल्य नहीं बढ़े हैं परन्तु हम देखते हैं कि इस्पात के मूल्य बढ़े हैं । इस बात को देखते हुए क्या सरकार नियंत्रण समाप्त करने के निर्णय पर पुन: विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मूल्यों के बढ़ने का विनियंत्रण से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : As a result of excise duty the rise in the price of steel was inevitable but the prices of certain items has increased much more than that of some others. I want to know to what extent the excise duty has played the part in the rise in prices ? On the one hand there is a talk of free trade but even in this there is rise in the prices. I want to know the reaction of the Minister ?

Shri P. C. Sethi : There was rise in prices due to excise duty previously too. There was a difference of Rs. 30/- due to devaluation. The rise in prices appear to be reasonable.

Shri George Fernandes : Is there any rise in prices of imported goods and if so to what extent ?

Shri P. C. Sethi : This rise in prices is in the pooducts of Hindustan Steel Limited and in the indigenous steel of private sector.

Shri Ram Kishan Gupta : It is reported that there are certain items whose production did not come upto our needs. What are those categories and what steps are being taken to increase their production ?

Shri P. C. Sethi : The categories in which there are shortage are particularly flat products, corrugated sheets and plates etc. We have given zink licence to increase production of corrugated sheets. We hope to increase production during the three months but it is not necessary that it will meet our full demand,

Shri Manibhai J. Patel : What effect the government has recorded in the internal market after decontrol of steel and how many kinds of steel are still imported from abroad and what steps the government is taking to produce them in this country ?

Shri P. C. Sethi : About availability in the market of flat products we are feeling their shortage. Regarding import we do the same in respect of tools alloy, flats and sheets and flat products.

Shri A. B. Vajpayee : Shall we take it that government is satisfied with the increase in the price of steel and they will not take steps to bring it down ?

Shri P. C. Sethi : If compared to other commodities, the increase in price by J.P.C. is satisfactory. It is expected there would be no increase in prices for at least one year now.

Shri Hukam Chand Kachwai : Can you give any guarantee about it ?

Shri P. C. Sethi : We think there will be no rise in prices for one year.

Shri Kanwar Lal Gupta : There is increase in the prices of corrugated sheets, excels, old designs. Is it a fact that there was black market of these even before devaluation. If so, what were the prices then and what are now ?

Shri P. C. Sethi : I cannot say about the price in the black market. But the price of corrugated sheet in the market was between Rs. 2000/- to Rs. 2500/-. Now the price in the open market is about Rs. 1700 to Rs. 1800/-.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : मन्त्री महोदय का कहना है कि मूल्य वृद्धि तथा विनियन्त्रण में कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु विनियंत्रण 1 मई को हुआ और मूल्यों में वृद्धि 2 मई को कर दी गई। फिर यह क्यों हुआ ? क्या सरकार के पास निर्माण सम्बन्धी उद्योगों से कोई प्रतिनिधित्व आये हैं कि मूल्य वृद्धि के कारण इंजिनियरिंग उद्योग में मन्दा आ गया है और जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है तथा जिसका आगे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (श्री चन्ना रेड्डी) : दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। 1964 की परिस्थिति में इनका परिवर्तन करना अनिवार्य था। दूसरे री-रोलर्स तथा बिलेट्स के मूल्य बढ़ा दिये हैं। इसके साथ ही विनियंत्रण पर भी प्रभाव पड़ा है। बिलेट्स के मूल्यों में वृद्धि को जे० पी० सी० से कहा है कि इस वृद्धि को जांचे। इस पर विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या 542, 545 और 558 को एक साथ ले लिया जाय।

बन्द कपड़ा मिलों को चलाने के लिये नियम

+

***542. श्री रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमा नाथ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई बन्द कपड़ा मिलों को चलाने के लिए एक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी चौथी योजना के सुझावों में बन्द हुए मिलों, जिन्हें दोबारा चालू किया जा सकता है, को लेने के लिए कपड़ा निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित निगम में पूंजी लगाने के लिए उन्होंने अंश पूंजी के रूप में 5 करोड़ रु० की लागत का सुझाव रखा ।

(ग) तथा (घ) सरकार स्वयं ऐसे कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक कपड़ा निगम स्थापित करने का सुझाव कर रही है ।

कपड़ा मिलों को सहायता

\+

***545. श्री लीलाधर कटकी :**
श्री नि० र० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मामूली लाभ तथा कमजोर आर्थिक स्थिति वाली कपड़ा मिलों को कपड़े की नियन्त्रण वाली किस्मों के मूल्यों में हाल में घोषित की गई वृद्धि के अतिरिक्त कुछ और रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) तथा (ख) : अब तक कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं :

सूती कपड़ों का उत्पादन

\+

***558. श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के बाद देश में कपड़ा उद्योग के उत्पादन में काफी कमी हुई है;

(ख) क्या इस अवधि में देश में अनेक कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं और कई अन्य मिलों के बन्द होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) से (ग) तक : सितम्बर 1966 से कपड़ा तथा धागे के उत्पादन में कुछ कमी हुई थी परन्तु जुलाई-दिसम्बर 1966 का उत्पादन जनवरी-जून 1966 के उत्पादन से अच्छा रहा। जनवरी 1967 से उत्पादन में काफी कमी हुई है परन्तु इसका मुख्य कारण कपास में कमी का होना है।

अवमूल्यन के पश्चात 15 मिल बन्द हो गये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अवमूल्यन से पूर्व 8 मिल बन्द हो गये तो मई 1967 के अन्त तक कुल मिलाकर 23 मिल बन्द रहे। उसी अवधि में 25 और मिल कुछ समय के लिये बन्द किये और ने अब खोल दिये गये हैं।

सूती कपड़ा मिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए (i) सूत के अधिक आयात का प्रबन्ध कर दिया है; (ii) मिलों का अनिवार्य रूप से बन्द रहना जो कि अप्रैल 1967 तक सप्ताह में एक दिन के लिए था अब घटा कर पन्द्रह दिन में एक दिन के लिए कर दिया है; और (iii) प्रत्यक्ष रूप में ऋणों द्वारा वित्तीय सहायता अथवा वित्तिय संस्थानों द्वारा ऋणों की गारन्टी कुछ मामलों में सूती कपड़ा मिलों को भी दे दी है। यह गारन्टी केन्द्रीय सरकार ने स्वय दी है अथवा राज्य सरकारों से मिलकर के दी है।

श्री रमानी : क्या वह कपड़ा एकक जिन्हें सरकार कपड़ा निगम के नियन्त्रण में लेगी उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जायेगा जैसा कि अन्य सरकारी क्षेत्रों में समझा जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : अभी सबर से काम लीजिये। हम सदन के सामने इस बारे में प्रस्ताव रखेंगे।

श्री रमानी : जिन कपड़ा एककों को लिया जा रहा है उन्हें मुआवज़ा देने का क्या आधार होगा ? यह बाजार का भाव दिया जायेगा अथवा लिखित भाव दिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : अभी इस बारे में यह कहना संभव नहीं है।

श्री उमा नाथ : जब यह प्रश्न पहले आया तो मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार एक निगम बना रही है और इस सम्बन्ध में सत्र के समाप्त होने से पूर्व एक विधेयक लाया जायेगा। अभी हाल ही में सरकार ने नरसिंहजी, शोलापुर तथा अकोला सत्वातरम मिल्स को सरकार ने अपने कब्जे में लिये तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कम कर दिये तथा कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी। मिलों को लिये जाने का उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन

बढ़े तथा कर्मचारियों की स्थिति सुधरे परन्तु यह उसके बिल्कुल उलट हुआ है। इसलिए क्या वह आश्वासन देंगे कि मिलों में उतनी ही संख्या तथा वही कार्य करने की स्थिति होंगी जो मिलों के बन्द होने से पूर्व थी ?

श्री दिनेश सिंह : जहाँ तक कानून बनाने का सम्बन्ध है उसका उद्देश्य यह है कि हम मिलों को कुछ परिस्थितियों में ले लें। जहां तक निगम का सम्बन्ध है किसी कानून की आवश्यकता नहीं। इस सुझाव पर यहां चर्चा होगी।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है हम ध्यान रखेंगे कि उन्हें सरकारी निगम में यह डर नहीं रहना चाहिए कि वे घाटे में रहेंगे। बाकी रहा आश्वासन, इसके बारे में हम चर्चा के समय बात करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : कपड़ा निगम के बारे में कहा है कि वह समाप्त हुए मिलों को ही लेगा। उन्हें नहीं जो समाप्त होने जा रहे हैं। क्या कपड़ा निगम डाक्टर का कार्य भी करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यह नये मिलों को भी जन्म देगा।

श्री रा० बरुआ : दो बातें दिखाई दे रही हैं। एक तो यह कि सरकार मिलों को ले रही है और दूसरी यह कि निगम का निर्माण ही रहा है। क्या सरकार कमजोर मिलों को लेगी अथवा मिलों को मुआवजा देकर अपने कब्जे में लेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अभी मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कुछ सबर से काम लें। हम इन तमाम बातों पर यहां चर्चा करेंगे। हम न केवल मिलों को लेंगे बल्कि नये भी खोलेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मंत्री महोदय ने यह जानने का भी प्रयत्न किया है कि उद्योग में यह संकट क्यों आया ? क्या सरकार के पास इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त भी इन मिलों को सुधारने का कोई सुझाव है तथा उनमें कार्य कुशलता न होने के कारणों का भी क्या आपको पता है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को उद्योग की कठिनाईयों का पता है। कपास की कमी तो एक अस्थाई बात है उनके अतिरिक्त कुछ पुराने मिल भी हैं जिनकी समय समय पर मरम्मत नहीं हुई थी तथा उन मिलों के लाभ का कुछ भाग उन मिलों में नहीं लगाया गया आदि। इन सब बातों की जांच के लिए कुछ समितियां नियुक्त की हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : इन मिलों को लेने के बाद क्या सरकार विशेष रूप के वस्त्र उत्पन्न करेगी जिनकी विदेशों में मांग हो अथवा यहां के बाजार के लिए ही कपड़ा उत्पन्न करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : वह दोनों अर्थात विदेशों के लिए तथा आन्तरिक खपत के लिए कपड़ा उत्पन्न करेंगे।

श्री स्वैल : इन मिलों के खराब तरह से कार्य करने का एक कारण यह बताया कि कपास की कमी है। क्या पश्चिमी एशिया के युद्ध के कारण कपास की स्थिति और खराब नहीं हो गई है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा आपको पता है हम केवल संयुक्त अरब गणराज्य से ही कपास खरीदते हैं। उन्होंने अब फिर समाचारपत्रों में कहा है कि स्वेज बन्दरगाह से वह हमारे साथ आयात निर्यात रखेंगे परन्तु स्वेज नहर के बन्द होने के कारण इसमें कुछ देर अवश्य होगी।

श्री बेदव्रत बरुआ : आयातित कपास राशन के हिसाब से मिलता है और इस कारण मज़बूत मिल उसे मूल्यों के कारण अधिक खरीद पाते हैं। इस लिए क्या सरकार आयातित कपास को नीलामी द्वारा बेचने का प्रस्ताव रखती है ताकि इस प्रकार आया अधिक धन कपड़ा मिलों के सुधार के काम आ सके ?

श्री दिनेश सिंह : इस सुझाव पर हम विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा कि स्वेज नहर बहुत समय तक बन्द नहीं रहेगी। यदि राष्ट्रपति नासर के वक्तव्य को पढें तो पता चलेगा कि यह बहुत दिन बन्द रहेगी। फिर मंत्री महोदय का इतना आशावादी होना किस आधार पर है ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या राष्ट्रपति से श्री दिनेश सिंह के पास कोई गुप्त संदेश आया है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि आया भी हो उसे आपको बताना कठिन होगा। मैं ने स्वेज नहर के बारे में यह कहा था कि यदि यह थोड़े दिन बन्द भी रहे तो अधिक कठिनाई नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister indicated three remedies for increasing production viz. import of cotton, there will be one day off in a fortnight instead of in a week and giving of financial assistance to mills. While speaking on the bill on a previous occasion I suggested to increase the count in the cloth and thus increase the production. My second suggestion was to seize the stocks of spare cotton in certain big mills such as Birla mills and distribute the same to other mills. Have government done something in this regard ?

Shri Dinesh Singh : About the first suggestion of the hon. member I had talk with the people and they told me it could not be good to have thick rayon as we have different varieties of cotton for different purposes.

Regarding the storing of cotton, the mills can have cotton stock for $2\frac{1}{2}$ months and apart from that they can have some cotton or system of fixed date delivery. We reach the mills whenever we come to know that they have additional stocks of cotton and I have given instructions regarding it to the Textile Commissioner. I have now been told that they buy in the name of others and we are investigating the same.

श्री दामानी : क्या कमजोर एककों का सर्वेक्षण किया है तथा उन्हें उनके नवीनकरण करने के लिये वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : लगभग 600 कपड़ा मिलों में से 250 मिल तो स्वतन्त्रता के पश्चात स्थापित किये गये हैं और वह पुराने मिलों से अच्छे चल रहे हैं। उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Out of 600 mills, in the country, the condition of 500 mills is bad. Has Government a suggestion to give financial assistance to the mill owners and industrialists or has government a talk with them about this ?

Shri Dinesh Singh : Yes Sir, I had a talk with them. I will again go to Bombay. We want that the mills should work in a profitable manner as ,it is in the interest of the country. But it is not our policy to call any particular mill owner and suggest him anything about his mill.

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी विनियोजन

\+

***543. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दामानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी विदेशी पूंजी विनियोजन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण स्पष्ट करने के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है, ताकि विदेशी पूंजी विनियोजकों में पूंजी लगाने में इस समय जो अनिश्चिततायें विद्यमान हैं, उनको दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीतियों का बताना तथा एक व्यापक नीति के बारे में वक्तव्य देना भी आवश्यक है। इसके बारे में ब्यौरे पर विचार हो रहा है।

Shri Ram Kishan Gupta : What are the names of the countries from whom proposals for foreign collaboration have come ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : I cannot give all those names now. But we often receive such collaboration and I can give those names later on.

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether there have been some changes in the industrial policy and if so what are they ? Have some foreigners asked for some facilities to invest capital here and if so what action you have taken on that ?

Shri F. A. Ahmed : We have followed the industrial resolution of 1949. We have given facilities in respect of those things for which we lack in technical know-how and foreign exchange. But we have explained to them that we will have majority shares in them and the foreigners will have minority shares. But there are certain items in which they cannot be partners here such as insurance, banking and trading corporation etc. The foreigners

have complained that they do not know how they can invest here and to whom approach in the matter. We are examining all these things and I will put these things before Parliament.

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not answered about the facilities which foreigners want from us.

Shri F. A. Ahmed ; Their one complaint is that it takes long time in disposal of their requests for investment etc.

Shri R. S. Vidyarthi : Is it a fact that persons who are in monopoly of certain trades do not want foreign investors to invest here. If so will government take action that investment by foreigners should be made here in respect of those things which are not scarce here for internal consumption ?

Shri F. A. Ahmed : We ask for foreign collaboration only for those things where we lack technical know-how etc. It is good that our own people are making investment here.

श्री दामानी : किन विशेष उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी। क्या यह ध्यान रखा जायेगा कि जो मशीन हम यहाँ बनाते हैं उसका निर्यात नहीं होगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : एक ऐसी सूची है जिसमें उन उद्योगों के नाम हैं जिनके विदेशी सहयोग पर प्रतिबन्ध है। यदि आप चाहें तो सभा पटल पर रख सकता हूँ। साथ ही बैंकिंग, बीमा आदि चीजों में भी हम विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देते। एक शर्त यह है कि उनके हिस्से अल्प मात्रा में होने चाहिए। हम अधिकांश मात्रा में हिस्सेदारी केवल उन परियोजनाओं में देते हैं जहां तकनीकी रूप से हम पीछे हैं तथा उस कार्य में इतनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जिसका अधिकांश हमें ही प्राप्त करना होगा। अन्यथा यदि हमारे लाभ में है तो हम विदेशी पूंजी के लगाने की अनुमति देते हैं तथा जो उद्योग देश के हक में हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : 2 मार्च, 1965 को स्व० प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिन उद्योगों में हम आधे से ज्यादा अंश विदेशी सहयोग का प्राप्त करते हैं वहां भी हमारा प्रयास यह होगा कि अन्तोगत्वा वहाँ उनका आधे से कम अंश रह जाये। इस बारे में 1965 के पश्चात से क्या प्रगति हुई है तथा क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी कि विदेशियों के आधे से अधिक अंश बिल्कुल समाप्त हो जायें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम उसी दिशा में सोच रहे हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : रिज़र्व बैंक के बैलेटिनों के अनुसार 1962 में 735 करोड़ रु० की गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगी हुई थी जो कि कुल पूंजी का लगभग आधा भाग है। देश के कुल गैर-सरकारी विनियोजन में कितने प्रतिशत गैर-सरकारी विदेशी पूंजी होनी चाहिये इस सम्बन्ध सरकार की क्या नीति है ? अधिकतम क्या है जिसकी अनुमति दी जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे दिमाग में उन उद्योगों का विकास है जो हमारे देश के लिये आवश्यक हैं और जहां पर तकनीकी या वैज्ञानिक जानकारी

उपलब्ध नहीं है। इनके अधीन रहते हुए हमारा प्रयत्न हमारे देश में विदेशी विनियोजन को यथा संभव कम करने का है।

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Minister stated that it is being considered as to what policy should be adopted with regard to foreign investors. Today the situation is that the foreign policy, of the country to which the private investor belongs, generally runs counter to our foreign policy and in such a case even if the indegenous investment be less than 50 percent, the Government of India can take over that undertaking or appropriate the amount should it so desire. May I know whether demand is being put forward by the foreign investors to the effect that even in the event of their countrys' foreign policy running counter to that of our country, the Government of India will be precluded from resorting to appropriation for a period of 10-15 years ?

Shri F. A. Ahmed : I have already stated that our primary objective is the development of our country. Keeping this in view we want the rapid development of those industries which are subservient to this end. The Government is providing facilities for the foreign investment in industries needing technical know-how and foreign investment. But when we are able to stand on our own legs we should dispense with the foreign assistance.

Shri Manibhai J. Patel : To what extent and in what industries the Government have allowed foreign investment ? For what time the facilities are allowed to the foreign investors ?

Shri F. A. Ahmed : I cannot off hand tell the names of the industries. If the hon. Member wants I can give this information later on.

श्री ज्योतिर्मय बसु : भूतपूर्व वाणिज्य तथा वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 1950 में घोषणा की थी कि केवल तकनीकी जानकारी के लिये ही विदेशी पूंजी प्राप्त की जायेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति का हम कहां तक पालन नहीं कर पाये हैं और भविष्य के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ चुका है। प्रश्न दोहराये जा रहे हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जिस नीति का हम अनुसरण करते रहे हैं मैंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री क० नारायण राव : माननीय मंत्री ने बताया है कि नीति के अन्दर दो बातो का ख्याल रखा गया है, तकनीकी जानकारी और विदेशी मुद्रा। जहां तक विदेशी मुद्रा की समस्या का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि यदि एक बार विदेशी पूंजी को विदेशी मुद्रा के आधार पर आने की अनुमति दे दी जाये, तो उसके मुनाफे को भी लगाना पड़ता है। यदि ऐसा है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम आज की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को भविष्य पर टाल रहे हैं ? क्या सरकार ने ऐसे उपाय किये हैं जिनके द्वारा अर्जित लाभ को भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये उपयोग में लिया जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक विदेशी मुद्रा के प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को ध्यान में रखना चाहिये कि हम केवल उन पूंजीगत उपकरणों के लिये ही विदेशी

मुद्रा की अनुमति देते हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और जिनकी हमें विकास के लिये तुरन्त आवश्यकता होती है। और जब भी ये करार किये जाते हैं हम देश के हितों का ख्याल रखते हैं ताकि जो मुनाफा है वह जहां तक संभव है देश से बाहर न जाये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या सरकार विनियोजन के वातावरण को संतोषजनक समझती है ? इस देश में पूंजी पर जो लाभ होता है वह अन्य देशों के मुकाबिले कैसा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह एक अपनी अपनी राय का प्रश्न है।

श्री उमा नाथ : उन्होंने कई बार कहा है कि इस देश में सब से अधिक लाभ होता है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कि विनियोजक को सोचना है न कि मुझे।

श्री उमानाथ : क्या आपने इस पर विचार नहीं किया है ?

श्री प० गोपालन : समाचार पत्रों में ऐसा आया है कि भारत में ब्रिटिश और अमरीकी पूंजी के विनियोजन पर जो लाभ होता है वह अन्य देशों में होने वाले लाभ की अपेक्षा सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सम्पत्ति के इस बहाव को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने इन सब प्रस्तावों की जांच की थी और हमने देखा कि करार हमारे पक्ष में हैं, केवल तब ही उनको स्वीकार किया गया था। हम नहीं जानते कि वे अन्य देशों में कितना मुनाफा अर्जित करते हैं और शायद अन्य देशों में भारत की अपेक्षा कम या अधिक मुनाफा अर्जित किया जाता है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—544।

छोटे पैमाने के क्षेत्र को प्रोत्साहन

+

***544. श्री शारदानन्द :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा सुविधायें देने का है जिससे वह उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोक सके तथा विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता कर सके;

(ख) क्या सरकार ने 50–60 मदों को केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र में बनाये जाने के लिए अलग कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा देश में छोटे पैमाने के उन एककों की संख्या क्या है जो इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को पहले से ही राज सहायता और सुविधा दे रही है। इस सहायता और सुविधाओं में यथा सम्भव वृद्धि की जायेगी। सरकार ने पिछले वर्ष कच्चे माल के आयात में रियायतें दी हैं और इस सम्बन्ध में लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष सुविधाएं दी गई थीं। आशा है इनसे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी और निर्यात में भी सहायता मिलेगी।

(ख) लघु उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये सरकार ने 47 उद्योगों की एक सूची की घोषणा की है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 686/67]**

Shri Sharda Nand : The hon. Minister stated that he has fixed the period of licenses from April, 1967 to 31st March, 1968. Do the Government proposed to extend this period.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : This policy is declared for every year. We shall consider it in the beginning of the next year.

Shri Sharda Nand : Do Government propose to give some relief to these small scale industries in regard to excise duty, sales tax etc. ?

Shri F. A. Ahmed : It is a bit tedious question. Every thing will be considered and the Finance Minister will see on what items tax relief can be given.

Shri Bharat Singh Chauhan : What type of small scale industries will be included in the Private Sector and in what proportion ? The people are very sceptical about the policy of the Government in regard to the giving of incentives to small scale industries which explains to a great extent the shyness of the enormous capital in small scale industries. Have Government applied its mind to work out a suitable policy which would dispel the fears of the people and enable them to invest their funds in small scale industries ?

Shri F. A. Ahmed : As regards small industries, 47 items have been specifically reserved for manufacture by these industries and if need be we shall consider to add more

items to the list. So far as the question of giving other facilities, viz. the giving of credit, incentive or technical advice, is concerned, these have been extended to an appreciable extent and they have been relieved of some of the difficulties experienced by them in procuring raw material and components from abroad. I am of the conviction that the small scale industries can make a good headway and they are capable of performing a predominant role in the private industries.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या लाइसेंस की अवधि को घटा कर जो एक वर्ष किया गया है वह केवल प्रयोगात्मक आधार पर ही किया गया है ? क्या इन आवेदन पत्रों के रद्द किये जाने के कारण निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तो नहीं होगी क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की कमी होगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लाइसेंस के बारे में नीति यह है कि वे वर्षानुवर्ष वित्तीय वर्ष जारी किये जाते हैं। गत वर्ष भी हमने जुलाई के महीने से लगभग यही नीति अपनाई थी। इस वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् हमने अगले वर्ष के लिये अपनी नीति की घोषणा कर दी है और यह महसूस करने का कोई कारण नहीं है कि इस नीति में परिवर्तन किया जायेगा जबकि लघु उद्योगों को इससे वास्तव में सहायता पहुँच रही है।

जहां तक प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध है, हम बाधक सिद्ध नहीं हुए हैं और हम उनमें खुली प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हैं जिससे उपभोक्ता मूल्य निश्चय ही गिरेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the facilities provided by the Government to the small scale sector in the form of foreign exchange, technical-know-how and credit and whether the small scale sector put forth some of their demands before the Minister and if so the action taken thereon ?

Shri F. A. Ahmed : So far as the question of foreign exchange is concerned, we have increased its supply from Rs. 6 crores to Rupees 8 crores especially in those areas where the industries are in a preponderating number. We have deputed technicians there who inspect the industries, ascertain their requirements and render needful advice. On the basis of what I personally saw at two or three places I feel that there is enough scope for increasing the tachnical assistance and we are considering as to how to meet this deficiency so that latest technical know-how can be made available to them.

Shri Kanwar Lal Gupta : The second part of my question was whether a representation has been received from them and if so what are their demands.

Shri F. A. Ahmed : The representation includes many things. Their main grievance is that it is very cumbersome to obtain money from the banks unlike the other industries. They, of course, get money form the State Bank, but the other scheduled banks charge usurious rates and even here they heve to face certain difficulties which are under consideration.

Shri Ramavtar Sharma : What incentives have been given so far and what they propose to give in the future ? Is any industry in Gwalior receiving the incentives ?

Shri F. A. Ahmed : I said that previously the industries were facing great difficulty in importi g raw material. Now we have devised a policy under which the 59 priority industries are being licenced to import thrice as much as they imported in 1964-65 and

those, who have come into being after that year, are being licenced for still more quantities. They are being given some technical assistance. They get aid from the State Government and also the Finance Corporation. We are making efforts to see that they are able to get credits from the State Bank and the Scheduled banks and also electricity at rather cheaper rates. Such facilities have been provided to them in several areas. So far as Gwalior is concerned there must necessarily be some indnstries there, but I do not have the details and therefore I cannot tell what assistance has been given there.

Shri Jagan Nath Rao Joshi : May I know whether Government have decided to reimpose the excise duty on paints and varnishes from the 15th of May ?

Shri F. A. Ahmed : This question should be addressed to the Finance Minister.

श्री रा० बरुआ : लघु उद्योग की परिभाषा क्या है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : परिभाषा के अन्तर्गत 7½ लाख रु० की सीमा रखी गई है।

Shri Abdul Ghani Dar : The hon. Minister stated that they are encouraging the small scale industries. May I know whether it is a fact that we are permitting the import of labels worth lakhs of rupees to cut the throat of the small scale industries ? The Planning Minister stated that they are permitting the import of heavy machinery to the extent of 1500 crores of rupees. Will it not squeese the market of the small scale industries ? Why does the Government allow the import of labels ?

Shri F. A. Ahmed : It is a different question. As I said we have reserved 47 commodities exclusively for the small scale industries. The import of light or heavy machinery has nothing to do with the small scale industries. If need be we can further enlarge the number of the reserved items. We are prepared to extend our fullest assistance. So far as the question of import of labels is concerned I am not aware of any labels being imported and used in this country.

श्री कंडप्पन : लघु उद्योगों के सामने एक बड़ी कठिनाई यह है कि उनको कमी के समय में कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता और दूसरे मण्डी में उतार चढ़ाव के कारण उन्हें अधिक मूल्य देना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार कच्चे माल का एक रक्षित पूल बनाने पर विचार कर रही थी। क्या सरकार ने इस मामले में अनुसरण किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम लघु उद्योगों के लिये कम से कम कीमत पर कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये कई एक कदम उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fall in Production of Coal

*** 546. Shri Sideshwar Prasad** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a constant fall in the production of coal ;

(b) if so, the position in regard to the production of coal during the last five years ; and

(c) the factors that caused such situation and the steps being taken to improve the position ?

The Minister of State in the Minis'ry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) No, Sir, except in the year 1964-65 the production of coal has been constantly increasing.

(b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

Production of coal During the Last Five Years

Year	Production (million tonnes)
1962-63	63.45
1963-64	65.13
1964-65	62.78
1965-66	67.73
1966-67	68.43 (Provisional)

(c) Dose not arise.

ब्रूसेल्स अन्तर्राष्ट्रीय मेला

* 547. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में ब्रूसेल्स अन्तर्राष्ट्रीय मेले में चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये ब्रूसेल्स में भारतीय चाय बोर्ड के कर्मचारियों की सेवायें रिजवेज नामक एक ब्रिटिश फर्म को प्रदान की गई थीं ;

(ख) भारत सरकार के इन कर्मचारियों की सेवाएं किन शर्तों पर एक गैर-सरकारी फर्म को दी गई थी ; और

(ग) क्या ब्रिटिश फर्म द्वारा बेची जाने वाली चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं अर्पित करना, भारतीय चाय निर्यात व्यापार के हित में है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) ब्रुसेल्स में चाय बोर्ड कार्यालय से एक कर्मचारी 1967 के ब्रुसेल्स अन्तर्राष्ट्रीय मेले में 'रिजवेज' द्वारा तैयार की गई एक विशेष भारतीय चाय, जिसमें 100 प्रतिशत दार्जीलिंग की चाय थी, के प्रचार में सहायता करने के लिये भेजा गया था। जहां भी सम्भव होता है चाय बोर्ड द्वारा भारतीय चाय के प्रसिद्ध पेकरों को सहायता दी जाती है।

आस्ट्रेलियाई ऊन

* 548. **श्री रा० क० बिड़ला :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमें कितनी तथा कितने मूल्य की आस्ट्रेलियाई ऊन उपहार स्वरूप मिलेगी और इसमें से कितनी अब तक इस देश में आ चुकी है ;

(ख) उद्योग द्वारा अब तक कितनी तथा कितने मूल्य की ऊन ले ली गई है ;

(ग) यदि यह ऊन अभी तक नहीं ली गई है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) शेष ऊन भारत में कब तक आ जायेगी और उसकी मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया की सरकार तीन वर्ष की अवधि में 40 लाख पौंड ऊन जिसका मूल्य की 3.32 करोड़ रु० है देने को सहमत हो गई है। ऊन का रु० में मूल्य एक विशेष निधि में जमा कराया जायेगा ताकि भारतीय ऊन उद्योग के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विकास हो सके। 9.17 लाख पौंड ऊन जिसका मूल्य 49.35 लाख रु० है पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा और 4 लाख पौंड ऊन जिसका मूल्य 23 लाख रु० है, आने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग) वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उद्योग के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है, जिसे "वास्तविक उपयोग" करने वाले तथा अन्य लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात किया गया है क्योंकि उन्होंने आस्ट्रेलियाई ऊन नहीं ली है। उद्योग प्रक्रिया में कुछ परिवर्तनों के लिये मांग कर रही है जिसका सम्बन्ध कच्ची ऊन का भंडार (रा० वूल पूल) आस्ट्रेलिया से राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊन के आयात से है। भंडारों को उठाने के लिए उद्योग से बातचीत प्रारंभ कर दी हैं।

(घ) सारी मात्रा 1966-67 से तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर सप्लाई करनी है तथा जहाजों द्वारा माल सितम्बर 1969 तक समय समय पर आता रहेगा।

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

* 549. **श्री ना० स्व० शर्मा** : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री बृज भूषण लाल : **श्री शारदा नन्द** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन के लिए अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ग) क्या सम्मेलन के लिए सरकार, भारतीय संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा कोई लेख आदि तैयार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिय मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संस्था की ओर से (i) सम्मेलन में भाग लेने वालों को स्थान देने के बारे में, (ii) विज्ञान भवन में सम्मेलन के लिए सुविधायें, तथा (iii) उन्हें यातायात की सुविधायें देना तथा (iv) सूचना और प्रचार आदि के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

(ग) तथा (घ) विशेषज्ञों की कई तालिका, जिनमें अर्थशास्त्री तथा भारत सरकार के अन्य व्यक्ति और विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के व्यक्ति हैं, बनाई गई है ताकि भारत तथा अन्य विकासशील देशों से सम्बन्धित सब विषयों पर दस्तावेज तैयार कर सके। इसे तैयार करने का आधार सम्मेलन के लिये अस्थाई कार्यसूची होगा। इन तालिकों पर कार्य हो रहा है।

मशीनी औजारों के निर्माण में भारत-पोलैंड के बीच सहयोग

*** 550. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड का वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडल, जो हाल में भारत आया था, उसके नेता ने मशीनी औजार तथा मशीनों के निर्माण के क्षेत्र में भारत और पोलैंड के बीच और आगे सहयोग की बहुत अधिक सम्भावना बताई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिनिधि मंडल के नेता के साथ किसी परियोजना के बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) विज्ञान, तकनीलोजी और उद्योग के क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये पोलैंड के वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च-अप्रैल 1967 में भारत का दौरा किया था। पोलैंड के प्रतिनिधि मण्डल और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद के बीच हुई बातचीत में मशीनी औजार और मशीनों के क्षेत्र में सहयोग का विषय नहीं आया था।

शायद जनवरी-फरवरी के दौरान जिस पोलैंड के मशीनी औजार प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के दौरा किया था उसकी ओर संकेत है। प्रतिनिधि मण्डल ने देश के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी मशीनी औजार कारखानों का दौरा किया। प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। पोलैंड के सहयोग से मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने पर बातचीत नहीं हुई थी। यद्यपि नये मशीनी औजार कारखाने की बहुत कम गुन्जाइश है, फिर भी, केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, बंगलौर का पोलैंड के सहयोग से विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

परमिटों द्वारा प्राप्त की गयी रुई के स्टाक पर ऋण

*** 551. श्री वि० कु० मोदक** :
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रुई के केवल उन स्टाकों पर, जो कपड़ा आयुक्त द्वारा जारी किये गये परमिटों से खरीदी गयी हो, ऋण देने को हिदायत जारी की है ;

(ख) इन परमिटों के अन्तर्गत कुल कितना स्टाक आता है ;

(ग) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि मिलों के पास अप्रैल में लगभग 10 लाख ऐसी गांठें थी जो इन परमिटों के अन्तर्गत नहीं आती थीं ; और

(घ) यदि हां, तो इन मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1-9-66 से 28-5-67 के बीच लगभग 30 लाख गांठों के रहन के लिये पर्मिट जारी किये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयात तथा निर्यात

*552. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके द्वारा आयात को निर्यात के साथ सम्बद्ध किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।
(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग

*553. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्रीमती आमदास गुरु मिनीमाता :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हंगरी और रूस के सहयोग से कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग आरम्भ करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का व्यौरा क्या है ;

(ख) यह प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा गया था ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में इस योजना को अन्तिम रूप देने तथा उसे क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में मंजूरी की तिथि से दो वर्षों के अन्दर ही इस उद्योग को आरम्भ करना अथवा इसका विस्तार करना सम्भव था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल. टी. संख्या 687 67**]

State Trading Corporation

* **554. Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation is indulging in profiteering ;

(b) the items on which the Corporation charge 50 percent or more profits ; and

(c) whether Government propose to impose any restrictions on the profit of the Corporation ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) In a few highly speculative items, S. T. C. has been asked to handle the trade. This has been done to prevent middlemen making too much profit. **Examples are cloves and betelnuts.**

(c) No, Sir.

आई० जे० एम० ए० का प्रतिनिधि मण्डल

* **555. डा० रानेन सेन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० जे० एम० ए० प्रतिनिधिमण्डल ने जो हाल में उनसे मिला था बोरों में निर्यात-शुल्क समाप्त करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पहले यह निर्णय किया गया था कि निर्यात-शुल्क घटाया जाये । 26 मई 1967 से बोरों पर से निर्यात-शुल्क (कपड़े के बोरे इसमें शामिल नहीं हैं) 600 रु० प्रति टन से घटा कर 450 रु० प्रति टन कर दिया है । 11-2-1967 से कपड़े के थैलों पर का शुल्क 600 रु० प्रति टन से घटा कर 200 रु० प्रति टन कर दिया है ।

गुजरात के कपास उत्पादक

* **556. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कपास उत्पादकों/उनके संगठनों/सहकारी समितियों ने कपड़ा आयुक्त को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि उनके पास कपास के जो स्टाक हैं, वे उनके नहीं बल्कि कुछ बड़े मिल मालिकों तथा अन्य लोगों के हैं ;

(ख) क्या उन्होंने कपास के स्टाक के मालिकों की सूची भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो इस स्टाक के वास्तविक मालिकों के नाम क्या हैं ; और

(घ) नये अधिकतम मूल्यों पर इस कपास का अर्जन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गुजरात के कपास उत्पादकों/उनके संगठनों/सहकारी समितियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके पास कपास के भंडार हैं जिनकी उन्हें मिलों को बेचने की अनुमति हो जाये। यह बात मान ली गई है कि उन्हें अनुमति की सीमा तक कपास बेचने की अनुमति है। ऋण सुविधाओं सम्बन्धी एक अन्य अभ्यावेदन के सम्बन्ध में कपड़ा आयुक्त ने भंडार की स्थिति तथा उन मिलों के नाम पूछे हैं जिनके नाम पर कच्ची कपास रखी हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जितना व्यावहारिक है उतनी कपास मांगी है। अक्तूबर 1966 से मई 1967 तक 88 650 गांठ मांगी है।

अमरीका को निर्यात

*** 557. श्री दामानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की व्यापार सम्बन्धी नीति में जो स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह भारतीय निर्माताओं के पक्ष में है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) अमरीकी राज्यों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति की यह घोषणा, कि अमरीका अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के साथ, सभी विकसित देशों के लिये अस्थायी अधिमानित प्रशुल्क लाभों की सम्भावना का पता लगाने के लिये तैयार है, अधिमानों के प्रश्न पर एक नई और अच्छी नीति है। अमरीका की किसी योजना की अग्रेतर जानकारी हमारे पास नहीं है।

पूर्वी रेलवे की जमालपुर कैंटीन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*** 559. श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग की पूर्व रेलवे की जमालपुर कैंटीन के कर्मचारियों को बिल्कुल मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है अथवा उस दर से नहीं दिया जाता है जिस दर से अन्य रेलवे कर्मचारियों को मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो जमालपुर कैंटीन के कर्मचारियों तथा अन्य सामान्य रेलवे कर्मचारियों के बीच इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कैंटीन के कर्मचारियों को नैमित्तिक श्रमिक मानने के क्या कारण हैं जबकि वस्तुतः उन्हें उस विभाग में नियुक्त किया गया है जो भारतीय रेलवे का एक स्थायी विभाग होने वाला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह कैंटीन विभागीय व्यवस्था के अधीन नहीं चलायी जा रही है, अतः रेल कर्मचारियों के लिए लागू दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान का सवाल नहीं उठता ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटसन के सामान का निर्यात

*** 560. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को पटसन के सामान के हमारे निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) इस समय विभिन्न देशों को पटसन का कितना सामान निर्यात किया जाता है ; और

(ग) पटसन के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 688/67]**

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की कार

*** 561. श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की एक कीमती कार जनरल मैनेजर के प्रयोग के लिये रख दी गई है जिसके लिये उन्हें नाममात्र का भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रतिमास कितना व्यय होता है ;

(ग) क्या उन्हें गैर-सरकारी कार्यों के लिये भी इस कार का प्रयोग करने की अनुमति है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिये उनसे कुछ राशि वसूल की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) केवल महाप्रबन्धक के सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए 1963 माडल की एक शेवरले कार नियत की गयी है । निजी कामों के लिए कार का उपयोग करने पर उनसे निर्धारित दर पर वसूली की जाती है ।

(ख) कार पर औसत मासिक खर्च 780 रुपये है ।

(ग) कार का उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ।

(घ) गैर-सरकारी यात्राओं में कार के उपयोग पर जो खर्च आता है, उसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक से प्रतिमास अंशदान के रूप में 150 रुपये लिये जाते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उपकरण तथा मशीनों सम्बन्धी आवश्यकता

*** 562. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री दामानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व उद्योग मन्त्री ने इन्जीनियरी उद्योग को 20 नवम्बर, 1966 को आश्वासन दिया था कि सरकार की ओर से मशीन और उपकरण खरीदते समय सरकारी क्षेत्र के निर्माण कारखानों को कोई विशेष रियायत नहीं दी जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने इस आश्वासन के प्रतिकूल सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को हिदायत दी है कि वे बिना खुले टैंडर मांगें अपनी आवश्यकता के लिए उपकरण और मशीनें माइनिंग एण्ड एलाइंड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर से मंगाएं ; और

(ग) क्या उपर्युक्त आदेश को वापिस लेने का प्रस्ताव है क्योंकि यह भेदभाव है तथा जनहित के विरूद्ध है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं ।

(ख) तथा (ग) कोयला उत्पादन के लक्ष्य में कमी किये जाने तथा वर्तमान खानों में मशीनों के मशीन लगाने में धीमी गति, जैसी कि पहले आशा थी, के कारण कोयला खनन मशीनों की मांग बहुत कम हो गई और एलाईड मशीनरी कारपोरेशन की जो मुख्यत: इन मशीनों का निर्माण करने के लिए ही बनाई गई थी पर्याप्त क्रयादेश न मिलने के कारण काफी क्षमता बेकार पड़ी रही । कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए विभिन्न अन्य उपायों के अतिरिक्त यह वांछनीय समझा गया कि अन्य सरकारी उपक्रमों को ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कि यह निगम स्वयं पूरी कर सकता है बिना खुला टैंडर मंगाये इस निगम से प्राप्त करने का निदेश दिया जाये । अत: सरकारी उपक्रमों/स्वायत्त शासी निकायों से सम्बन्धित मंत्रालयों को इस मामले में उचित हिदायतें जारी करने के लिए कहा गया । यह व्यवस्था केवल दो वर्ष तक ही लागू रहेगी । इस निदेश को वापिस लेने का विचार नहीं है क्योंकि इस कारखाने में लगी हुई भारी पूंजी बेकार पड़ी रह सकती है ।

कथुआ के चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने के लिये जस्ताचढ़ी नालीदार चादरों का नियतन

*** 563. श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू के निकट कथुआ के चीनी मिट्टी के कारखाने के लिये जम्मू और काश्मीर सरकार को दी गई जस्ताचढ़ी नालीदार चादरों के कथित दुरुपयोग के बारे में काश्मीर सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो अमीनचन्द प्यारेलाल नामक फर्म ने कितनी जस्ताचढ़ी नालीदार चादरें चोरबाजार में बेचीं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसर कुल 106 टन 8 क्विटल और 40 किलोग्राम नालीदार जस्ती चादरें अलाट की गई थीं । इनमें से केवल 29.2 टन का हिसाब दिखाया गया है । इसके अलावा कुछ माल (ब्यौरा नहीं दिया गया है) स्थल पर पड़ा हुआ है । फर्म ने दिये गये तथा इस्तेमाल किये गये माल में अन्तर के कारण नहीं बताये हैं, अतः मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ।

मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड

* 564. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के सरकारी प्रबन्ध की अवधि 15 मई, 1967 से एक वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या यह निर्णय करने से पहले इस कम्पनी का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर नये सिरे से विचार किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 15-5-67 से मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध पर नियन्त्रण एक वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

Imports and Exports Handled by S. T. C.

* **565. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) percentage of the total import-export trade handled by the State Trad ng Corporation during the last three years ;

(b) whether it is a fact that the State Trading Corporation has trade relations with only these countries with which Government have got trade relations ; and

(c) the profit earned by the Corporation during the last three years and its ratio to the capital invested ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L T-689/67]**

मुस्लिम देशों के साथ व्यापार

* 566. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान यूरोप, एशिया और दक्षिण अमरीका के देशों को अपने प्रतिनिधि मण्डल भेज रहा है ताकि उन देशों के साथ भारतीय व्यापार समाप्त हो जायें।

(ख) क्या यह भी सच है कि ये प्रतिनिधि मण्डल कुछ मुस्लिम देशों में भारतीय व्यापार समाप्त करने में सफल हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन किन देशों में भारतीय व्यापार को हानि हुई है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मण्डलों ने कुछ देशों का दौरा किया है तथा उनका उद्देश्य अपने व्यापार को बढ़ना है और उसका आधार होगा प्रतिस्पृधा तथा किस्म का अच्छा होना।

(ख) से (घ) भारत के इस्लामी देशों के साथ व्यापार को जाहिर करने के लिए एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 640/67**] उससे यह प्रकट होगा कि उन देशों में हमारा थोड़ा ही व्यापार बढ़ा अथवा घटा है। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारा व्यापार दोनों देशों के व्यापार समझौते के अनुसार है। सरकार को पता है कि विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाना कितना आवश्यक है और हम इस बात को ध्यान में रखते हैं।

कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति

* 567. **श्री म० अमरसे :**
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के बारे में कृषि उत्पादन मूल्य आयोग की शिफारिशें क्या है ;

(ख) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या आयोग ने कपास की अगली फसल के लिये अपनाई जाने योग्य कपास के मूल्य सम्बन्धी नीति के बारे में कोई सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1967-68 की कपास की फ़सल की मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करदी हैं और वह

सरकार के विचाराधीन हैं। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा।

भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म

*** 568. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म के बारे में विदेशी ग्राहकों द्वारा आने वाली शिकायतों में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार निर्यात किस्म नियन्त्रण की वर्तमान व्यवस्था से पूर्णतया सन्तुष्ट है ; और

(ग) इस काम के लिये नेशनल टैस्ट हाऊस, कलकत्ता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1-1-64, जब से निर्यात (किस्म नियन्त्रण निरीक्षण) अधिनियम, 1963, लागू हुआ है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली किस्म के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में भारी कमी हो गई है।

(ख) निर्यात किस्म नियन्त्रण का प्रबन्ध सन्तोषपूर्ण चल रहा है। फिर भी उन पर निरन्तर विचार किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में नेशनल टैस्ट हाऊस, कलकत्ता को पहुँच की गई थी, परन्तु सरकार द्वारा निर्यात (किस्म नियन्त्रण परीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत निर्धारित बहुत सी चीजों के मूल्यों का निरीक्षण वह लदान से पूर्व नहीं कर सका। सरकार की यह नीति रही है कि निर्धारित निरीक्षण मूल्य समान के निशुल्क लदान के मूल्य से 0.20 प्रतिशत से अधिक न हो ताकि यह निर्यात मूल्यों पर भार न हो।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा जल का दूषित किया जाना

*** 569. श्री वे० ग्रमात** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने का गन्दा पानी बहकर सीधे ब्रह्मानी नदी में, जो इस इस्पात कारखाने के साथ-साथ बहती है आता है ; और

(ख) जहरीले पानी के इस बहाव को इस नदी में ग्राने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के दूषित जल का जिसमें आपत्तिजनक पदार्थ मिले रहते हैं कारखाने के जीवविज्ञान सम्बन्धी तरीके से शोधन किया जाता है ग्रौर हानिकारक पदार्थों के निकालने के पश्चात् ही उसे नदी में मिलाया जाता है।

संसद् भवन में काफी बोर्ड और चाय बोर्ड के संस्थान

*** 570. श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन में काफी बोर्ड और चाय बोर्ड के संस्थानों द्वारा संसद् सदस्यों को जो चाय, कांफी, सैंडविच तथा अन्य चीजें दी जाती हैं उनके दाम बढ़ा दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि दिल्ली, जिसमें संसद् भवन भी सम्मिलित है तथा भारत के अन्य भागों में भी चाय और काफी बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले कैंटिन घाटे पर चल रहे थे अतः खर्चे में कमी करने तथा संस्थानों को आत्म निर्भर करने के लिये फरवरी के अन्त में यह निर्णय किया गया । इसलिए इन कैंटिनों द्वारा दी जाने वाली काफी, चाय और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कुछ वृद्धि की गई है ।

Price of Cardamom

2653. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an abnormal rise in the price of cardamom during the last six months ; and

(b) if so, the extent thereof and the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) There has been no abnormal rise in the price of cardamom but only a stabilisation of prices at approximately Rs. 45/-to Rs. 50/-per kg, due partly to devaluation and partly to sustained foreign demand.

हरियाणा में औद्योगिक बस्तियां

2654. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग

2655. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं के बारे में सरकार ने कितने विदेशी सहयोग करारों की मंजूरी दी थी तथा प्रत्येक देश द्वारा किये जाने वाले सहयोग का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उन सहयोग समझौतों में कुल कितनी विदेशी पूँजी लगाने की व्यवस्था है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 691/67]**

झाझा और जमालपुर स्थित वर्कशापों के रेलवे कर्मचारी

2656. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी लोग पूर्व रेलवे की झाझा तथा जमालपुर की वर्कशापों के रेलवे कर्मचारियों को तंग करते हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मुअत्तिल किया है । उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की है ;

(ख) पिछले बारह महीनों में इन दोनों स्थानों पर कितने कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में कोई जांच कराने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जमालपुर -- 70
झाझा -- 172

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न के बारे में जाँच करने का सवाल नहीं उठता और इस तरह की जांच करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है । लेकिन अनुशासनिक कारंवाई के ऐसे हर मामले में, जहाँ अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कारंवाई करना अपेक्षित होता है, जाँच का आदेश दिया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झाझा में रेलवे कर्मचारियों के लिये पानी की व्यवस्था

2657. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा में रेलवे कर्मचारियों के लिये पानी की सप्लाई केवल कुछ घंटे ही की जाती है और वह भी अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बेवक्त काम पर से लौटने वाले कर्मचारियों को कठिनाई होती है ;

(ग) क्या सम्बन्धित विशेषज्ञों ने इस पानी को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक घोषित किया है ;

(घ) क्या काफी समय से भाभा स्थित पानी छानने का संयंत्र खराब है ;

(ङ) क्या रेलवे के तालाब की स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी तरह देख माल नहीं की जाती है ; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों के कारणों को दूर करने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। लेकिन सामान्य आवश्यकताओं के लिए पानी की सप्लाई को अपर्याप्त नहीं समझा जाता।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) भाभा में पानी छानने का संयंत्र, जो 1953 में लगाया गया था, ठीक काम नहीं कर रहा है। कभी-कभी पानी ठीक नहीं पाया गया है, खासतौर पर बरसात में और उसके तुरन्त बाद। डाक्टर अवशिष्ट क्लोरीन के लिए नमूने की प्रतिदिन जांच करते हैं। जब नमूने में अपर्याप्त अवशिष्ट क्लोरीन पायी जाती है, तब कर्मचारियों को आगाह किया जाता है कि वे बस्ती के खुले कुओं से पानी लें। इस बीच पानी छानने के संयंत्र की ओवरहालिंग शुरू कर दी गयी है। आशा है, यह काम 30-9-67 तक पूरा हो जायेगा और इसके पूरे हो जाने के बाद इस तरह की शिकायत का कोई मौका न होगा।

केरल के सूक्ष्म उपकरण बनानेवाले कारखाने (प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट फेक्टरी) के लिये इन्जीनियर

2658. श्री श्री धरन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के कुछ इन्जीनियरों की सेवाओं को केरल के सूक्ष्म उपकरण बनाने वाले कारखाने में विभिन्न पदों पर काम करने के लिये लेने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० से यह पता चला है कि केरल सरकार के एक प्रोजेक्ट इन्जीनियर और एक सहायक इन्जीनियर ने इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण कर लिया है।

विद्युत् चालित करघे

2659. श्री श्रीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विद्युत् चालित करघे हैं ; और

(ख) राज्यवार उनकी संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्राधिकृत विद्युत चालित करघों की संख्या 2,28,155 है ।

(ख) विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया , देखिये संख्या एल० टी० 692/67**]

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

2660. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों की तुलना में इस समय इस कारखाने का उत्पादन कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कारखाना इस समय बिजली के निम्नलिखित उपकरणों का निर्माण कर रहा है :--

(1) स्वीच गीयर और कन्ट्रोल गीयर ।
(2) ट्रांस्फोर्मरस ।
(3) कैपेसिटरस ।
(4) ट्रेक्शन मोटरस ।
(5) इन्डस्ट्रियल मोटरस ।
(6) हैवी रोटेटिंग प्लाटं ; और
(7) स्टीम और वाटर टरबाइन्स ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों में कारखाने में निम्नलिखित उत्पादन होने का अनुमान है ।

वर्ष	मूल्य (लाखों रुपयों में)
1967-68	2040
1968-69	3500
1969-70	4550
1970-71	5150

मध्य प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

2661. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में उपक्रम आरम्भ करने के लिए उपक्रमियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) इन में से कितने लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं अथवा कितने वापिस लौटा दिये गये हैं; और

(ग) इस समय औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन पार्टियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गत पांच वर्षों में-1962–63 से 1966–67 तक मध्य प्रदेश में उपक्रम आरम्भ करने के लिये बासठ उपक्रमियों को लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) बासठ लाइसेंसों में से सोलह लाइसेंस या तो वापिस लौटा दिये गये हैं या रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) इस समय औद्योगिक लाइसेंसों के सैंतीस आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । पार्टियो के नामो सें सम्बन्धित सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 693/67]**

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला को लौह अयस्क की सप्लाई

2662. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री बाबूराव पटेल :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला टेंडर मांगे बिना 1966 से केवल तीन फर्मो से ही अर्थात (1) मैसर्स बी० पटनायक माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) मैसर्स मिश्रीलाल धर्मचन्द प्राइवेट लिमिटेड, और (3) मैसर्स रूंगता सन्स प्राइवेट लिमिटेड, से ही ऊंची दरों पर लौह अयस्क खरीद रहा है;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन फर्मो से खरीदे गये लौह अयस्क की मात्रा कितनी थी और रुपयों में उसका मूल्य कितना था; और

(ग) इसका प्रति टन बाजार भाव कितना है और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इन कम्पनियां को प्रति टन कितना मूल्य देता है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : 1956 से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, तीन फर्मो जिनके नाम मैसर्स बी० पटनायक माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मिश्रीलाल जैन और मैसर्स रूंगता सन्स है, से लौह अयस्क खरीद रहा है। 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में इन फर्मो से खरीदे गये लौह अयस्क की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार था :–

	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु० में)
1 मैसर्स मिश्रीलाल जैन	2,13,945	34·92
2 मैसर्स बी० पटनायक	2 81,236	45·90
3 मैसर्स रूंगता सन्स	1,92,294	31·39

2. यद्यपि इन फर्मों के साथ करार करने से पूर्व कोई औपचारिक टेन्डर नहीं लिए गये थे तथापि वाराजमदा क्षेत्र की कई फर्मों और सरकारी क्षेत्र के संगठनों जैसे मैसर्स नेशनल मिनरल्स डवलेपमेन्ट कारपोरेशन, किरीबुरू, और इंडस्ट्रीयल डवेलपमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा (कन्धाधार) से बातचीत की गई थी। ऐसा पता चला है कि बहुत कम खान मालिक हाई ग्रेड लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क सप्लाई करने की स्थिति में थे और बहुत सी फर्मों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, के पास हाई ग्रेड लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का स्टाक केवल दो दिन के लिए ही रह गया था. अतः कारखाने को चलू रखने के लिए इसके सिवा और कोई चारा न था कि बिना किसी औपचारिकता के तत्काल सप्लाई का प्रबन्ध किया जाये। इन फर्मों के साथ 16 रुपये प्रति टन के हिसाब से करार किये गये थे। इसके मुकाबिले में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जिन फर्मों से बातचीत की थी उन्होंने 16 रुपये से 19 रुपये प्रति टन का भाव मांगा था।

3. यह उल्लेखनीय है कि सरकारी उपक्रम समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला को लौह अयस्क की सप्लाई

2663. श्री बाबूराव पटेल :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला ने भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के जरिये, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और जो विशेष रूप से लौह अयस्क खनन उद्योग का विकास करने के लिये बनाया गया था, लौह अयस्क खरीदना किन कारणों से बन्द कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन फर्मों अर्थात, (1) मैसर्स बी० पटनायक माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) मैसर्स मिश्रीलाल धर्मचन्द प्राइवेट लिमिटेड, और (3) मैसर्स रूंगता सन्स प्राइवेट लिमिटेड ही हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ व्यवसाय के मामले में अपने एकाधिकार के कारण छोटे खान मालिकों को अपना लौह अयस्क, जिसे वे बाद में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को बेच देती है; उन्हें कम मूल्य पर बेचने के लिये बाध्य (ब्लेकमेल) कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस गन्दी प्रवृति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(क) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला मुख्यत: हाई ग्रेट लौह अयस्क की आवश्यकता की पूर्ति खनिज तथा धातु व्यापार निगम से खरीद कर पूरी किया करता था क्योंकि इसकी अपनी रक्षित खानों से जितना माल निकलता था उससे इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती थी। फरवरी 1966 में कारखाने के पास हाई ग्रेड लौह अयस्क का स्टाक इतना कम हो गया कि उससे केवल इसकी दो दिन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी। चूंकि निश्चित दरों पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई संतोषजनक समझौता नहीं था, इस लिये कारखाने को चालू रखने के लिए इसके सिवा कोई और चारा न था कि जहां कहीं से भी तत्काल माल मिल सके माल का प्रबन्ध किया जाय। तद्नुसार कारखाने ने लौह अयस्क की सप्लाई के लिये तीन प्राइवेट पार्टियों से करार किया। ऐसा पता चला है कि इस बीच हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच एक करार हो गया है जिसके अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम 1 जुलाई 1967 से इस करार के अन्तर्गत हाई ग्रेड लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क की सप्लाई के करार को क्रियान्वित करने के काम अपने ऊपर ले लेगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, अतिरिक्त माल के लिए भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आर्डर दे रहा है।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि सरकारी उपक्रम समिति प्राइवेट पार्टियों के साथ किये गये करारों की भी जांच कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

असिस्टेंट डिवीजनल पर्सोनल आफिसर्स

2664. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में किसी एक डिवीजन अथवा स्थान पर असिस्टेंट पर्सोनल आफिसर्स। डिवीजनल पर्सोनल आफिसर्स के लिये किसी एक स्थान पर रहने की कोई अवधि निश्चित है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे आफिसरों की (डिवीजनल पर्सोनल आफिसर्स/असिस्टेंट पर्सोनल आफिसर्स की संख्या अलग-अलग) संख्या क्या है जो उत्तर रेलवे में (डिवीजन वार) 3 वर्ष से अधिक समय तक किसी एक डिवीजन अथवा स्थान पर रहे हैं; और

(घ) इनमें से ऐसे कितने आफिसर्स हैं जो उत्तर रेलवे में अपने होम डिवीजन में 3 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, तथा इन्हें इतने लम्बे समय तक इन स्थानों पर रोकने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) एक स्थान पर रहने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।

(ख) आमतौर पर अधिकारियों को एक ही स्थान पर बहुत लम्बे समय तक नहीं रखा जाता । प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर उनका स्थानान्तरण किया जाता है ।

(ग) मण्डल/कार्यालय	मण्डल कार्मिम अधिकारी	सहायक कार्मिक अधिकारी
मुख्यालय नयी दिल्ली	–	6
इलाहाबाद	1	–
बीकानेर	–	1
दिल्ली मण्डल	–	3
जोधपुर	–	1
लखनऊ	–	2
आलमबाग (कारखाना) लखनऊ	–	1
जोधपुर (कारखाना)	–	1
मुरादाबाद	–	1
सहायक कार्मिक अधिकारी (निर्माण) चोपन	–	1

(घ) पांच, जिनमें से तीन के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं । उन्हें अपने मण्डलों में रोक रखने के कारण उपर्युक्त मद (ख) के उत्तर में बताये गये हैं ।

रेलवे टी० टी० ई० तथा कंडक्टर

2665. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रेलगाड़ियों के टी० टी० तथा कंडक्टरों की ओर से किसी भी रूप में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें गाड़ी के सगचल (रनिंग) कर्मचारी माना जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस उचित मांग को स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नियमों के अनुसार केवल उन्हीं कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो प्रत्यक्षरूप से गाड़ियों का संचालन करते हैं और उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि चल टिकट परीक्षक और कण्डक्टर चलती गाड़ियों में ड्यूटी देते हैं, लेकिन गाड़ियों के वास्तविक संचलन से उनके काम का सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारी मानने का औचित्य नहीं है।

Trade Agreement with West Germany

2666. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that India could not earn the expected amount of foreign exchange as a result of its trade with the West Germany;

(b) whether it is also a fact that a trade agreement has been concluded with West Germany recently which would facilitate exports from India;

(c) if so, the amount of foreign exchange likely to be earned by India thereby;

(d) whether such a trade agreement could not be concluded with East Germany; and

(e) if so, the action likely to be taken in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) India's exports to West Germany have for a long time, lagged behind imports from that country and there has been no significant change over the years in the value of our exports.

(b) There is already a Trade Agreement between the two countries, which was first signed in 1955, and which is valid for an indefinite period, being terminable only by either party giving three months' notice.

(c) The Trade Agreement with West Germany mainly provides for facilities which the West German Government have agreed to extend for the expansion of India's exports to West Germany. The Agreement is only permissive in nature and does not commit either party to make purchases of particular commodities from the other, nor is there any stipulation regarding the volume of trade exchanges between the two countries. It is, therefore, difficult to quantify the amount of foreign exchange earned as a result of the Trade Agreement.

(d) and (e) Trade between India and West Germany is carried on the basis of Trade and payments Arrangements concluded between the two countries. The curr-

ent Arrangements, which were signed in September, 1964, are valid up to 31st December, 1967, and provide for exchange of goods on a balanced basis in non-convertible Indian rupees.

समवायों के संतुलन पत्र

2667. श्री रबि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि ग्वालियर रेयन, केसोराम काटन मिल्स तथा रोहतास इन्डस्ट्रीज जैसे अनेक समवाय भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं परन्तु वे एक समन्वित संतुलन–पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण प्रकाशित करते हैं,

(ख) क्या अंशधारियों/जनता ने प्रत्येक प्रकार के कारोबार के लिये पृथक पृथक संतुलन–पत्र रखे जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिदायत के रूप में ऐसा करने के लिए समवायों को मंत्रणा/परामर्श देने ,नियमों में परिवर्तन करने अथवा समवाय अधिनियम में संशोधन करने का हैं; और

(घ) यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ व्यक्तियों से इस कार्य के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुऐ हैं, परन्तु यह पता नहीं, है कि वे किसी कम्पनी के अंशधारी है या नहीं ।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन का प्रश्न, यह विदित करने कि जिन कम्पनियों के उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं, उन्हे अपने प्रत्येक पृथक कार्यकलाप के लिये पृथक लाभ–हानि का लेखा बनाना चाहिये, कम्पनी विधि सलहाकार समिति के परामर्श, से सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्कूटरों का नियतन

2668. श्री रबि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न **संख्या 599** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यहा यह सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों में से जो सरकारी कोटे में से स्कूटरों के नियतन के हकदार हैं, अगर सचिव तथा उससे ऊपर के दर्जों के अधिकारियों को तो एक वर्ष के अन्दर ही स्कूटर मिल जाते हैं जबकि इस दर्जे से नीचे के अधिकारियोंको तीन वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या हक और नियतन के सम्बन्ध में समूची नीति पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) स्कूटरो के एलाटमैन्ट के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विभिन्न श्रेणियो में वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के लिये अलग कोटा नियत किया गया है। 100 रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले इनमें से किसी एक श्रेणी में आते है और स्कूटरों का थोड़ा कोटा उनके लिये नियत किया गया है।

क्योंकि इस श्रेणी में आने वाले अधिकारियो से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या अपेक्षता कम है इसलिए दूसरी श्रेणीयो की तुलना में उन्हें सरकारी कोटे से स्कूटर प्राप्त करने के लिये कम प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) इस प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

हीरे जवाहरात निर्यात संवर्द्धन परिषद्

2669. श्री रवि राय : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हीरे जवाहरात निर्यात संवर्द्धन परिषद् में अधिकांशतः वे अधिकारी लोग तथा व्यापारी है जिन्हें सरकार चुनती है;

(ख) क्या व्यापारियों के नामांकित प्रतिनिधियों का चुनाव देश की विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था;

(ग) क्या इस परिषद् के लिये व्यापारियों के प्रतिनिधियों को नाम-निर्देशित करने से पहले सरकार ने इन संस्थाओं से परामर्श लिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) सरकार ने न तो व्यापारियों के प्रतिनिधियों और न हीं परिषद् के लिये व्यापारियों के प्रतिनिधियों का नाम निर्देशित किया है। इसने कार्यकारी समिति के

लिये तीन और प्रशासन समिति के लिये दो सरकारी प्रतिनिधियों का नाम निर्देशित किये हैं। वास्तव में तीन पदाधिकारियों के नाम निर्देशित किये हैं जिनमें से दो दोनों समितियों में हैं। वे पदाधिकारी हैं:- (1) बम्बई के आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक (2) बम्बई के मुख्य निदेशक (3) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के निदेशक

(ग) (क), (ख) और (ग) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखने पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

माल डिब्बों का उपलब्ध न होना

2670. श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री श्रीधरन : **श्री अदिचन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में कोचीन तथा अन्य स्टेशनों से नारियल की रस्सी तथा नारियल का सामान भेजने के लिये माल डिब्बे प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में नारियल व्यापारियों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) आयात खाद्यानों, उर्वरकों और उच्च अग्रता वाले दूसरे माल के भारी संचलन के बावजूद, नारियल की जटा से बने सामान का लदान तेज करने के लिए कोशिश की गयी है। 1 अप्रैल से 8 जून, 1967 तक की अवधि में कोच्चिन हार्बर टर्मिनस और केरल राज्य के दूसरे स्टेशनों से नारियल की जटा से बने सामान के 437 बड़ी लाइन के माल डिब्बे लादे गये। इसके अलावा कोच्चिन और केरल राज्य के दूसरे स्टेशनों से 55,109 क्विंटल नारियल की जटा और नारियल की जटा से बना सामान भी फुटकर माल के रूप में भेजा गया। नारियल की जटा से बने सामान की निकासी में सुधार करने के लिए तिरपाल से ढ़के हुए खुले माल डिब्बे भी दूसरे यातायात के लिये दिये जा रहे हैं।

जीन्द जंक्शन पर यात्री गाड़ी का रुकना

2671. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि जीन्द जंक्शन को जाने वाली तथा वहां से जाने वाली यात्री गाड़ियां निर्गम द्वार (ऐक्सिट गेट) के समीप नहीं रुकती हैं किन्तु इस द्वार के इधर अथवा उधर दोनों ओर लगभग आधे फलांग की दूरी पर रुकती हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें अपने माल-असबाब तथा बच्चों के साथ इतनी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों को होने वाली इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां, स्टेशन यार्ड के नक्शे के अनुसार जींद जंक्शन स्टेशन पर गाड़ियां बाहर जाने के फाटक से अप दिशा में लगभग 30 गज़ और डाउन दिशा में 70 गज़ की दूरी पर ठहरती हैं।

(ग) यात्रियों ने असुविधा की कोई शिकायत नहीं की है।

बिहार में उद्योग

2672. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिये कितना धन दिया था; और

(ख) बिहार राज्य द्वारा 1966–67 में कितना धन व्यय किया गया तथा इस अवधि में बिहार में कितने उद्योग स्थापित किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966–67 में केन्द्रीय सहायता के रूप में बिहार सरकार को उद्योगो की स्थापना के लिये 93·35 लाख रुपये निर्धारित किये गये।

(ख) राज्य सरकार ने इस पर 96·45 लाख रुपया व्यय किये 1966--67 के दौरान राज्य में 396 उद्योग स्थापित किये गये।

बटन उद्योग

2673. श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में एम० ओ० पी० बटन उद्योग किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं;

(ख) इन एम० ओ० पी० बटन उद्योगों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या ये बटन अन्य देशों को निर्यात किये जाते हैं; और

(घ) एम० ओ० पी० बटनों के मुख्य आयातक देशों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

2674. **श्री शिंकरे :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1966 से मार्च 1967 तक की अवधि में गोआ, दमण और दीव के कितने व्यक्तियों ने औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये थे; और

(ख) क्या उनके आवेदन पत्रों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अप्रैल 1966 से मार्च 1967 की अवधि में गोआ, दमण और दीव की तीन पार्टियों ने औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये ।

(ख) एक पार्टी का आवेदन पत्र विचाराधीन है । दूसरी दो पार्टियो के आवेदन पत्र "आयरन ओर पैलेटस' के निर्माण के सम्बन्ध में थे और वे वस्तुएं औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनयम, 1951 के अन्तंगत नहीं आती। पार्टियो को इसके अनुसार सूचना दे दी गई है ।

धनराजमल गोबिन्दरन द्वारा रुई का आयात

2675. **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अंबाजागन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराजमल गोबिन्दरन ने न्यू कमर्शियल मिल्स के लिये रुई की सौ गांठे आयात की थी और मफतलाल ग्रुप की मिलों को बिना किसी पर्मिट के दे दी थीं;

(ख) क्या उसी फर्म के माध्यम से कादी मिल्स द्वारा आयात की गई रूई उसी प्रकार से अपेक्षित पर्मिट के बिना ही बिड़ला ग्रुप के सेंचरी मिल्स को दे दी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो पर्मिट के बिना मफतलाल तथा बिड़ला ग्रुपों की मिलों को वास्तव में कितनी गांठें बेची गई और उनका मूल्य कितना था; और

(घ) इन अनियमित तथा अवैध सौदों से सम्बन्धित पक्षों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है (घ) इस स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता ।

इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्थापनापन्न कर्मचारी तथा नैमित्तिक कर्मचारी

2676. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन पर कार्य करने वाले स्थानापन्न तथा नैमित्तिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे स्थानापन्न कर्मचारियों को अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकार तथा विशेषाधिकार क्यों नहीं दिये गये तथा नैमित्तिक कर्मचारियों को सेवा--पत्र (सर्विस कार्ड) क्यों नहीं दिये जाते;

(ग) क्या यह सच है कि नैमित्तिक कर्मचारियों के सेवा पत्रों को अफसर अपने पास रखते हैं ताकि उनमें ऐसी प्रविष्टयां अवैध रूप से कर सकें, जो उनके हितों के विरुद्ध जायें; और

(घ) क्या सरकार का विचार लगातार कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के रूप में सेवा में लेने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) एवज़ी कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन के संबंध में बोर्ड के आदेशों का पालन किया गया है; कुछ थोड़े-से मामले रहते हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। प्रायः सभी नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा-कार्ड दिये जा चुके हैं और अन्य कर्मचारियों को भी सेवा--कार्ड देने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में सेवा में खपाया नहीं जा सकता। लेकिन छः महीने तक लगातार काम कर चुकने पर उन्हें तब तक के लिए अस्थायी कर्मचारी की हैसियत दे दी जाती है जब तक कि उनका काम समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन परियोजनाओं के काम पर लगाये गये व्यक्तियों पर यह बात लागू नहीं होती।

इटारसी स्टेशन पर पानी पिलाने वाले व्यक्ति तथा मेहतर

2677. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में पानी पिलाने वाले व्यक्तियों तथा मेहतरों को 12 घंटे कार्य करना पड़ता है जबकि नैमित्तिक मजदूरों को 8 घंटे कार्य करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने वाले व्यक्तियों तथा मेहतरों को प्रतिदिन 1 रुपये 25 पैसे से 1 रुपये तक दिये जाते हैं और नैमित्तिक श्रमिकों को 2 रुपये और 2 रुपये 50 पैसे प्रति दिन दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) यह जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी वाले, सफाईवाले और नैमित्तिक श्रमिकों के काम के घंटे उनके वास्तविक पदों के वर्गीकरण अर्थात् निरंतर, सविराम, जैसी भी स्थिति हो, पर निर्भर करते हैं।

(ख) और (ग) कुछ नैमित्तिक श्रमिकों को, जो इटारसी में पानी वाले और सफाई वाले का काम करते थे, गलती से 1 रुपया 50 पैसे प्रतिदिन की दर की जगह 1 रुपये 50 पैसे से कम की दर पर भुगतान किया गया। जितने पैसे उन्हें कम दिये गये थे, उनका भुगतान अब किया जा रहा है। दूसरे कामों पर तैनात किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को उन दरों पर मजदूरी दी जाती है, जो उस क्षेत्र में उन्हीं कामों के लिए प्रचलित हैं। ये दरें सफाई वालों पानी वालों के लिए नियत दरों से भिन्न हो सकती है।

इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्थानापन्न कर्मचारी

2678. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अधीन सिग्नलिंग तथा इंटर-लॉकिंग सेक्शनों से स्थानापन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त व्यक्तियों को वेतन-पर्चियों तथा उपस्थिति नामावलियों में स्थानापन्न कर्मचारी दिखाया जाता है परन्तु उन्हें नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में वेतन दिया जा रहा है;

(ग) क्या इन स्थानापन्न कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे वेतन तथा अधिकार प्राप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां,तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, गलती से कुछ एवजी कर्मचारियों को मासिक दरों के बजाय दनिक दरों पर वेतन दे दिया गया था, जैसा कि नैमित्तिक श्रमिकों को दिया जाता है। वेतनों में जो अन्तर है, संबंधित कर्मचारियों को उसका भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) एवजी कर्मचारी जिन पदों पर काम करते हैं वे उन पदों के लिए स्वीकृत नियमित वेतन–मान और भत्ता पाने के हकदार होते हैं। छः महीने की लगातार सेवा पूरी होने पर वे अस्थायी रेल कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं।

क्विलांडी में मालाबार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना

2679. श्री धीवरन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के क्विलांडी रेलवे स्टेशन पर मालाबार एक्सप्रेस रेलगाड़ी अब नहीं रुकती;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे समय सारणी समिति के परामर्श मे 29 डाउन मालाबार एक्सप्रेस का विवलंडी स्टेशन पर ठहराया जाना 1.4.67 से बन्द कर दिया गया है। इस गाड़ी को इस स्टेशन पर पुनः ठहराने का औचित्य नहीं है क्योंकि यहां लम्बी दूरी के बहुत कम यात्री आते जाते हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर नई रेलवे लाइनें बिछाना

2680. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर रेलवे पर कौन कौन सी नई रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निरमली तथा सुपाल के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन नई लाइनों का निर्माण किया जाना है उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) कोसी नदी के एक और स्थित निर्मली और दूसरी और स्थित सुपौल के बीच सीधा रेल-सम्पर्क स्थापित करने का फ़िलहाल विचार नहीं है।

माल डिब्बों की रायचूर–बम्बई बुकिंग का बन्द किया जाना

2681. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो महीनों से माल डिब्बों की रायचूर-बम्बई की बुकिंग बन्द कर दी गई है;

(ख) इस बुकिंग के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप रायचूर में उद्योगों को कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) डी० सी० बिजली रेल इंजनों की असंतोषजनक स्थिति की वजह से मध्य रेलवे के बम्बई खण्ड पर संचलन-सम्बन्धी कठिन स्थिति पैदा हो जाने के कारण 8 अप्रैल, 1967 से 31 मई, 1967 तक रायचूर से बम्बई

के लिए माल बुक करने पर पाबन्दियां लगा दी गयी थी। लेकिन उच्च अग्रता वाले यातायात पर इन पाबन्दियों का प्रभाव नहीं पड़ा। ये पाबन्दियां अब हटा ली गयी हैं और रायचूर से सुगमतापूर्वक यातायात हो रहा है।

(ग) इसकी जानकारी नहीं है।

Water Scarcity at Stations between Jaipur and Sawai Madhopur

2682. Shri Meetha Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water is not available on all stations between Jaipur and Sawai Madhopur (Western Railway);

(b) if so, the steps taken to remedy the situation; and

(c) whether it is also a fact that brackish water is made available to passengers at Chaksu station ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. Adequate drinking water arrangements exist at all stations between Jaipur and Sawai Madhopur.

(b) Does not arise.

(c) The drinking water available at Chaksu is slightly brackish. Supply of sweet water is, however, arranged by auxiliary water tanks attached to goods trains whenever these run on the section.

Khandia Railway Station

2683. Shri Meetha Lal : With the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khandia Railway station on Western Railway is going to be abolished; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Passenger Trains Running Between Agra Fort and Gangapur City,

2684, Shri Meetha Lal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passenger trains running between Agra Fort and Gangapur City (W. Rly.) are proposed to be extended upto Sawai Madhopur Junction;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Extension of 84 Up/83 Dn. Agra Fort-Gangapur City Passengers, to and from Sawai Madhopur, is not operationally feasible, at present, for want of requisite line capacity, and terminal facilities at Sawai Madhopur station.

Railway line between Sarampur (C. Rly) and Gangapur City (W. Rly.)

2685. Shri Meetha Lal : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is proposed to link Sarampur (C. Rly.) with Gangapur City (W. Rly.) by laying a new railway line via Karavalli;

(b) if so, the time by which the work thereon would be taken in hand; and

(c) if not, the reasons for not laying a railway line in this area which has deposits of precious stones ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to paucity of funds, this proposal is not likely to merit adequately high priority for inclusion in the Fourth Five Year Plan.

Railway Line between Gangapur City and Daosa (W. Rly.)

2686. Shri Meetha I al : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to lay a railway line between Gangapur City and Daosa (W. Rly.) via Bamanbas and Sasaur;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to paucity of funds, this proposal is not likely to be considered for inclusion in the Fourth Five Year Plan.

इण्डिया यूनाइटेड मिल्स

2687. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया यूनाइटेड मिल्स के प्रबन्ध/लेखों में धोखे का मामला पकड़ा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) यूनाइटेड मिल्स के प्रबन्ध/लेखों में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है। प्राधिकृत नियंत्रक के भार सम्भालने की अवधि के बाद तीन अनियमितताएं–स्टाक में कमी, जिन थैलों को बांधने के लिये घटिया किस्म की रद्दी को प्रयोग करने के लिये घोषित किया गया है उनके लिये अच्छी किस्म की रद्दी का प्रयोग करना और सामान का अधिक दिया जाना। प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा आवश्यक जांच की गई और सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा दी गई है। जहां तक प्राधिकृत नियंत्रक के भार सम्भालने से पहले की अनियमितताओं का सम्बन्ध है उनकी इस समय जांच की जा रही है।

ऐस्बैस्टस बनाने वाली कम्पनियां

2688. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऐस्बैस्टस बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ख) 1966 के उत्तरार्ध में प्रत्येक कारखाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) ऐस्बैस्टस सीमेन्ट उत्पादों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई हैं :

यूनिटों के नाम	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता जिसमें शीघ्र अधिष्ठापन करने वाले उत्पादन की क्षमता भी सम्मिलित है (टनों में)	1966-67 के उत्तरार्ध में कच्चे मालों के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन (छः महिनों में) (रुपये)	1966-67 के उत्तरार्ध में फालतू पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन (छः महीनों में) (रुपये)
1. मैसर्स ऐस्बैस्टस सीमेन्ट लि०, बम्बई	2,00,000	1,41,61,775	8,00,600
2. मैसर्स हैदराबाद ऐस्बैस्टस सीमन्ट प्रोडक्टस लि०, हैदराबाद	2,22,000	1,83,11,775	7,88,300
3. मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० डालमिया नगर (बिहार)	36,000	26,15,355	1,47,800
4. मैसर्स श्री दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी लि०, बम्बई	32,000	31,96,355	1,80,600
5. मैसर्स सर्दन ऐस्बैस्टस सीमेन्ट लि०, मद्रास	30,000	14,53,178	82,700

*इसमें 30,000 टन प्रैसर पइपों की क्षमता भी शामिल है जिनको अधिष्ठापित किया जा रहा है और जिनका उत्पादन कार्य सम्भवतः 1967 के उत्तरार्ध मध्य में आरम्भ हो जायेगा ।

रेलवे स्टाफ कालेज बड़ौदा

2689. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज के बिल्कुल ही निकट परेड ग्राउंड बनाने के लिये 8 एकड़ कीमती भूमि अर्जित करने के लिये वर्ष 1963 में कार्यवाही आरम्भ की थी;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे स्टाफ़ कॉलेज, बड़ौदा के प्रांगण में 45 एकड़ खुली भूमि है जिसका प्रयोग उद्यान के रूप में किया जा रहा है;

(ग) क्या मितव्ययता की दृष्टि से रेलवे प्रशासन ने कीमती अनर्जित भूमि को अर्जित करने का विचार त्याग दिया है और उसके स्थान पर रेलवे स्टाफ कालेज के प्रांगण में ही परेड ग्राउंड बनाने के लिये धन की व्यवस्था की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस जमीन को अर्जित करने का विचार छोड़ दिया जाये ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिची से मानामदुरे तक चलने वाली डीजल रेलगाड़ियां

2690. श्री किरुतिनन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में त्रिची से मानामदुरे तक चलने वाली डीजल रेलगाड़ियां बहुत ही खराब हालत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आरंगतांगी से टोंडी तक रेलवे लाइन

2691. श्री किरुतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में आरंगतांगी से टोंडी तक रेलवे लाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए रकम की कमी है, ऐसी स्थिति में चौथी योजना में शामिल किये जाने के लिए इसको उच्च अग्रता नहीं दी जा सकेगी । इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी इस लाइन को चौथी योजना में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है । इस सम्बन्ध में पहले कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है ।

मद्रास राज्य में रेलवे लाइनें

2692. श्री किरुतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में (एक) डिंडीगुल से कराईकुडी तक, (दो) कराईकुडी से टोंडी तक और (तीन) दुरे से तूतीकोरिन तक रेलवे लाइन बिछाने के लिये विभागीय सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : प्रस्ताव (i) और (ii) के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है। प्रस्ताव (iii) के सम्बन्ध में 1927 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन लाइन बनाने का औचित्य नहीं पाया गया।

ऊन के रस्से (टो)

2693. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में प्रतिरक्षा के कामों के लिये 50 लाख रुपये के मूल्य के ऊनी रस्से आयात किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि ऊनी रस्से प्रतिरक्षा के काम के लिये प्रयोग में नहीं लाये गये हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो, तो ये रस्से किस काम के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं, फिर भी 1963 में 50 लाख रुपये की लागत के नायलन रस्से के आयात की कच्चे मैंगनीज के निर्यात के बदले में अनुमति दे दी गयी थी और रस्से प्रतिरक्षा के काम में लिये जाने थे। 1965-66 के दौरान में भी 8.26 लाख रुपये की लागत के रस्से प्रतिरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयात किये गये

(ख) और (ग) विनिमय के आधार पर जो रस्से आयात किये गये थे उन्हें असैनिक उपयोग के लिये प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि बाद में उसकी प्रतिरक्षा के लिये आवश्यकता नहीं रही थी। 1965-66 में आयात किये गये रस्से प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में लाये जा रहे हैं।

उत्पादिता का लाभांश

2694. **श्री नायनार** :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने उत्पादिता के लाभांश के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उप-समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था;

(घ) क्या यह सच है कि उप-समिति के सदस्य इस प्रश्न पर एकमत नहीं हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां

(ख) अक्तूबर, 1963

(ग) जनवरी, 1967

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा प्रस्तावित फार्मूला, जिसको परिषद् के शासकीय निकाय ने भी स्वीकृति दे दी है, सामान्यता मालिकों के प्रतिनिधियो के अलावा सबको स्वीकार है। परिषद् ने रिपोर्ट छपवा ली है और इसकी प्रतियां सम्बन्धित संगठनों को क्रियान्वित करने के लिये वितरित कर दी गई है।

तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल के मूल्य

2695. श्री नि० र० लास्कर : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** 24 अप्रेल, 1967 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में "पी० एम० हैज टाक्स आन इकोनामिक पालिसी चेन्ज" (आर्थिक नीति में परिवर्तन के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा बात चीत) शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल के मूल्यों पर प्रभाव डालने तथा कच्चे माल के मूल्यों को विनियमित करने के लिये भौतिक नियंत्रण लगाने का विचार है ताकि तैयार माल के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सरकार अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग आने वाले कच्चे माल के मूल्यो पर ध्यान देती है और जब कभी आवश्यक होती है तो उचित उपाय काम में लाती है।

निर्यात-प्रधान उद्योग एवं वरीयता प्राप्त उद्योग

2696. श्री नि० र० लास्कर : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वरीयता प्राप्त उद्योगों तथा निर्यात प्रधान उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कच्चेमाल, पुर्जे तथा वरीयता प्राप्त उद्योगो की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये जो विभिन्न प्रबन्ध किये गये हैं उनका उल्लेख वर्तमान 'रैड बुक' की धारा 1 के पैरा 21-40 में किया गया है। 11 रजिस्ट्रड निर्यातकारो से प्रभावित निर्यात के विरुद्ध फिर से लाइसेंस देने की नीति और प्रक्रिया का उल्लेख 'रैड बुक' के भाग (ख) की धारा 3 में किया गया है।

निर्यात प्रधान निर्माण यूनिटों को आवश्यक वस्तुओं के पूर्ति के लिये विशेष सहायता की व्यवस्था की गई है।

टोकियो में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग का अधिवेशन

2697. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के हाल में टोकियो में हुए वर्षिक अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि ऋण का भार विकासोन्मुख देशों को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के बड़े भाग को समाप्त कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों को भारतीय प्रतिनिधि के विचारों के सबंध में क्या प्रतिक्रिया थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं, भारतीय प्रतिनिधि ने तो यह कहा था कि निर्यात का बहुत सा और फैल रहा अनुपात जो कि विकास कर रहे देशों में देखने को मिल रहा है कर्जे पर खर्च किये जाने वाली राशि पर आधारित है। विकसित देशों के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने भी लगभग यही मत व्यक्त किया था। टोकियों में हुये उनके अधिवेशन ने जो प्रतिवेदन स्वीकार किया था उसमें आयोग ने यह राय व्यक्त की थी कि कर्जे अधिक होने के कारण ही निर्यात कम हो रहा है। आयोग ने यह सिफारिश की कि विदेशी ऋणों की शर्ते नर्म की जानी चाहिए और विकसित देशों के सहायता अनुदानों में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा गालीचों की खरीद

2698. श्री प्र० कु० घोष : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची ने वर्ष 1964-65 में बड़ी मात्रा में गालीचे और पर्दे खरीदे थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना धन खर्च किया गया ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने निम्न लिखित वस्तुएं खरीदीं :—

(अ)	एक ऊनी दरी	–रु० 775-00
(ब)	16 पटसन दरियां	–रु० 1500-62
(स)	लिनोलियम का फर्श	–रु० 808-20
(घ)	पर्दे	–रु० 1269-60
	कुल	–रु० 4353-42

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला-खानों मे फसी हुई पूंजी

2699. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि०, रांची की विभिन्न कोयला खानों में फालतू मशीनों, सामान, फालतू पूर्जों तथा इमारतों में कुल कितनी पूंजी फंसी हुई है;

(ख) इसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना है;

(ग) इस फालतू सामान पर ह्रास सूद आदि के रूप में कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) निगम को इस प्रकार फालतू सामान को काम में लाने की कब तक आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 694/67**]

(ग) अवमूल्यन की समस्त राशि का अभी हिसाब नहीं लगाया है । पूंजी पर ब्याज लगभग 46.38 लाख रुपये प्रति वर्ष है ।

(घ) अधिकतर चौथी योजना काल में और थोड़ी सी मात्रा पांचवी योजना काल में ।

बादली औद्योगिक बस्ती

2700. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बादली औद्योगिक बस्ती के औद्योगिक एककों को शैडों के आवंटन के कई महिने बाद बिजली दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक एककों से शैडों के आवंटन की तिथि से ही किराया लिया जा रहा है;

(ग) एककों को चलाने के लिये कई महीने बिजली नहीं दी गई थी हालांकि उनका कोई दोष नहीं था तो क्या औद्योगिक एककों को शैडों का किराया देना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो क्या एककों ने आवंटन की तिथि तथा बिजली दिये जाने की तिथि के बीच की अवधि के लिए किराया छोड़ देने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां

(ख) जी, हां

(ग) और (ङ) बादली औद्योगिक बस्ती में दिल्ली प्रशासन ने औद्योगिक बिजली की मंजूरी के लिये भागी (अलाटी) को वास्तविक अधिपत्य देने से लगभग तीन महीने पहले कार्यवाही की थी ताकि जैसे ही भागी (अलाटी) शैडो का अधिपत्य प्राप्त करें उन्हें बिजली की सुविधाएं प्राप्त हो जायें। परन्तु भागीदारो के आग्रह पर उन्हें शैडो का अधिपत्य एकको को बिजली के कनैक्शन के बिना दे दिया गया। एकक अतिपत्य की तिथि से बिजली व पानी की सुविधाओं के बिना, जो उनको यथा समय दे दी जायेंगी, किराया देने के लिये लिखित में सहमत हो गये।

इन परिस्थितियों में शैडो के वास्तविक अधिपत्य और शैडो में बिजली का कनैक्शन दिये जाने के बीच की अवधि के किराये में छूट देना संभव नहीं।

बादली औद्योगिक बस्ती में किराये की वसूली

2701. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदानन्द :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली औद्योगिक बस्ती में कोई ऐसे औद्योगिक एकक हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से अपने शैडों के किराये नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, वे एकक कौन कौन से हैं और उन से कितना किराया लेना बाकी है; और

(ग) इस किराये को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां

(ख) **एककों के नाम**	**31.5.1967 तक बकाया धन राशि (रुपयों में)**
1. मैसर्स अल्पना इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	15,500.00
2. मैसर्स बतबरो इंजिनियरिंग तथा जनरल मैन्यूफैक्चरस	9,500.00
3. मैसर्स सैन्डो मैन्यूफैक्चर कं०	14,500.00

4.	मैसर्स हितकारी ब्रादर्स दिल्ली वाले (साइकिलें)	3,500.00
5.	मैसर्स भारत कृषि यंत्र उद्योग	10,00,000
6.	मैसर्स नेहरू हौजरी मिल्स (इंदिरा सिपिन्रस प्रोसैसरस)	8,500.00
7.	मैसर्स इंडस्ट्रीयल इ० को० आफ इंडिया	8,500.00
	कुल जोड़	70,000.00

(ग) भाग (ख) के क्रमसंख्या 1 से 3 तक के मामले दिल्ली के डिप्टी कमीश्नर को वसूली के लिये सौंप दिये गये हैं। किराये की वसूली के लिये नियमित तौर पर इन सब एककों को नोटिस दिये जाते हैं।

बादली औद्योगिक बस्ती में शैड

2702. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बादली स्थित औद्योगिक शैडों की इस बीच कोई कीमत निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शैड की कितनी कीमत निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शैडों को उनके ग्राहियों को किराया–खरीद के आधार पर देने का है;

(घ) क्या औद्योगिक एककों द्वारा पहले ही दिये जा चुके किराये को किराया-खरीद कीमत के अन्तर्गत जमा किया जायेगा; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नहीं हो तो क्या सरकार का विचार उन एककों से इस समय लिये जा रहे किराये में परिवर्तन करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां, अस्थायी तौर पर ऐसा किया गया है।

(ख) लगभग 54,826 रुपये प्रत्येक शैड।

(ग) औद्योगिक बस्ती के स्वीकृत प्रतिरूप में यह व्यवस्था की गई है कि भूमि और भवन का प्रयोग करने वालों को यह विकल्प देना होगा कि वे इसे किराया खरीद कीमत या किराये के आधार पर या सीधे खरीद के आधार पर ले सकते हैं। जो इन स्थानों को किराये के आधार पर लेते हैं उनको इसे समयानुसार किराया-खरीद कीमत पर परिवर्तित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एम्बेसेडर कारों की किस्म में गिरावट

2703. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एम्बैसेडर कारों की किस्म और टिकाऊपन दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार को भी इस बारे में रिपोर्टें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) एम्बैसेडर कारों की खराबी के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जो भी खराबी से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें शीघ्र ही निमार्णकारों की जानकारी में लाया गया ताकि न केवल इन खराबियों को दूर किया जा सकें बल्कि इस बात को भी निश्चित किया जाये कि उन खराबियों की आगे उत्पादित होने वाली कारों में पुनरावृति न हो। इसके अलावा प्रतिरक्षा मंत्रालय की गाड़ियों की तकनीकी विकास संस्था द्वारा प्रत्येक चिन्ह की कारों की परीक्षा की योजना बनाई जा रही है।

चरखी दादरी स्टेशन पर रेलवे फाटक

2704. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के चरखी दादरी स्टेशन पर शहरी इलाके में एक रेलवे फाटक है;

(ख) क्या इस रेलवे फाटक पर शंटिंग और रेलवे यातायात के कारण यात्रियों तथा सड़क पर आने जाने वाली मोटर गाड़ियों को बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फाटक के ऊपर पुल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हां। चर्खी दादरी स्टेशन के रिवाड़ी सिरे की ओर।

(ख) गाड़ियों के संचलन और शंटिंग के दौरान सड़क यातायात को कुछ अपरिहाय रूकावट होती है।

(ग) इस समपार पर ऊपरी सड़क पुल बनाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसके पहुंच मार्ग लम्बे होंगे जिनका व्यस्त बाजार क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा। विकल्प में कुछ साल

पहले रेलवे और सड़क प्राधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुझाव दिया था कि ऊपरी सड़क पुल की बजाय पैदल चलने वालों के लिए 8 फुट चौड़ा सुरंग मार्ग बनाया जाये और वाहनों के आने जाने के लिए वर्तमान समपार को कायम रखा जाये। लेकिन सुरंग मार्ग बनाने के सुझाव पर आगे कारवाई नहीं की जा सकी क्योंकि स्थानीय म्यूनिसिपल प्राधिकरण इस पर आने वाली लागत न दे सका जैसा कि वर्तमान नियमों के अनुसार अपेक्षित है। इसलिए राज्य सरकार ने यह सुझाव छोड़ दिया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग

2705. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से चलने वाले लघु उद्योगों ने पिछले दस वर्षों में लगाई पूंजी तथा उत्पादन किये गये वस्तुओं के मूल्यों की दृष्टि से प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में पूंजी की वृद्धि करने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को उचित लागत पर आधुनिक औद्योगिकीय तरीकों तथा प्रक्रियाओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) पिछले दस वर्षों में बिजली से चलने वाले लघु उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत तिथियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उन लघु उद्योगों का जो कि भारतीय कारखानों अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किये गये हैं और उनमें से बहुत से बिजली से चलते हैं, के सम्बन्ध में 1960–63 के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन रजिस्टर्ड यूनिटों द्वारा लगाई गई पूंजी (स्थायी अस्तियां) में 1960–63 के दौरान 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले में इन यूनिटों से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में भी उत्पादन इसी प्रकार बढ़ता चला जायेगा।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में और पूंजी लगाने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं। फिर भी लघु उद्योग यूनिटों को ऐसी सहायता दी जानी चाहिये और करों में छूट देकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये जो सामान्यतः उद्योगों को लाभ प्राप्त करने के लिये उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय लघु उद्योग संस्था अपने लघु उद्योग सेवा संस्थान और विस्तार केन्द्रों सहित जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग ओखला, नई दिल्ली, राजकोट और हावड़ा द्वारा चलाये जाने वाले प्रोटो टाइप प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्थापित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं लघु उद्योगपतियों को प्रोयोगिकी तरीकों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करता है। लघु उद्योग विकास कार्यक्रम ने

सबसे अधिक जोर लघु उद्योग को विकसित तरीके से प्रोत्साहन देने और नये तरीकों द्वारा नवीनकरण करने पर दिया है ।

Conference of Engineers Held At Bhilai

2706. **Shri Mohan Swarup:**-Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Conference of the Engineers working in the enterprises run with Russian assistance was held at Bhilai during the last week of April;

(b) whether it is also a fact that the said Conference examined the question of making it possible to manufacture the parts which are imported from abroad; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister Of Steel, Mines & Metals (Dr. Channa Reddy) (a) and (b) : Yes, sir.

(c) Government's reaction to the meeting was generally favourable.

Express Train Between Champaran And Patna

2707. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in North Bihar, particularly in the Champaran area, no Express train has been introduced;

(b) if so, whether the former Minister of State in the Ministry of Railways, had announced in 1966 at a gathering in Motihari that an Express train would be introduced between Champaran and Patna; and

(c) if so, the reasons for not giving effect to his announcement so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Mail/Express trains are running in North Bihar. There is, however, no Mail/Express train in Champaran area on Muzaffarpur-Narkatiaganj Section

(b) and (c) On representations to the former Minister of State for Railways earlier and during his visit to Motihari on 8-8-66, the introduction of an Express train on Narkatiaganj-Palezaghat section by conversion of 97/98 passengers or by running an additional train was examined in detail but not found justified having regard to the needs of traffic offering on the section.

कानपुर में रेलवे ऊपरी पुल

2708. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में रेलवे के तीन ऊपरी पुल अभी नहीं बनाये गये हैं हालांकि रेलवे अधिकारियों ने कई बार आश्वासन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय कानपुर में प्रस्तावित नीचे लिखे तीन ऊपरी रेलवे पुलों के निर्माण से है:—

(i) गोविन्दपुरी के पास एक अतिरिक्त ऊपरी पुल;

(ii) ग्रैंड ट्रंक रोड पर वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क–पुल; और

(iii) महात्मा गांधी रोड पर वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क–पुल।

इन पुलों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

(i) **गोविन्दपुरी**–रेलवे ने बहुत पहले अपने खर्च पर पुल का निर्माण कर दिया है। पहुंच–मार्गों का निर्माण नगर महापालिका प्राधिकारियों द्वारा अपने खर्च पर किया जाना है। यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(i) **ग्रैंड ट्रंक रोड**–राज्य सरकार ने इस काम के तकनीकी ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में काम के अपने हिस्से के लिए रकम की व्यवस्था की है। ज्यों ही काम के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और राज्य सरकार पहुंच–मार्गों के निर्माण के अपने हिस्से का काम शुरु करेगी, रेलवे भी अपने हिस्से का काम आरम्भ कर देगी।

(iii) **महात्मा गांधी रोड**–तकनीकी ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और रेलवे ने काम के अपने हिस्से के लिए चालू वित्त वर्ष में रकम की व्यवस्था कर दी है। मालूम हुआ है कि नगर महापालिका, जिसे पहुंच मार्गों का खर्च देना है, अभी काम के अपने हिस्से पर रकम लगाने की स्थिति में नहीं है। ज्यों ही सड़क प्राधिकारी पहुंच–मार्गों के काम को शरू करने के लिए तैयार होंगे, रेलवे सुरंग–मार्ग बनाने का काम साथ–साथ शुरू कर देगी।

पालना कोयला खानों का बन्द होना

2709 डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **इस्पात खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर जिले (राजस्थान) में पालना कोयला खानें लगभग बन्द हो गई हैं और इसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक श्रमिक बेकार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) 1–4–67 से राजस्थान के बीकानेर जिले की पलाना लिगनाइट खानों ने उत्पादन बन्द कर दिया है। छटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या 101 है।

(ख) बन्द करने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) लिगनाइट की कम बिक्री ।

(2) संचयों का एकत्रण ।

(3) बड़े घाटों का जारी रहना ।

Purchase of Coal by Railway Authorities

2710. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government suffer a loss of 48 lakhs per month in the purchase of various grades of coal by the Railway authorities ;

(b) whether it is also a fact that the National Coal Development Corporation supply low grade coal and charge the price of good quality ;

(c) if so, whether Government propose to conduct an inquiry against the National Coal Development Corporation through the C. B. I.; and

(d) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) No.

(c) and (d) Do not arise.

Manufacture of Ophthalmic Glass

2711. Shri Rabi Ray :
Shri Madhu Limaye :
Shri Arjun Singh Bhadauria :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether the Indian Engineering Association had recommended the application of a private sector Company for the manufacture of ophthalmic glass ;

(d) whether it is also a fact that the said Company was not granted permission though such equipment was being imported at that time ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri (F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Jhuggi dwellers along Railway Line

2712. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of Jhuggi dwellers are residing along the railway line between the New Delhi Railway Station and Pul Mithai;

(b) wheteer the Municipal Corporation has told the Railway authorities that if Government given an undertaking that nobody would be allowed to settle there again, they can shift these jhuggi dwellers elsewhere;

(c) whether Government have given such an undertaking ; and

(d) the scheme of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) ; (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The area to be vacated by the jhuggi dwellers is mostly required by the Railway for developing terminal facilities at New Delhi.

स्कूटरों, मोटर साइकिलों और साइकिलों का निर्माण

2713. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में कितने स्कूटरों, मोटर साइकिलों और साइकिलों का निर्माण हुआ ; और

(ख) क्या उक्त मदों में से किसी का उत्पादन मांग से अधिक है और यदि हां, तो कितना ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966 के दौरान स्कूटरो, मोटर साइकिलो और साइकिलो के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है—

	संख्या
स्कूटर	20,971
मोटर साइकिल	25,039
साइकिल	16,30,000

(ख) जी, नहीं

आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

2714. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 854 के उत्तर के सन्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात लाइसेंस लेने के आवेदन पत्रों पर निर्णय करने के लिये उनकी प्राप्ति की तारीख से कितनी सीमा निर्धारित की गई है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जो आयात लाइसेंस लेने के आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होते हैं उन पर निर्णय लेनी की अधिकतम सीमा लाइसेस कार्यालय में प्राप्त होने से एक महीना बाद है यदि लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, किसी कारणवश इस आवेदन

पत्र पर इस अवधि में निर्णय लेने में असमर्थ है तो आवेदन कर्ता को अन्तरिम उत्तर दे दिया जाता है ।

Import of Dry Fruits

2715. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of dry fruits and coconuts imported from 1962 to 1966 year-wise by the State Trading Corporation and the quantity thereof ;

(b) the foreign exchange spent on the import of these dry fruits during the afro-said years; and

(c) the rate at which these commodities were sold and the profit earned therefrom ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : The State Trading Corporation has not imported any coconuts. However, S. T. C. imported copra in these years. A statement showing quantities and value of copra and dry fruits imported in the years 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 and 1966-67 is attached. (**Placed in Library, See No. LT-695/67**)

Export price of Tobacco

2716. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to declare minimum price of tobacco for being exported to foreign countries ;

(b) the price fixed at present ;

(c) the names of the countries to which tobacco was supplied during the last three years and the rates thereof, countrywise ; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned as a result thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinnesh Singh) : (a) to (c) : Two statements are placed on the Table of the house. (**Placed in Library See No.** LT-696/67)

(d) Foreign exchange to the extent of Rs. 30 crores is expected to be earned by exports during 1967.

जबलपुर-इटारसी सैक्शन पर यात्री बुकिंग

2717. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे जबलपुर-इटारसी सैक्शन के करपगांव, जुनेहटा, और बाकंज स्टेशनों पर सरकार का कब यात्री बुकिंग चालू करने का विचार है ; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) करपगांव स्टेशन के शीघ्र ही यात्री यातायात के लिए खोल दिया जायेगा। जुनेहटा और बाकंज स्टेशनों पर भी यात्रियों को टिकट देने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। ज्यों ही आवश्यक रकम उपलब्ध होगी, यह काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारी

2718. श्री प्र० कु० घोष : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु हो जाने के बाद कितने मामलों में उनका सेवा-काल बढ़ाया गया है ; और

(ख) ऐसे सब मामलों के बढ़ाये गये सेवा-काल की अवधि और इसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री(श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) सेवा निवृति की आयु हो जाने के बाद कम्पनी के नियमित कर्मचारियों में से किसी को भी सेवा काल बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं दी गई है सरकारी सेवा से निवृति के पश्चात चार पदाधिकारियो को कम्पनी में नौवहन उप नियंत्रक (दावे), विधि अधिकारी, उप नियंत्रक (संचलन) तथा नगर प्रशासक नियुक्त किया गया है। पहले तीन पदाधिकारियों का सेवा काल सितम्बर, 1967 तक तथा अन्तिम अधिकारी का जून, 1968 तक बढ़ाया गया है।

उनके कार्य, अनुभव तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके सेवा काल में वृद्धि किये जाना आवश्यक समझा गया।

E. C. M.

2719. Shri S. C. Samanta : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether steps are being taken to take advantage of the facilities provided by the countries of the European Common Market to Indian trade ;

(b) the names of the countries who have created difficulties or have expressed their reluctance in agreeing to the terms; and

(c) the loss or the profits accrued to India on account of trade facilities given by member countries of European Common Market ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Necessary steps have been taken to utilise tariff concessions on certain tropical products extended by the EEC, by way of suspension or reduction of duties, since 1st January 1964. Similarly, other facilities, such as those for participation in trade fairs and exhibitions, and technical assistance for marketing of India's products are being utilised, to the maximum extent possible.

(b) There have been no such instances.

(c) India's exports of products for which trade concessions have been given by the EEC are as follows :

1963 :	Rs. 480 Lakhs.
1964 :	537 lakhs.
1965 :	511 lakhs.
1966 :	437 lakhs.

There has thus been a moderate increase in our exports over the period 1963 to 1965. The decline during 1966 is due to several factors, mostly internal, like increased domestic consumption and lower output.

काजू का निर्यात

2720. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के काजू उद्योग पतियों से काजू का निर्यात करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि काजू कारखाने सारे वर्ष चलते रहे ; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत काजू के निर्यात की अनुमति दी जा रही है।

पूंजीगत सामान का आयात

2721. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किये गये प्रेस नोट के उत्तर में विदेशी मुद्रा के विशेष कोटे में से विदेशी मुद्रा जारी किये जाने के बारे में निर्यात वस्तु निर्माताओं से पूंजीगत सामान के आयात के लिये कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुए है ; और

(ख) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां

(ख) लगभग 4,70,00,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत सामान के आयात के लिये 124 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8 आवेदन पत्रो पर पूंजीगत सामान समिति के निर्णय प्राप्त कर लिये गये हैं। बाकी आवेदन पत्रों की विभिन्न स्तरो पर जांच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग

2722. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छोटे कस्बों तथा प्रगतिशील ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग की वृद्धि के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्यों के बीच, ऐसी योजना की कार्यान्विति को किस प्रकार समन्वित किया जा रहा है ?

औद्योगिक, विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है : [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 697/67]

जामूई (पूर्वी रेलवे) पर रेलवे यात्रियों को होने वाली असुविधा

2723. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जामूई स्टेशन (पूर्वी रेलवे, मुख्य लाइन) पर केवल एक ही खिड़की, जहां से टिकटें दी जाती है होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस स्टेशन पर यात्रियों को टिकटें देने के लिये एक अन्य खिड़की खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) आमतौर पर इस स्टेशन पर एक टिकट खिड़की से काम चलाया जाता हैं परन्तु भीड़-भाड़ के समय एक अतिरिक्त टिकट खिड़की भी खोल दी जाती है ।

माधोपुर-गरहारा माल गाड़ी

2724. श्री निहाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल (पूर्व रेलवे) के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट को झाझा के गार्डों तथा ड्राइवरों की ओर से नई माधोपुर-गरहारा मालगाड़ी के बारे में अभ्यावेदन मिले है ;

(ख) क्या उक्त अधिकारी ने झाझा के गार्डों तथा ड्राइवरों को कुछ आश्वाशन दिये थे ;

(ग) क्या समय बचाने की दृष्टि से नयी मालगाड़ी चालू करने की बजाय (समय सारणी के अनुसार) मालगाड़ियां चलाने के लिये झाझा के गार्डों तथा ड्राइवरों द्वारा कोई सुझाव दिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित आश्वासनों को पूरा किया गया है ;

(ङ) क्या गार्डों और ड्राइवरों के वेकल्पिक सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस नयी योजना के परिणाम स्वरुप बेकार हो गये ड्राइवरों और गार्डों को काम देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) झाझा के ड्राइवरों और गार्डों के पास पूरा काम रहता है, इसलिए उनके बेकार होने का सवाल नहीं उठता।

माधोपुर-गरहारा माल गाड़ी

2725. श्री निहाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये माल सम्पर्क (माधोपुर-गरहारा सम्पर्क) के स्थापित किये जाने से झाझा में रहने वाले ड्राइवरों को 12 घंटे से 8 घंटे तक अथवा उससे भी अधिक समय तक लगातार काम करना पड़ता है ;

(ख) क्या ड्राइवरों ने इतने अधिक घंटे काम करने के बारे में डिवीजनल सुपरिटेंडेंन्ट, दानापुर (पूर्व रेलवे) को कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस नये माल सम्पर्क को समाप्त करने तथा बचत करने के अन्य और कारगर तरीके निकालने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) उपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

रेलवे में कोयला परीक्षक

2726. **श्री निहाल सिंह :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अक्तूबर, 1957 को रेलवे बोर्ड ने निदेश दिया था कि कोयला परीक्षकों को बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस) –I–57 सी० पी० सी० 140 दिनांक 1 मार्च, 1957 के अनुसार पदोन्नीत किया जाये तथा उन्हें क्लर्क संवर्ग का ही अंग समझा जाये ;

(ख) क्या कोयला परीक्षकों के संवर्ग को पदोन्नीत करने के स्थान पर उन्हें दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) में अवनत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में बैटरी से चलने वाले ट्रक

2727. **श्री निहाल सिंह :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर वर्कशाप (पूर्वी रेलवे) में बैटरी से चलने वाले ट्रकों को चालू कर दिया गया है अथवा चालू करने का विचार है ;

(ख) क्या ट्रक ड्राइवरों का उन्हीं वेतनमानों तथा अर्ध-कुशल वर्ग में ही रखकर इन ट्रकों को चलाने को कहा गया है ;

(ग) क्या बैटरी ट्रक ड्राइवरों ने इस आधार पर कि इन ट्रकों का खड़े रह कर चलाना पड़ता है अपने वर्ग को कुशल वर्ग में वर्गीकरण किये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी हाल में बैटरी ट्रकों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) रेल कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण के निर्णय के अनुसार आटो ट्रक ड्राइवर (बैटरी या लिस्टर) अर्धकुशल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और उन्हें कुशल कर्मचारी के रूप में पुन: वर्गीकृत करने का औचित्य नहीं है।

दानापुर डिवीजन में कोयला परीक्षकों को रात्रि को कार्य करने का भत्ता

2728. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दानापुर डिवीज़न (पूर्वी रेलवे) के कोयला परीक्षकों को रात्रि को काम करने का भत्ता दिया गया था ;

(ख) क्या केवल एक महीने के लिये ही उनको यह भत्ता दिया गया था ;

(ग) क्या इसके बाद यह भत्ता बन्द कर दिया गया था ;

(घ) क्या अब यह भत्ता फिर चालू कर दिया गया है (1 अप्रैल, 1967 से) ;

(ङ) यदि हां, तो मध्यवर्ती अवधि के लिये कोयला परीक्षकों को यह भत्ता दिया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) : सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Cooperative Yarn Mills

2729. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the State-wise number of co-operative yarn mills which have already been set up and the number of those which are presently being set up in Maharashtra, Madras, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, respectively ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The number of Mills in the cooperative sector which have already been set up and those which are presently being set up are as under :—

State	No. of Mills Already Set Up	No. of Mills Being Set Up,
Maharashtra	4	18
Madras	13	—
Andhra Pradesh	3	3
Madhya Pradesh	—	1

Extension of over-bridge on Burhanpur Station

2730, Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people are residing on both the sides of Burhanpur Railway Station of the Central Railway and the residents of the localities have to go by crossing the railway lines, which endangers their lives;

(b) whether it is also a fact that the existing over-bridge at the station provides facility to go over only from one platform to the other ; and

(c) if so, whether any proposal for extending this over-bridge on both the sides is under consideration ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The town is 3 miles away from the station and only recently some houses have been constructed on either side of the station.

(b) Yes.

(c) No. The Railway is agreeable to provide a separate foot overbridge across the railway line at the cost of the State Government but the State Government are reluctant to bear the cost.

Stoppage of Varanasi Express at Nepanagar Station

2731. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Varanasi Express does not halt at the Nepanagar Railway Station, an important industrial city and at the Railway Station of Khirkiya, an important commercial centre on the Bombay-Delhi Railway line on the Central Railway ; and

(b) if so, whether any arrangement is being made for haltage of Varanasi Express at these Railway Stations for the convenience of public ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) and (b) Due to meagre offering of long distance traffic 27/28 Bombay-Varanasi Expresses have not been provided regular halts at Nepanagar and Khirkiya. These trains have, however, been provided request halts at Nepanagar for facility of I class passengers and their attendants travelling over 161 kilometres to and from this station.

पन्ना हीरों की खानें

2732. श्री बाबूराव पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतकाल में पन्ना की हीरे की खानों में हीरों का उत्पादन बराबर घटता जा रहा है, जिसके कारण इनका निर्यात भी कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पन्ना में वैज्ञानिक तरीके से हीरे निकालने के लिये विदेशी सहायता लेने का है ; और

(घ) उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) पन्ना हीरा परियोजना अभी वाणिज्य उत्पादन की अवस्था पर नहीं पहुँची है। तथापि पूर्वेक्षण तथा

परीक्षण खनन कार्यों के दौरान हीरे प्राप्त किये जाते हैं। हीरों की प्राप्ति जो 1960-61 में 123 कैरट थी, नियमित रूप से बढ़कर 1965-66 में 2798 कैरट हो गई। तथापित हीरों का उत्पादन 1966-67 में 2,407 कैरट था। उत्पादन में कमी आने का रामखेड़िया क्षेत्र में संचयों का प्रायः समाप्त हो जाना था। यहां परीक्षणार्थ खनन जारी था और खनन कार्यों को इस स्थान से हटा कर एक नये चुने हुये स्थान पर ले जाना पड़ा।

पन्ना हीरों के निर्यात के आंकड़े अलग से प्राप्त नहीं हैं। तथापि भारत से हीरों का निर्यात 1963–64 में 243 लाख रुपये से बढ़कर 1966-67 में 1107 लाख रुपये हो गया।

(ग) 1962 में मैसर्स जौन टलर्स एण्ड संज को इस परियोजना के परामर्शदाता नियुक्त किया गया। ये राष्ट्रिय खनिज विकास निगम को हीरा खानों का आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली पर विकास करने में मंत्रणा तथा सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(घ) रामखेड़िया तथा सभ्भगावान खानों से निक्षेपों के यांत्रिक खनन द्वारा उत्पादन बढ़ाने की योजना, जोकि अधिकतम वाणिज्य उत्पादन से कुछ कम स्तर की है, बनाई जा चुकी है और इस योजना की पूर्ति का निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

सब रत्न तथा जेवरात, जिसमें हीरे शामिल हैं की निर्यात को बढ़ाने के लिए एक जैम तथा ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल स्थापित की गई है। इस कौंसिल के कार्य हैं– वाणिज्य शिष्ट मण्डल तथा विक्रय दल भेजना, मन्डियों का अध्ययन करना, विदेशों में प्रचार करना तथा नुमाइशों तथा विदेशी प्रदर्शन ग्रहों में भाग लेना।

केरल में अखबारी कागज बनाने का कारखाना

2733. श्री श्रीधरन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 टन प्रतिदिन उत्पादन वाला एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अखबारी कागज तैयार करने के लिये आवश्यक कच्चा माल केरल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यह कारखाना केरल में स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) उत्तर प्रदेश। बिहार के किसी स्थान पर कागज का कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम स्थित टाइटेनियम कारखाना

2734. श्री वासुदेवन नायर : श्री अदिचन :
श्री जनार्दनन : श्री नायनार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित टाइटेनियम कारखाने के प्रसार के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है ;

(ख) यदि धन की मंजूरी अब तक नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विस्तार कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप की रूप रेखा के राजकीय क्षेत्र के लिये अस्थायी तौर पर 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केरल की योजना में इस योजना के लिये भी प्रयोगात्मक 2 करोड़ रुपये के व्यवस्था की है।

विस्तार कार्य आरम्भ करने के लिये 1967-68 के केन्द्रीय बजट में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

विस्तार कार्य को इस वर्ष के दौरान किसी समय आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

घड़ियों के पुर्जों का निर्माण

2735. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में घड़ियों के पुर्जे बनाने वाले तथा पुर्जों से घड़ी तैयार करने वाले पृथक-पृथक कितने कारखाने हैं ;

(ख) 1966-67 में कुल कितनी घड़ियों का आयात किया गया : और

(ग) इस अवधि में इस सम्बन्ध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) इस समय बड़े पैमाने पर घड़ी तैयार करने वाले दो यूनिट हैं। इनमें से एक राजकीय और दूसरा गैर-सरकारी क्षेत्र में है। वे अपने प्रयोग के लिये घड़ी के पुर्जों का भी निर्माण करते हैं।

(ख) और (ग) अप्रैल 1966 से जनवरी 1967 की अवधि के बीच में घड़ियों के आयात किये जाने के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

विवरण	मात्रा (संख्या)	कीमत (रुपयों में)
हाथ की घड़ियां	1200	38,000
स्टाप घड़ियां	2200	73,000
अन्य घड़ियां	2100	63,000

कपड़े का निर्यात

2736. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री घुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच यह है कि 1966 में पहले वर्ष की तुलना में विदेशों को कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1965 और 1966 के वर्षों में निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े का विवरण इस प्रकार है :–

1965	–	745.5 करोड़ रुपये (157.14 करोड़ डालर)
1966	–	783.0 करोड़ रुपये (127.63 करोड़ डालर)

कपड़े का उत्पादन

2737. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में मिलों के तथा हाथकरघों के कपड़े का पृथक-पृथक कितना उत्पादन हुआ तथा उसकी प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क)	मिलों में बना सूती कपड़ा	–	4203 करोड़ मीटर
	हथकरघा और शक्ति चालित करघों से बना सूती कपड़ा	–	3102 करोड़ मीटर
	प्रति व्यक्ति उपलब्धता	–	13.75 मीटर

(ख) 1965-66 की तुलना में इस वर्ष मिल में बने सूती कपड़े के उत्पादन में कमी हुई है जब कि हथकरघा और शक्ति चालित करघों से बने सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है । 1965-66 में मिल में बने सूती कपड़े का उत्पादन 4402 करोड़ और हथ करघा और विद्युत शक्ति चालित करघों से बने सूती कपड़े का उत्पादन 3039 करोड़ मीटर था ।

(ग) 1966-67 के दौरान सूती कपड़ा मिल पर (1) क्रय शक्ति के कम होने के (2) कई राज्यों में बिजली में कमी करने (3) हफ्ते में एक दिन और मिल के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप सूती कपड़े में संकट उत्पन्न होने और (4) वित्त की कमी के कारण सूती कपड़े के उद्योग पर बहुत भार पड़ा है।

लघु आविष्कार विकास बोर्ड

2738. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **औद्योगिक, विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु आविष्कार विकास बोर्ड ने 1966-67 में पुरस्कार दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 698/67]**

पांडू और अमीनगांव के बीच नौका सेवा

2739. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमीन-गांव में रहने वाले और पाँडू-गोहाटी क्षेत्र में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिये पांडू और अमीनगांव के बीच रेलवे प्रशासन के खर्चे से नौका सेवा चलाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट पुल के चालू हो जाने के बाद से अब तक प्रतिमास कितना व्यय किया गया हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान शटल को आगथुरी स्टेशन तक बढ़ाने का है तथा नौका सेवा चलाने पर इस समय किये जा रहे व्यय को बचाने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हां।

(ख) और (ग) दोनों ओर से नौका सेवा के फेरे पाँच से घटा कर दो कर दिये गये हैं। इससे खर्च में जो बचत हुई है, वह इस प्रकार है :—

वर्ष	औसत मासिक खर्च (रुपयों में)
1963-64	1,30,000
1964-65	1,34,000
1965-66	92,000
1966-67	54,000

आगथुरी में टर्मिनल सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए आगथुरी तक शटल सेवाओं को बढ़ाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सम्बन्धी चयन समिति

2740. **श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता संगठन ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कुछ चुनीदापदों पर पदोन्नति के लिये कर्मचारियों को चुनने से सम्बन्धित चयन समिति की सिफारिशों को अपने इच्छा के अनुरूप क्रियान्वित किये जाने के कुछ मामलों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मामलों में जांच की जा चुकी है ;

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाये गये ; और

(घ) भविष्य में ऐसी बात की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक

(ग) कोई नहीं, क्योंकि शिकायत निराधार पायी गयी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का छपाई का काम

2741. **श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कुरसिआंग में अपना प्रैस होने पर भी इस रेलवे का छपाई का गैर-सरकारी प्रैसों में कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पाँच वर्षों में इस मद पर तथा कुरसिआंग में प्रेस चलाने पर पृथक पृथक कितना धन व्यय हुआ है ।

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन में मालीगांव में एक प्रैस खोले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना संलग्न बयान में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 699/67]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डोईवाला के निकट दुर्घटना

2742. **श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 मई, 1967 को डोईवाला के निकट दुर्घटनाग्रस्त होने वाली मालगाड़ी के साथ। जिसमें 5 व्यक्ति मारे गये थे और अन्य कई व्यक्ति घायल हुए थे, प्रथम श्रेणी का डिब्बा क्यों जोड़ा गया था ;

(ख) पश्चिम रेलवे के कर्मचारी के उन सम्बन्धियों के नाम क्या हैं जो इस दुर्घटना में मारे गये थे अथवा घायल हुए थे ;

(ग) क्या इस अधिकारी के लिये इस मालगाड़ी के साथ प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ कर उस में यात्रा करना उचित था ; और

(घ) क्या मालगाड़ी के साथ इस प्रकार प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ने की अनुमति देने वाले सभी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हरद्वार में पहले दर्जे का जो सवारी डिब्बा फालतू पड़ा था, अतिरिक्त यातायात के लिए देहरादून में उसकी आवश्यकता थी। विलम्ब न हो, इसलिए उसे मालगाड़ी से भेजा गया। आमतौर पर कोचिंग स्टाक को मालगाड़ियों से भेजने की अनुमति नहीं है। ऐसे डिब्बे मालगाड़ियों से उसी हालत में भेजे जाते हैं जब वे खराब हों और उन्हें सवारी गाड़ियों में लगाने की अनुमति न हो।

(ख) मृत रेलपथ निरीक्षक के जिन सम्बन्धियों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई अथवा जो घायल हुए, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

जिनकी मृत्यु हुई

(1)	श्री गोविन्द राव	श्वसुर
(2)	श्रीमती राधाबाई	सास

जो घायल हुए

(1)	श्रीमती सरला	पत्नी
(2)	श्री महेश	पुत्र
(3)	कुमारी संध्या	पुत्री
(4)	कुमारी निशि	पुत्री

(ग) उस कर्मचारी का अनधिकृत रूप से इस सवारी डिब्बे में बैठना और बिना वैध अनुमति अथवा पास के मालगाड़ी में यात्रा करना नितान्त अनुचित था।

(घ) इस आशय की हिदायत पहले से है कि कोचिंग स्टाक को मालगाड़ियों से न भेजा जाय। सभी सम्बन्धित लोगों का ध्यान इस हिदायत की ओर फिर दिलाया गया है।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी उपयुक्त कारवाई की जायेगी ।

उड़ीसा में माल डिब्बों की कमी

2743. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की कमी होने के कारण उड़ीसा से बिहार भेजे जाने वाले धान के बीज शीघ्रता से नहीं भेजे जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है तथा वे कितने कम हैं ;

(ग) इस काम के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार अथवा बिहार सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन आया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । 27 अप्रैल से 1 जून, 1967 की अवधि में उड़ीसा से धान का बीज बिहार पहुंचने के लिए 174 माल डिब्बों की मांग दर्ज की गयी और बीज अविलम्ब बिहार भेज दिया गया । 1 जून 1967 को माल डिब्बों की कोई मांग बकाया नहीं थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी नहीं ।

क्रोम अयस्क का उत्पादन

2744. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रतिवर्ष 300 लाख टन क्रोम अयस्क और 100 लाख टन अन्य धातु लौह अयस्क उत्पादन करने और सरकारी क्षेत्र में की गई 102 करोड़ रुपये की व्यवस्था से बहुत कम वित्तीय नियतन से यह उत्पादन करने के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुए प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : इस प्रस्ताव के विषय में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

Textile Mill at Bhind in M. P.

2745. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) to whom and when the letter of intent for establishing a textile mill at Bhind city of Madhya Pradesh was given;

(b) when the work of establishing the mill is likely to be completed; and

(c) the progress made so far towards the establishment of the Mill ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) M/s Bharat Commerce and Industries Ltd., Calcutta had been granted a licence for setting up a new cotton spinning mill at Bhind, Madhya Pradesh in April 1962. Having dropped the idea of setting up this unit the party has since surrendered the licence.

Gwalior Engineering Works

2746. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the factory known as the Gwalior Engineering Works located at Gwalior city in Madhya Pradesh was taken over by the Central Government from the State Government;

(b) the steps since taken for the development of the factory;

(c) the annual income and expenditure of the factory at present and its annual production; and

(d) whether the question of manufacturing railway coaches in the factory is under consideration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

फिएट कारों का निर्माण

2747. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिएट कारों की निर्माण संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में बनने वाली सभी कारों के निर्माण की वार्षिक संख्या क्या होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) देश में फिएट कार के निर्माता, मैसर्स प्रीमियर ओटोमोबायल लि०, बम्बई ने फिएट कार की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 तक पहुंचाने का एक सुझाव दिया है। सुझाव की जांच की जा रही है। चौथी योजना के अन्तर्गत यात्री गाड़ियों के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने को अभी अन्तिम रूप देना है।

Cement Factory in Bhutan

2748. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a cement factory in Samachi district of Bhutan;

(b) if so, the amount likely to be spent thereon;

(c) the terms of collaboration; and

(d) when the work is likely to commence ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :
(a) The Government of India do not propose to set up a cement factory in Bhutan;

(b) to (d) Do not arise.

बल्गारिया को मशीनी औजारों का निर्यात

2749. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलगारिया भारत से मशीनी औजार खरीदने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों और निबन्धों पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 14 फरवरी, 1964 को भारत और बल्गारिया के बीच किये गये पंचवर्षीय व्यापार तथा भुगतान समझौते में भारत से बल्गारिया को मशीनी औजार निर्यात करने का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1966 में राज्य व्यापार निगम द्वारा बल्गारिया को 2.61 लाख रु० के मशीनी औजार बेचे गये थे। राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1967 में अब तक कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं किये गये हैं।

इस्पात की बिक्री

2750. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में उत्पादित लोह तथा इस्पात काफी समय बाद बेचा जाता है और अन्य स्थानों को भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) निरीक्षण, परीक्षण, बंडल बनाने और रेल के डिब्बे प्राप्त करने का प्रबन्ध करने के कारण उत्पादन और प्रेषण के बीच समय लग जाता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादकों के साथ ऐसी बात है। कभी-कभी विभिन्न मार्गों पर गाड़ियों के आने जाने में रुकावट पड़ने अथवा रेल के डिब्बे न मिल सकने से भी माल भेजने में देरी हो जाती है। कई बार मांग से अधिक उत्पादन होने के कारण भी माल पड़ा रहता है और कई बार आर्डर प्राप्त होने की आशा में भी माल तैयार कर लिया जाता है क्योंकि उस समय जितने आर्डर होते हैं उनके लिए माल तैयार करना लाभप्रद नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब तक आर्डर प्राप्त नहीं हो जाते माल पड़ा रहता है।

First Class and Air-conditioned Coaches

2751. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the income derived from the First Class and Air-conditioned coaches during the last three years.

(b) whether the income from the above mentioned coaches is proportionately less than the income from third class coaches; and

(c) whether Government propose to reduce the number of first class and air-conditioned coaches ?

The Minister of Railways (Shri C, M. Poonacha) : (a) The income from first class and air-conditioned travel during the last three years was as under :

(figures in lakhs of rupees)

	1963-64	1964-65	1965-66
Air-conditioned class	173	180	199
First class	1341	1470	1687

(b) On the basis of the available capacity of each class of coach and the actual earning per passenger kilometre in 1965-66, the earning per kilometre from an air-conditioned coach is a little higher than the earning from a III class coach of both a mail and an ordinary train. The earning per kilometre from a I class coach is at par with that of a III class coach of an ordinary train and about 80% of a III class coach of a mail train.

(c) No.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति

2753. **श्री कार्तिक ओरांओं :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में विस्थापित व्यक्तियों से, आदिवासियों से, नौकरी के लिये विशेषकर श्रेणीवार कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए;

(ख) वास्तव में श्रेणीवार कुल कितने-कितने विस्थापित व्यक्ति नियुक्त किये गये तथा उनमें कितने आदिवासी श्रेणीवार थे;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्त करने का है जो विभिन्न पदों के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। विस्थापित व्यक्तियों से अलग से आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे। सभी पात्र व्यक्तियों का इन्टरव्यू लिया गया था और उपयुक्त व्यक्तियों की एक तालिका तैयार की गई थी।

(ख) श्रेणी में	आदिवासी	अन्य
(एक) 400-950 रु०	कोई नहीं	2
(दो) 100-575 रु०	44	2ɔ
(तीन) 110 रु० तक	1057	404

(ग) और (घ) उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता को देखते हुए अधिक से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को काम देने का इरादा है। जबकि इस समय काफी खाली स्थान नहीं हैं, जब भी उपयुक्त रिक्तियां होंगी, विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार देने पर विचार किया जायेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

2754. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या **ओद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के प्रबन्धक अपनी नीति के अनुसार नियुक्तियों के मामले में स्थानीय लोगों को वरीयता देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 को कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) जिस जिले में परियोजना है वहां के तथा उसके आसपास के जिले के स्थानीय लोगों की कुल संख्या कितनी थी;

(घ) राज्य के लोगों (स्थानीय लोगों को छोड़कर जिस राज्य में परियोजना है वहां के लोगों की) कुल संख्या कितनी थी;

(ङ) अन्य राज्यों के लोगों की कुल संख्या कितनी थी; और

(च) ऐसे स्थानीय लोगों की कुल संख्या कितनी थी जिनका मासिक वेतन

(1) 1600 रुपये अथवा उससे अधिक था

(2) 1000 रुपये और उससे कम; और

(3) 1600 रुपये मासिक था ?

ओद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भर्ती के मामले में भारी इंजीनियरी निगम, रांची के प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया है कि यह अच्छा होगा यदि निम्न वेतन क्रमों के स्थान परियोजना के निकट के क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्राप्त कर लिये जायें।

(ख) 16426।

(ख) और (ग) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ही ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार श्रेणी तीन और श्रेणी चार या समान श्रेणियों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के आधार पर की जाती है और राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों की कुल संख्या 13823 है, जिनमें से 10742 पदों पर बिहार के ही लोग नियुक्त हैं।

रेलवे के राजपत्रित कर्मचारी

2755. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के राजपत्रित कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उनके वेतन-क्रम अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन-क्रम के समान निर्धारित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस मांग पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिवेदन यह है कि सरकार के दूसरे विभागों में किये गये संशोधन के अनुरूप उनके वेतन मानों में संशोधन किया जाये।

(ख) सरकार इसके बारे में पहले से छान-बीन कर रही है।

नर्म इस्पात का निर्यात

2756. श्री मु० कु० तापड़िया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्के (माइल्ड) इस्पात का निर्यात घट गया है और लगभग बन्द होता जा रहा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वस्तु का पुनः निर्यात करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रानाघाट के रेलवे टिकट घर पर आक्रमण

2757. श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रानाघाट स्टेशन के टिकट घर पर एक भारी भीड़ ने आक्रमण किया तथा रेलवे सम्पत्ति लूटी और नष्ट की ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण थे तथा इसके परिणामस्वरूप जान तथा रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) जी हां। रिपोर्ट मिली है कि 14-5-67 को लगभग 22.30 बजे एक कथित भूतपूर्व अपराधी सहित एक विवाहिता लड़की और एक लड़के को सरकारी रेलवे पुलिस रानाघाट के सामने पेश किया गया और यह आरोप लगाया गया कि लड़का लड़की को भगा कर ले जा रहा था। पुलिस द्वारा पूछ-ताछ के बाद मालूम हुआ कि लड़का और लड़की परस्पर संभ्राता और संभगिनी है और उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में तीसरे आदमी को भी छोड़ दिया गया। लड़की और लड़के से पुलिस की पूछ-ताछ की कारवाई से लोग भड़क उठे और उन्होंने मांग की कि जिस आदमी ने भूठा आरोप लगाकर उपयुक्त व्यक्तियों को पुलिस के सामने पेश किया था, उसे उनके हवाले कर दिया जाये। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। बाद में भीड़ हिंसक हो उठी और उसने पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब स्थिति को अधिक गम्भीर होते देखा, तो उसे अपनी जान और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। 15-5-67 को लगभग 02.30 बजे भीड़ फिर पुलिस स्टेशन पर इकट्ठी हो गयी और बेकाबू होकर पत्थर आदि फेंके जिससे सब-डिवीजनल अफसर और पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयीं। भीड़ का हमला इतना ज़ोरदार था कि रानाघाट के पुलिस अधिकारियों और सब-डिवीज़नल अफसर को गोली चलाते हुए पुलिस स्टेशन से हटना पड़ा। उसके बाद भीड़ ने सरकारी रेलवे पुलिस थाने को आग लगा दी, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, टिकट घर, प्लेट फार्म आदि में घुसकर सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 3 व्यक्ति मरे और 17 घायल हुए। रेल सम्पत्ति को लगभग 15,700 रुपये की क्षति का अनुमान है।

सरकारी रेलवे पुलिस रानाघाट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/148/-307/309/332/379/399/426 और 436 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और इसकी छान-बीन की जा रही है। अभी तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने की रिपोर्ट मिली है।

इस्लामी साझा बाजार

2758. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कराची में हुए एक सम्मेलन में इस्लामी साझा बाजार बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या ऐसा बाजार बनने से भारत के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या ऐसी संभावना के प्रतिकार के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 22 से 29 अप्रैल, 1967 तक किराची में मोतामर अल-अलाय-अल-इसलामी (विश्व मुस्लिम संघ) की कार्यकारी परिषद की बैठक हुई थी। इसमें पारित किये गये संकल्पों में से एक संकल्प में मुस्लिम देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया था। इस अवसर पर आयोजित एक विचार गोष्ठि में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमने उद्घाटन अभिभाषण में एक इस्लामिक साझा बाजार बनाने की वांछनीयता का उल्लेख किया था। तथापि, एक इस्लामिक साझा बाजार बनाने के लिये इस सम्लेलन में किये गये किसी निर्णय का सरकार को पता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

2759. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने विभिन्न राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को ऋण के रूप में कितना धन दिया था ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रत्येक बोर्ड ने खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितनी रकम वापिस लौटाई थी; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 892 लाख रु० ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रत्येक राज्य बोर्ड द्वारा पिछले ऋणों की निम्न राशि चुकाई गई थी ;

क्रम संख्या	राज्य	चुकाये गये ऋण (लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र	277.38
2.	आसाम	65.11
3.	बिहार	414.34
4.	गुजरात	462.49
5.	जम्मू तथा कश्मीर	12.04
6.	केरल	151.22
7.	मध्य प्रदेश	95.92
8.	मद्रास	377.75

9.	महाराष्ट्र	280.52
10.	मैसूर	239.10
11.	उड़ीसा	169.15
12.	पंजाब	136.28
13.	राजस्थान	275.90
14.	उत्तर प्रदेश	51.48
15.	पश्चिम बंगाल	99.50
		कुल 3108.18

(ग) पहले आयोग राज्यों बोर्डों को ऋण चुकाने के लिये उस समय कहता था जब ऋण की अवधि समाप्त होती थी। अब आयोग उनके उत्पादन और बिक्री के स्वीकृत कार्य-क्रम के आधार पर विभिन्न राज्य बोर्डों की निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। आयोग द्वारा राज्य बोर्डों को अग्रेतर निधियां राज्य बोर्डों के पास पहले से उपलब्ध निधियों का हिसाब लगा कर दी जाती हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिया गया ऋण

2760. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सरकार द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) आयोग द्वारा कितना ऋण तथा ब्याज यथा समय पर वापिस किया गया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मई, 1967 तक 72.52 करोड़ रु० ।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा सरकार को ऋण का भुगतान करने के लिये आयोग द्वारा संस्थानों को दिये गये ऋणों का वापस लिया जाना आवश्यक होगा। इससे आयोग के उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा चूंकि संस्थानों के पास काम चलाने के लिये अपना पैसा नहीं है। आयोग तथा सरकार के द्वारा यह अनुमान लगाये जाने तक कि आयोग को कितनी संचालन निधि की आवश्यकता होगी। जिन ऋणों की अवधि समाप्त होती जा रही है उनका नवीकरण किया जा रहा है ताकि वह संचालन निधि का काम दे सके।

आयोग द्वारा राज्य बोर्डों और संस्थानों से ब्याज के रूप में वसूल किया गया 81.14 लाख रु० आयोग द्वारा 31-3-1967 तक सरकार के खाते में जमा करा दिया गया है। ऋणों की मंजूरी के लिये निबन्ध और शर्तों के अनुसार, ब्याज में रियायत देने के स्थान पर सरकार राज सहायता देती है और आयोग द्वारा सरकार को देय ब्याज में किसी भी कमी को उस राशि से पूरा कर लेती है।

उत्तर प्रदेश के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें

2761. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उत्तर प्रदेश को जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों की कितनी आवश्यकता थी; और

(ख) इस अवधि में उस राज्य के लिये कितनी संख्या में इन चादरों का नियतन किया गया और वास्तव में कितनी चादरें दी गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 26,1000 टन।

(ख) 1966-67 में किसी भी राज्य को कमी के कारण नालीदार जस्ती चादरें नहीं दी गई। 1966-67 में पहले के विधान पर यू० पी० को 1571 टन नालीदार जस्ती चादरें भेजी गई। इनके अलावा 1966-67 में यू० पी० को 4083 टन काली नालीदार चादरें भेजी गई। यह चादरें नालीदार जस्ती चादरों की जगह इस्तैमाल की जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के लिये स्टेनलैस स्टील

2762. विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उत्तर प्रदेश ने कितना स्टेनलैस स्टील मांगा था; और

(ख) इस अवधि में उस राज्य को वास्तव में कितना स्टेनलैस स्टील दिया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख) : 1966-67 में प्रत्येक राज्य की स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता का पता नहीं लगाया गया क्योंकि अगस्त 1966 में "आयात में ढील देने" की नीति लागू करने से आयात लाइसेंस मूल अवधि में दिये गये लाइसेंसों के आधार पर दिये जाने हैं। लघु उद्योगों को 1964-65 में दिये गये लाइसेंसों के मूल्य से तीन गुना मूल्य तक लाइसेंस मिल सकते हैं यदि उद्योग 'प्राथमिक उद्योगों' की सूची में हो अन्यथा दुगुने मूल्य के लिए लाइसेंस मिल सकते हैं।

चार्जमैनों और फोरमैनों की अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन

2763. श्री स० च० बेसरा : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको जानकारी है कि भारतीय रेलों के चार्जमैनों और फोरमैनों के नवम्बर, 1966 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) क्या उन्होंने अपनी मांगों के बारे में कुछ संकल्प पारित किये थे और उनकी प्रतियां उनके विचारार्थ उन्हें भेजी गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो संकल्पों में क्या मुख्य मांगें रखी गई थीं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मांगें उनके वेतन-मांनों और एसोसियेशन को मान्यता देने आदि के सम्बन्ध में थी । सरकार को ये मांगें स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता ।

अरकोणम में निरन्तर इस्पात ढलाई संयन्त्र

2764. श्री सम्बन्धन : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामीलनाड के अरकोणम में एक निरन्तर इस्पात ढलाई संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था; और

(ग) अब यह किस अवस्था में है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) आशय-पत्र 10 फरवरी, 1964 को दिया गया था ।

(ख) दी मद्रास स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कारपौरेशन लिमिटेड ने 6 मई, 1967 को सोवियत संघ के मैसर्स 'मशीनोएक्सपोर्ट' के साथ उपकरणों और साज-सामान की पूर्ति के लिए एक करार किया है । 6 मई, 1967 को एक और करार भी किया गया जिसके अनुसार मशीनें लगाने का कार्य सोवियत विशेषज्ञों की तकनीको देख रेख में होगा । मशीनोएक्सपोर्ट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया गया है ।

दक्षिण रेलवे में इंजनों के साथ चलने वाले कर्मचारी

2765. श्री नम्बियार : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में इंजनों के साथ जाने वाले कर्मचारी विशेषकर फायरमैन और खलासी पांच से आठ वर्ष की सेवा के पश्चात् भी अस्थायी ही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वर्गों के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस कारण कर्मचारियों के इस वर्ग को मील भत्ता तथा समयोपरि भत्ते की ओसतन गणना उपलब्धियों में हानि होती है ?

रलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कर्मचारियों का स्थायी किया जाना, स्थायी जगहें उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । कार्यभार के महत्व के आधार पर स्थायी जगहें निर्धारित करने की दिशा में आवश्यक कारवाई की जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

रेलवे वेतन (पे) क्लर्क

2766. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के वेतन (पे) क्लर्कों के लिए यह अनिवार्य करके, कि जिस कमरे में तिजोरी रखी जाती है, उस दिन की राशि जमा कराने के बाद रात के दौरान नहीं छोड़ें, उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार ड्यूटी पर रहने के लिए बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या तिजोरी वाले कमरे में ताला लगाकर और मोहर लगाकर उस पर रात्रि के समय सशस्त्र पहरेदार बिठाने की व्यवस्था नहीं है; और

(ग) इस वर्ग के कर्मचारियों के काम के घंटे विनियमित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) तिजोरी वाले कमरों में ताला और मोहर लगाकर उन पर सशस्त्र सन्तरियों का पहरा बैठाया जाता है।

(ग) रेलवे के वेतन क्लर्कों पर काम के घन्टों से सम्बन्धित विनियम पहले से लागू हैं।

आर्थिक सत्ता का गैर-सरकारी क्षेत्र में संचित हो जाना

2767. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महलनवीस समिति के प्रतिवेदन तथा एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन से इस बात का पता चलता है कि जब से पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई है तब से आर्थिक सत्ता का गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत अधिक संचय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दोनों प्रतिवेदनों में, गैर-सरकारी क्षेत्र में, आर्थिक सत्ता के संचय अनेक पृष्ठक निर्दशित हैं।

महलनवीस समिति ने आम तथा रहन-सहन के स्तर के वितरण से पता लगाया है कि राज्य द्वारा अपनाये गये सभी प्रतिस्पर्धात्मक तरीकों के बावजूद "गैर-सरकारी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता का संचय, क्रियात्मक आधार पर, जितना आवश्यक, न्यायसंगत ठहरता हो, उससे अधिक ही है"।

एकाधिकार जाँच आयोग के अधिकांश प्रतिवेदन में दो प्रकार के संचय का उल्लेख है, जो उन्होंने 'उद्योग-अनुसार या उत्पादन अनुसार संचय' तथा 'देश-अनुसार संचय' निर्बंधित किये हैं। उद्योग-अनुसार या उत्पादन अनुसार संचय के सम्बन्ध में आयोग ने पता लगाया है कि ऐसा संचय, सीमित संख्या के उत्पादकों के रूप में, जो तुलना में बाजार के अत्याधिक

शेयर धारी हैं विद्यमान हैं। द्वितीय अर्थात् देश-अनुसार संचय के सम्बन्ध में, आयोग का निष्कर्ष है कि इस प्रकार के संचय के भी कुछ तरीके विद्यमान हैं। फिर भी बहुमत की दृष्टि यह थी कि ऐसे संचय से देश की आर्थिक उन्नति में सहायता प्राप्त हुई है। "आयोग ने, देश की अर्थ व्यवस्था में, आर्थिक सत्ता के संचय के कुछ दुष्ट परिणामों का भी उल्लेख किया है जैसा कि एकाधिकारों के निर्गमन की जोखिय, ग्राहकों के लिये ऊंचे मूल्य, घटिया किस्म तथा अन्तिम परन्तु अल्पतम नहीं, लघु उद्योगपतियों को बाहर रखना।"

(ख) सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही, इसके 5 सितम्बर, 1966 के संकल्प में, जो सदन के पटल पर 6 सितम्बर, 1966 को रखा गया था, निर्दशित है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

2768. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1966 को रूरकेला इस्पात कारखाने के विद्युत संयंत्र के बन्द हो जाने के बारे में सरकार ने जांच की है;

(ख) इस संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण कितनी हानि हुई थी;

(ग) क्या यह संयंत्र कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बन्द हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां। राउरकेला इस्पात कारखाने का पावर प्लान्ट 13 जनवरी 1966 को खराब हुआ था न कि 11 जनवरी 1966 को। एक उच्चशक्ति समिति ने इस मामले की जांच की थी। यह समिति राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक ने इस उद्देश्य से नियुक्त की थी।

(ख) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस खराबी के कारण उत्पादन में 7.28 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ग) और (घ) जिस पार्टी को इस खराबी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई अतः आगे कार्यवाही करना सम्भव नहीं था।

रूरकेला इस्पात कारखाना टाउनशिप

2769. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला स्थित हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने के सिविल टाउनशिप क्षेत्र में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जित की गई भूमि से किन्हीं खास-खास व्यक्तियों को भूमि दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को इस तरह भूमि आवंटित की गई है और उन्हें निजी व्यापार के लिये किस आधार पर भूमि मिली है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं जैसे सिनेमा, सर्विस स्टेशन आदि की पूर्ति के लिए पांच व्यक्तियों को भूमि दी गई है। भूमि का आबंटन सक्षम प्राधिकारियों ने उनको सौंपे गये अधिकारों के अनुसार भली प्रकार छानबीन करने के पश्चात् किया है। कुछ मामलों में आवंटन असैनिक प्राधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

वस्तु बोर्ड

2770. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विभिन्न वस्तु बोर्डों के अध्यक्षों की एक बैठक एर्नाकुलम में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई थी तथा क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। 12 मई, 1967 को एर्नाकुलम में विभिन्न वस्तु (बागान) बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक हुई थी।

(ख) बैठक में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई उनका सम्बन्ध इन इन से था : विकास कार्य के लिये वित्त, प्रगति कार्यों (जैसे प्रचार, अन्तर्राष्टीय बैठकों में भाग लेना) के लिये विदेशी मुद्रा, बागान सामग्री का सम्भरण, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, छिड़काव द्वारा सिंचाई करने के उपकरण और अनुसंधान अधिकारियों और बागान प्रबन्धकों की संयुक्त बैठकें। सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

2771. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967–68 में उड़ीसा राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में शक्तिचालित हलों का निर्माण

2772. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में शक्तिचालित हलों के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : शक्तिचलित हलों के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये 24 अगस्त, 1963 को उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को एक आशयपत्र दिया गया था। तथापि, 29 मार्च, 1967 को उन्होंने सरकार को सूचना दी है कि इस परियोजना की स्थापना में वे अब रुचि नहीं रखते हैं। अतः उनको जारी किया गया आशय पत्र रद्द कर दिया गया है।

उड़ीसा में ऊपरी/निचले पुल

2773. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में सरकार द्वारा उड़ीसा में कितने ऊपरी पुल तथा निचले पुल बनाने का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उसका विवरण क्या है और इस कार्य के लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई इस्पात परियोजना

2774. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना से निर्माण संबंधी कितने इंजीनियरों की छंटनी की गई है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या इन इंजीनियरों को बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्य में रोजगार देने पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने का प्रथम विस्तार संबंधी निर्माण-कार्य पूर्ण हो जाने से कारखाना अधिकारियो के निर्माण कार्य में लगे हुये 19 इंजीनियरों की छंटनी की थी।

(ख) जी, हां ।

(ग) बोकारो इस्पात प्रायोजना अधिकारियों ने इन उन्नीस इंजीनियरों में से सात को नौकरी दे दी है ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2775. **श्री चिन्तामणि पणिग्रही :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क की सप्लाई के लिये जापानी फर्मों के साथ वर्तमान करार क्या है;

(ख) क्या जापानी फर्मों ने पारादीप बन्दरगाह से वर्तमान करार में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा में लौह अयस्क स्वीकार करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने कितनी अतिरिक्त मात्रा स्वीकार करने की पेशकश की है; और

(घ) पारादीप बन्दरगाह से निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) वर्तमान ठेके के अन्तर्गत 1967–68 के दौरान जापान को लगभग 6 लाख टन लौह अयस्क दिया जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पारादीप की नई बन्दरगाह डुबाव और माल लादने की सुविधाओं में कलकत्ता और दाल्दिया जैसी साथ लगती बन्दरगाहों से अधिक आकर्षक है । बावजूद इसके कि पारादीप पत्तन तक कोई सीधा रेलवे सम्पर्क नहीं है और बाराजमादा क्षेत्र से अयस्क को पहले भुवानेश्वर पर उतारना पड़ता है और फिर सड़क के रास्ते पारादीप तक ले जाना पड़ता है, फिर भी प्रति मास पारादीप पत्तन से लगभग 30,000 टन माल जहाजों पर लादा जाता है । प्रबन्ध किये जा रहे हैं और आशा है कि जुलाई से यह मात्रा बढ़कर 60,000 टन और नवम्बर से 90,000 टन हो जायेगी । कटक के निकट पूर्वतट लाइन से पारादीप तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रश्न भी रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

खनन क्षेत्रों के आरक्षण को समाप्त करना

2776. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे कुछ खनन क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं ताकि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) उन खनिजों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) हां, महोदय। महाराष्ट्र सरकार से मैंगनीज अयस्क वाले क्षेत्र को आरक्षित न करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव निजी पक्षों को खनिज रियायतें देने के विचार से किया गया। निर्णय किया गया कि महाराष्ट्र के केवल ऐसे मैंगनीज अयस्क वाले क्षेत्रों से आरक्षण हटा दिया जाय जिन्हें कि वित्तीय दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में विदोहन करने के लिये अनुपयुक्त समझा गया है। सम्बद्ध विवरण में दिखाये गये क्षेत्र खनिज रियायतें देने के लिये छोड़ दिये गये।

विवरण

I. **नागपुर जिला**

(1) **खण्ड नं० 1**

(क) कोठा–खापा, पाडरी

(ख) पारसिऔनी

(2) **खण्ड नं० 3**

नालगोंडी, सीतागोंडी, पँधरी घोलपुर

(3) **खण्ड नं० 4**

मंदरी, भंडारबोदी

II. **भण्डार जिला**

(1) **खण्ड नं० 6**

कारली, एलसूर, पांगदी, रोंगा, देवनाड़।

(2) **खण्ड नं० 7**

फेरटेरा, हियूरो, नवागांव।

हावड़ा–पुरी एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

2777. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस (दक्षिण–पूर्व रेलवे) हावड़ा स्टेशन से कुल कितने दिन देरी से चली थी;

(ख) गाड़ी के देरी से छुटने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या मई, 1967 में किसी कारण कुछ सुधार हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) 8 अप हवड़ा-पुरी एक्सप्रेस अप्रैल और मई, 67 में हवड़ा से क्रमशः 6 और 7 दिन देर से चली थी। इसका मुख्य कारण यह था कि परिचालन सम्बन्धी कारणों से गाड़ी का रेक संतरागाछी यार्ड से देर में पहुंचा और 83 अप हवड़ा-रांची एक्सप्रेस इस गाड़ी के आगे-आगे चलती है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि यह गाड़ी हवड़ा से ठीक समय पर चला करे।

Issue of Licences to Power Looms

2778. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1681 on the 4th March, 1966 and state :

(a) the number out of 94 applications for the issue of licences for power-looms pending with the Licensing Officers in Uttar Pradesh on which decision has since been taken; and

(b) if no decision has been taken the reasons therefor ?

The Deputy Minisier in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) (a) and (b) : The 94 applications referred in reply to Unstarred Question No, 1681 answered on 4th March, 1966 were for installation of fresh powerlooms in Uttar Pradesh. Installation of powerlooms during the Fourth Five Year Plan being a State Plan Scheme the States have to allot powerlooms from the State quota to applicants. The parties concerned have to approch the Textile commissioner for the requisite permit only after getting the allotment of looms from the State Government.

Railway Line Between Gorakhpur and Barabanki

2779. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 734 on the 29th July, 1966 and state :

(a) whether the survey being conducted in regard to the construction of Gorakhpur Barabanki main line has since been completed; and

(b) if so, when the said scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha : (a) The preliminary studies regarding conversion of Gorakhpur-Gonda-Barabanki M. G, section into B. G. have been completed, and the traffic appreciation report has been examined. As a result of this study the proposal for conversion of Gorakhpur-Gonda-Barabanki M. G. section into B. G. has been found to be unremunerative. Hence this proposal has been dropped for the time being,

(b) Does not arise.

हरियाणा में होडल स्टेशन पर बिजली लगाना

2780. श्री अब्दुल गनीदार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में होडल रेलवे स्टेशन पर बिजली की असुविधायें नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र की जनता ने इस सम्बन्ध में कई बार अभ्यावेदन दिये है;

(ग) वहां पर बिजली नहीं लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सेक्शन पर कब तक बिजली लगाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ग) और (घ) स्टेशन पर बिजली लगाने का प्रस्ताव मध्य रेलवे के विचाराधीन था और अभी हाल में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड उचित दर पर बिजली देने के लिए सहमत हो गया है । अब चालू वित्तीय वर्ष में बिजली लगाने का काम शुरू करने का विचार है, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो और नवनिर्मित हरियाना बिजली बोर्ड बिजली की व्यवस्था कर दे ।

रेशमी धागे का मूल्य

2781. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध इस आशय के कोई अभ्यावेदन सरकार के पास भेजे गये हैं कि वे उद्योगपतियों को रेशमी धागा बहुत अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुड़गांव जिले में रेलवे लाइन

2782. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव जिले की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने के लिये सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र की जनता ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन न होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) योजना में निर्धारित राशि की मीमा के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है । ऐसा करते समय विशाल औद्योगिक परियोजनाओं, परीक्षित खनिज और प्राकृतिक साधनों के दोहन और उपयोग, बन्दरगाह–सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार जिसके फलस्वरूप यातायात में

भारी वृद्धि होती है, सामरिक महत्व और रेलवे की परिचालन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता हैं। इसलिए सम्भव है कि गुड़गांव जिले में नयी लाइनों को चौथी योजना में शामिल किये जाने के लिए अर्हता न मिल सके।

आयात तथा निर्यात विनियमों का उल्लंघन

2783. **श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले चालू वर्ष में अब तक सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) इन मामलों को किस तरीके से निपटाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1·1·1967 से 5·6·1967 तक 88 मामले ।

(ख) सभी मामलों में विभागीय जांच की गई थी। इनमें से 86 मामलों में पक्षों को आयात और निर्यात लाइसेंस / राज्य व्यापार निगम / खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा आयातित माल के आवंटन के सीमा शुल्क निकासी पत्र प्राप्त करने से 1 से 5 लाइसेंस अवधियों तक के लिये वर्जित कर दिया गया है। शेष 2 मामलों में, विभागीय जांच होने तक विशिष्ट अवधियों के लिये लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं।

व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

2784. **श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कितने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल विदेशों से भारत आये और कितने भारत से विदेशों में गये; और

(ख) किन-किन देशों के साथ 1966-67 में व्यापार सम्बन्धी करार किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले तीन महीनों में 6 व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया गया था और 5 भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल विदेश गये थे।

(ख) वर्ष 1966-67 के दौरान श्रीलंका, तंजानिया, इन्डोनेशिया, यूनान, फ्रांस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार किये गये थे अथवा उनकी अवधि बढ़ाई गई थी।

रेशम की आयात

2785. श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का रेशम भारत में आयात किया गया; और

(ख) उस अवधि में उससे कुल कितना शुल्क लिया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फरवरी–अप्रैल 1967 के दौरान 4·27 लाख रु० के मूल्य का 3,368 किलोग्राम कच्चा रेशम आयात किया गया था।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में सीमेन्ट का कारखाना

2786. श्री वासुदेवन नायर :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में चेरगुंड स्थान में सीमेंट का एक कारखाना खोलने के लिये किसी व्यक्ति अथवा निगम को कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना खोलने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कारखाने का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अलीअहमद) : (क) और (ख) 13 मई, 1966 से सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस के उपबन्धों से विमुक्त कर दिया गया है। इसके अनुसार सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस या आशय पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड क्षेत्र में चूने के पत्थर के निक्षेपों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के पश्चात् उस क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Sagar Railway Station

2787. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Y. S. Rushwah :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the construction of the railway station at Sagar on the Bina Katni Branch line;

(b) whether it is a fact that the third class waiting room constructed there a year ago has now been demolished and it is being constructed at a new place as a result of which the Railawy Administration has suffered a loss of thousands of rupees; and

(c) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) The estimated cost of remodelling the station building and yard at Sagar, necessitated due to proposed doubling between Sagar and Patharia stations is Rs. 4, 62,500/-. The work is in progress.

(b) As the old third class waiting hall was required to be dismantled to enable the above remodelling work being carried out, a shed was constructed to serve as a third class waiting hall, so that there may be no inconvenience to the passengers, during the construction work. After completion of the remodelling of the station building which would also include a new waiting hall, this shed would be handed over to R. M. S. after suitable alterations.

(c) Does not arise.

New Industries in Mysore

2788. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mysore Government have sent a proposal for setting up of new industries in Bihar and Gulbarga districts of Mysore;

(b) is so, the names of the industries; and

(c) when these industries would be set-up ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No proposal has been received from Mysore Government for setting up of new industries in Bihar and Gulbarga districts,

(b) and (c) Do not arise.

औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के बारे में जांच

2789. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय हजारी प्रतिवेदन तथा एकाधिकर आयोग द्वारा प्रकाश में लाये गये तथ्यों के अनुसार औधोगिक लाइसेंस दिये जाने के बारे में मंत्रीमंडल की आर्थिक उपसमिति द्वारा जांच कराने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच कार्य कब आरंभ होगा और जांच प्रतिवेदन कब तैयार होगा;

(ग) क्या उन्होंने संसदीय समिति द्वारा जांच कराने की व्यावहारिकता की भी जांच की है ? और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) हाल के वर्षों में औद्योगिक ल इसेंसे पद्धति के कार्य की जांच करने के लिये सरकार ने विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। आशा है इस जांच में औद्योगिक नीतियों की क्रियान्विति से सम्बन्धित मामलों और आई० एफ० सी० और आई० डी० बी जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा एक संतुलित औद्योगिक विकास के लिये सुविधाओं में समन्वय लाने के लिये किया गया कार्य भी शामिल किया जावेगा।

जांच समिति की नियुक्ति, उसके सदस्य और निर्देशपदों सम्बन्धी ब्यौरा इस समय विचाराधीन है। समिति में औद्योगिक और वित्तीय मामलों का विशेष ध्यान रखने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों को भी शामिल किया जायेगा। इस ठीक ठीक यह बताना कठिन है कि जांच समिति अपना कार्य कब आरम्भ करेगी और कब समाप्त करेगी।

केसरी हिन्दी मिल्स, बम्बई

2790. श्री कामेश्वर सिंह:
श्री मधु लिमये:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई की केसरी हिन्द मिल्स के शेयर-होल्डरों की मई, 1967 में हुई बैठक की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें लेखा-परिक्षित, लेखा विवरण इस आधार पर मंजूर नहीं किया गया, कि न्यू सिटी आफ बम्बई द्वारा बेची गई 2 कोन बाइंडिंग मशीनों के लिये 38,250 रुपये का भुगतान बही खातों में नहीं दिखाया गया था और इसलिये भी एक नया वार्पिग यूनिट निदेशकों की अनुमति लिये बिना न लाभ न हानि के आधार पर बेचा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि तब केसरी हिन्दी मिल्स का प्रबन्ध जे० के० ग्रुप के हाथ में था;

(ग) यदि हां, तो इस मिल के जे० के० प्रबन्धकों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है; और

(घ) क्या अब तक कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क), (ग) और (घ) : सरकार, मई 1967 में हुई कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में, उसके वार्षिक लेखे के स्वीकृत न किये जाने तथा कम्पनी की किताबों में, कुछ सौदों के कथित सम्मिलित न करने की बात, जांच कर रही है। बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष, कुछ याचिकायें

भी अनिर्णीत हैं, जिनमें नये तथा पुराने दोनों प्रबन्धकों द्वारा, एक दूसरे के विरूद्ध आरोप तथा प्रत्यारोप लगाये गये हैं। एक निदेशक तथा कम्पनी के कुछ अंशधारियों ने भी प्रार्थना की है कि उच्च न्यायालय, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 के अन्तर्गत, 1945 से 1966 तक की अवधि की, कम्पनी की कार्यवाहियों की जांच के लिये, एक निरीक्षक नियुक्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को उन आरोपों के बारे में, जो निदेशक ने, उपरोक्त याचिकाओं के संबंध में, न्यायालय में अपने शपथ पत्र में मिसिल किये हैं, निदेशित करें।

(ख) यह कम्पनी, जो 1901 के वर्ष में समाविष्ट हुई, 1945 तक श्री बी० एम० एम० रणजीत के वंशजों के प्रबन्ध में थी, फिर जे० के० ग्रुप को इस कम्पनी का नियन्त्रण प्राप्त हो गया। 1966 के प्रारम्भ तक जे० के० ग्रुप ने इस कम्पनी का प्रबन्ध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी का प्रबन्ध, इसके पश्चात्, जलान ग्रुप द्वारा हस्तगत कर लिया गया।

कपड़े का निर्यात

2791. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसलिये नहीं बिकता है कि वह कम मजूरी वाले देश का बना होता है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्रकार के प्रचार से भारत को विदेशी मुद्रा की आय में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख) इस धारणा का, कि एशियाई देशों के बने कपड़े कम मजूरी वाले देशों के कपड़े हैं। भारत से पश्चिम यूरोप के औद्योगिक दृष्टि से विकसित कुछ देशों को निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर एक हद तक असर पड़ा है जिसका निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

लेखा विभागीय परीक्षा

2792. **श्री राम चरण :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लेखा विभाग की अनुक्रमणिका 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों की पदोन्नति के लिए तथा उन्हें स्थायी रखने के लिए, स्थायी पद की वरिष्टता को ध्यान में रखा जाता है जबकि अनुक्रमणिका 3 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए उत्तीर्ण होने का वर्ष ध्यान में रखा जाता है।

(ख) अनुक्रमणिका 2 में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर वेतन वृद्धि देने का क्या कारण है, जबकि अनुक्रमणिका 3 में उत्तीर्ण होने वालों को ऐसी वेतन वृद्धि दी जाती है; और

(ग) जिन कर्मचारियों ने 1959 में अनुक्रमणिका 2 परीक्षा पास कर ली है, उनकी पदोन्नति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) एपैंडिक्स 2 परीक्षा निम्नतर स्तर की परीक्षा है, जो लेखा क्लर्क की प्रारम्भिक व्यावसायिक उपलब्धियों की जांच करने के लिए ली जाती है और ग्रेड II के क्लर्कों के लिए ग्रेड I में पदोन्नति पाने के लिए इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके विपरीत एपैंडिक्स 3 परीक्षा उच्चतर व्यावसायिक परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर क्लर्क लेखाकार के ग्रेड में पदोन्नति पाने की अर्हता प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि कर्मचारी में उच्चकोटि की व्यावसायिक योग्यता है, जिसका उपयोग वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में करेगा। इसी कारण इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, प्रोत्साहन के रूप में बढ़ी हुई दर पर वेतन-वृद्धि देने की व्यवस्था है।

(ग) अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को उपलब्ध खाली जगहों के अनुसार ही पदोन्नति दी जा सकती है। यह परीक्षा केवल अर्हक परीक्षा है। इसमें उत्तीर्ण होने पर पदोन्नति का अधिकार स्वत: प्राप्त नहीं हो जाता।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची के कर्मचारियों की मांगें

2793. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1967 को कर्मचारी संघ ने भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के अध्यक्ष को मांग-पत्र दिया था; और

(ख) यदि हां तो वे मांग क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 45 मांगें हैं, और इनका सम्बन्ध सेवा की शर्तें, वेतन और भत्तों में वृद्धि और कल्याण सुविधाओं से है।

5 नवम्बर, 1966 को कार्मिक संघ के साथ एक करार किया गया था, परन्तु पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये एक आदेश के अन्तर्गत करार की क्रियान्विति रुक गई है। चार्टर की बहुत सी मांगें 5 नवम्बर, 1966 के करार में शामिल हैं व्यक्तिगत मामलों पर विभिन्न संघों के श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जा रही है और कार्यवाही की जा रही है।

कपास का आयात

2794. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1966 में वस्तु विनिमय श्रेणी 10 के अन्तर्गत फर्म धनराजमल गोविन्दराम न्यू कमर्शियल मिल्स कम्पनी लिमिटेड अहमदाबाद/ पांडिचेरी मिल्स द्वारा अथवा उनके माध्यम से कपास के आयात/विक्रय/विक्रय कर अपवंचन, लदान की अन्तिम तारीख के बाद आयात करने के बारे में कोई ज्ञापन/नोट/पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या नोट आदि में उल्लिखित कदाचारों के बारे में जांच की गई है;

(ग) क्या कपड़ा आयुक्त कपास परामर्शदाता को मुअत्तिल कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) 1966 में वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत जिन आयातकों को रुई आयात करने की अनुमति दी गई थी उनके द्वारा कथित दुराचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

इन शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से कपड़ा आयुक्त की अनुमति से निर्यातकों द्वारा रुई के पुनः बेचे जाने से था। इन आरोपों की जांच करने के लिये श्री के० एम० डी० थैकरसी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें शिकायत करने वाले को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। समिति ने आयातित रुई के पुनः बेचे जाने के सौदों में कोई दुराचार नहीं देखा।

Import of Diesel And Electric Locomotives.

2795. **Shri Yashpal Singh;**
Shri Ram Gopal Shalwale;

Will the Minister of Railw ys be Pleased to state :

(a) the number of diesel and electric locomotives imported during the last five years; and

(b) when they were put to the actual use ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Number of diesel locomotives imported during the last five years from April 1962 to March 1967-438 Nos. Number of electric locomotives imported during the same period—133 Nos.

(b) The above locomotives were put to use as under :

Diesel Locomotives : All the 438 locomotives were put to actual use on varying dates during the period May, 1962 to November, 1965.

Electric Locomotives :-- 131 Nos, locomotives were commissioned on varying dates during the period December, 1963 to July, 1966. Two locomotives have not yet been commissioned as they were received only in March, 1967, after release from the impounded cargo held by Pakistan since September, 1965.

आन्ध्र प्रदेश में अखबारी कागज बनाने का कारखाना

2796. श्री पार्थसारथी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के मोदान नामक स्थान में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है, क्योंकि वहां पर निजाम चीनी कारखाने से पर्याप्त मात्रा में खोई उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां' तो कागज बनाने के इस कारखाने पर कितना व्यय होगा और यह कब तक उत्पादन करने लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं। हमें ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रैफिक लेखा कार्यालयों के क्लर्क

2797. श्री राम मूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री विश्व नाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **रेलवे** मन्त्री ट्रैफिक लेखा कार्यालयों के क्लर्कों के बारे में 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के ट्रैफिक लेखा कार्यालयों में 965 और 1966 में कुल कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों की ऊंचे वेतनमानों पर तरक्की की गई ;

(ख) पश्चिम रेलवे के विदेशी ट्रैफिक लेखा कार्यालय में 20 नवम्बर, 1963 से कुल कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों की तरक्की की गई; और

(ग) उत्तर रेलवे के ट्रैफिक लेखा कार्यालय, दिल्ली में 22 अक्तूबर, 1964 से कुल कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों की तरक्की की गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डीजल के इंजन

2798 **श्री इन्द्रजीत मल्होत्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये गये तथा भारत में पुर्जों को जोड़कर (आयात किये गये पुर्जों की प्रतिशतता सहित) बनाये गये डीज़ल के कितने कितने इंजन इस समय चल रहे हैं;

(ख) चौथी योजना में डीज़ल के इंजनों के पुर्जों के आयात अथवा भारत में इनके निर्माण के बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) चौथी योजना अवधि में विदेशी मुद्रा तथा रुपये के रूप में कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1-4-1967 को 777 डीज़ल रेल इंजन चल रहे थे जिनमें से 670 आयात किये हुए थे ।

1966-67 में वाराणसी डीज़ल रेल इंजन कारखाने में तैयार किये गये डीज़ल रेल इंजनों में विदेशी सामान की मात्रा 69% थी ।

(ख) चौथी योजना में भारत में अनन्तिम रूप से 671 डीज़ल रेल इंजन बनाये जाने की आशा है, जिनमें से 30-4-1967 तक 55 रेल ईंजन बनाये जा चुके हैं । वाराणसी डीज़ल रेल इंजन कारखाने में तैयार किये गये बड़ी लाइन के डीज़ल रेल इंजनों में इस समय प्रयुक्त विदेशी सामान की मात्रा 66.5% है, जिसे उत्तरोत्तर घटाकर चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में 10% कर दिया जायेगा । वाराणसी डीज़ल रेल इंजन कारखानों में मीटर लाइन के जो डीज़ल रेल इंजन तैयार किये जायेंगे, आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक उनमें लगभग 30 प्रतिशत विदेशी सामान प्रयुक्त होगा । जहां तक चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के शंटिंग रेल इंजनों के निर्माण का प्रश्न है; 1967-68 में उनमें लगभग 65% विदेशी सामान प्रयुक्त होने की सम्भावना है । चौथी योजना में विदेशी सामान के प्रयोग में उत्तरोत्तर कमी की जायेगी ।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित डीज़ल रेल इंजनों की प्रत्याशित लागत लगभग उतनी ही होने की संभावना है जितनी कि नीचे दी गयी है :

	रुपये
विदेशी मुद्रा में	47. 42 करोड़
रुपये में	70.55 करोड़
	117.97 करोड़

Clashes Between Passengers And Railway Officials

2799. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the names of places where clashes between passengers and railway officials have taken place after the new Government came into being in West Bengal ;

(b) whether Government have received any information regarding damage to Railway property as a result thereof ; and

(c) the causes of these clashes ?

The Miniser of Railways (Shri C. M Poonacha) : (a) There has been no clash between passengers and railway officials.

(b) and (c) Do not arise.

Setting up of Industrial Establishments

2800. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land acquired by the Central Government during the last five years for setting up different industrial establishments in the country ; and

(b) the estimated reduction in the production of foodgrains as a result thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs. (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Decontrol and Price of Steel

2802. Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment of the increase in the prices of various kinds of steel after its decontrol from the Ist May, 1967 ; and

(b) if so, how these prices compare with the prices prevailing before decontrol ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and(b) Yes, Sir. A statement showing the prices of some of the categories of iron & steel before and after 1-5-1967 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See. No. L T-700/67]**

Trade with Foreign Countries

2803. Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the remarks made by Mr. Helmuth Volrath, a West German trade expert at a Press Conference in New Delhi on the 26th May, 1967 to the effect that Indian exports are suffering due to the general impression abroad that India was burdened with calamities and could not be a dependable source ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps Government propose to take to remove such an impression abroad ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) while there has been some set back in India's exports of certain commodities due to severe drought conditions in recent times and other related factors, India continues to be a dependable source for many primary and manufactured items. There is, however, a lack of awareness in many countries about the progress India has made in the manufacture of high quality industrial products, and this can be over-come only by a sustained publicity campaign of projecting the new image of India Severel steps have been taken in pursuit of this objective, e. g. participation in exhibitions and fairs, new export promotion techniques, propaganda and advertisement through appropriate media. These activities will be continued and expanded to the extent permitted by our resources.

समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का निर्यात

2804. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बढ़ते हुए निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सुविधायें प्रदान कर रही है ;

(ख) 1966–67 में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) क्या उद्योग को टीन के डिब्बों के अभाव के कारण अब भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 के दौरान कुल 17.37 करोड़ रु० के मूल्य की समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का निर्यात किया गया।

(ग) जी, नहीं।

ट्रैक्टरों के मूल्य

2805. श्री रामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयातित तथा देश के अन्दर बनाये गये ट्रैक्टरों के मूल्यों के बीच अन्तर के बारे में लागत लेखा अधिकारियों का प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) जैसा कि 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3697 के उत्तर में बताया गया है, देश के ट्रैक्टरों के निर्माण करने वाले कारखानों की उत्पादन लागत के प्रश्न की जांच करने के लिये लागत लेखा अधिकारियों से कहा गया था। उनके प्रतिवेदन मिल गये हैं और उनमें की गई सिफारिशों के प्रकाश में, अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत देश में बनने वाले सभी प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्य अधिसूचित कर दिये गये हैं। चूंकि कुछ निर्माताओं ने लागत लेखा अधिकारियों द्वारा उत्पादन लागत निकालने के लिये अपनाये गये कुछ सिद्धान्तों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था, इसलिये सरकार ने प्रशुल्क आयोग से एक औपचारिक जांच करने और उचित विक्रय मूल्यों की सिफारिश करने के लिए अनुरोध

किया है। आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में, जो कि शीघ्र ही आने वाली हैं, अस्थायी मूल्यों में जो कि पहले से अधिसूचित किये गये हैं, उपयुक्त समायोजन कर दिया जायेगा।

पश्चिमी जर्मनी को निर्यात

2806. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने में असमर्थ होने के कारण पश्चिमी जर्मनी में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जर्मनी को भारतीय वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1964-65 से पश्चिम जर्मनी को भारतीय निर्यात इस प्रकार रहा :—

1964-65.........371.7 लाख डालर

1965-66.........381.8 लाख डालर

1966-67.........310.0 लाख डालर

(अप्रैल 66 से जनवरी 67 तक)

हाल ही के वर्षों में हमारे निर्यात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और यह कहना सही होगा कि भारतीय निर्यात को इसलिये हानि पहुंची है कि भारत में बढ़िया किस्म की वस्तुएं तैयार करने और उनको निर्यात करने की क्षमता नहीं है। दूसरी ओर कड़े किस्म नियन्त्रण उपायों के कारण अन्य देशों के साथ-साथ पश्चिमी जर्मनी को निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म में बराबर सुधार हुआ है। पश्चिम जर्मनी के साथ अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये, जिसके साथ कि हमारा व्यापार सन्तुलन बड़ा विपरीत है, अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपाय किये गये हैं :—

(एक) भारत से निर्यात के लिये उपलब्ध माल की किस्मों को जर्मनी के उपभोक्ताओं को दिखाने के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा आयोजित व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(दो) जर्मनी के आयातकों और उपभोक्ताओं को भारत की निर्यात क्षमता का अनुमान देने और यह पता लगाने के लिये कि कम से कम समय में किन वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात सम्बन्धन कार्य करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, भारत-जर्मनी व्यापार संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से विचारगोष्ठियों और 'भारत सप्ताह' का आयोजन करना।

(तीन) विशिष्ट क्षेत्रों में हमारे निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने और पश्चिम जर्मनी की फर्मों से क्रयादेश प्राप्त करने के लिये व्यापारियों द्वारा यात्रा।

(चार) हमारी मुख्य निर्यात वस्तुओं के लिये और उन वस्तुओं के लिये जिनको जर्मनी निर्यात किये जाने की सम्भावना है, सर्वेक्षणों और अध्ययनों का किया जाना।

(पांच) हमारे निर्यात पर लगाये गये शेष प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों को कम करने और समाप्त करने के लिए पश्चिम जर्मनी प्राधिकारों से द्विपक्षीय चर्चा और इसी प्रयोजन के लिए सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयत्न करना।

(छः) विकासशील देशों से विकसित देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये गये प्रशुल्कों में विशेष रियायत प्राप्त करने के लिए सघन प्रयत्न जिससे कि पश्चिम जर्मनी जैसे देशों को अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में बढ़ावा मिले।

भारतीय इंजीनियरी सामान और विशेष रूप से भारत-जर्मन संयुक्त उपक्रम उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये भारत और जर्मन निर्यातकों के तदर्थ सलाहकार गुप्त गठित करने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

Sale of Russian Tractors

2807. Shri Nihal Singh : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sheopujan Shastri : **Shri Bramhanandji :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 109 on the 26th May, 1967 and state :

(a) whether investigations have been completed by State Trading Corporation in regard to the sale of tractors imported from Russia at higher prices ;

(b) if so, the detail thereof ; and

(c) if not the further time likely to be taken ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Approximately a month, Sir.

रेलवे द्वारा इंजीनियरी सामान खरीदने के लिये दिए गये क्रयादेश

2808 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे ने वर्ष 1961-62 से 1966-67 तक सरकारी क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों से इंजीनियरी सामान खरीदने के लिये कितनी राशि के क्रयादेश दिए हैं तथा विभिन्न क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Import of Steel

2809. Shri K. M. Madhukar :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that we have still to import steel from outside ;

(b) if so, the reasons therefore and the names of countries from which steel is imported ;

(c) whether it is a fact that the steel is imported from outside, as a result of foreign interest involved in discouraging steel industry in India, particularly in public sector ,

(d) whether Government have fixed some dead-line after which no import will be made , and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi) (a) to (e) : We have been able to develop the production of most categories of mild steel in the country and have also made some progress in the production of tool, alloy and special steels. We have to rely on imports, at present, for most of our requirements of tool, alloy and special steel and some categaries of mild steel, especially flat products which are not produced in quantities sufficient to meet the entire demand in the country. The imports are mostly made from U. S. A., U. K. the European Economic Community countries, USSR, other East European countries and Japan.

U. K., West Germany and USSR have assisted in setting up our public sector plants at Durgapur, Rourkela and Bhilai, and USSR is also assisting in the setting up of Bokaro Steel Plant. Various parties in other countries like Canada, Japan and west Germany are assisting us in developing the production of alloy and special steels. It is not correct, therefore, to say that foreign interests are discouraging the development of the steel industry in the public sector. We are trying to be self-sufficient in the production of steel for our requirements. It should be remembered that even the most advanced countries have to import some steel from other countries. We have exported steel to USA and U. K. also and will be exporting to USSR. The necessity for Import demands on the availability and demand at a particular point of time. Our endeavour is to develop production in such a way so as to minimise the need for imports, but no 'dead-line is feasible or practical.

Mining Prospecting with Soviet Aid.

2810. Shri K. M. Madhukar :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Soviet team of mining experts has conducted a survay of mineral deposits in India on the requests of the Indian Government ;

(b) whether it is also a fact that the team has discovered some new iron deposits and has submitted its report to Government ; and

(c) if so, the action being taken by Government in that regard ?

The Minister of Steel Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

M. G. Line From Virpur to Farvisganj Bathnaha and Bhinunagar

2811. Shri Gunanand Thakur: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether metre gauge line has been laid down from Virpur to Farvisganj, Bathnaha and Bhinunagar under the Kosi scheme ;

(b) whether it is a fact that there is no other railway line in that border area ;

(c) if so, whether Government propcse to run passenger and goods train also on that line after making necessary improvements ; and

(d) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Railways have not laid any metre gauge line connecting the places mentioned. Only the Kosi Barrage authorities have constructed a narrow gauge line (and not metre gauge) from Bathnaha to Bhinunagar and Chatra, and they are working this line for carrying plant and mechinery for the Kosi Barrage.

(b) Except for the North Eastern Railway sections Mansi- Supaul, Saharsa-Purnea, Banmankhi-Behariganj, Sakri-Nirmali, and Northeast frontier Railway section Purnea-Jogbani, there are no other railway lines in this area.

(c) There is no proposal to take over the narrow gauge line of the Kosi Barrage authorities, or to run it for goods passenger services after making improvements.

(d) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश और गोआ में भारी उद्योग

2812. **श्री शिंकरे :**
श्री पार्थसारथी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1967–68 के दौरान आन्ध्र प्रदेश और गोआ में कोई भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1967–68 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में निम्न उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, या स्थापित करने का विचार है:–

(1) हेवी प्लेट्स एंड वैसल्स प्रोजेक्ट विशाखापटनम।

(2) सिन्थेटिक ड्रग प्लांट व सन्तनगर

(3) केबल फैक्ट्री, चिरलापल्ली। 1967–68 में गोआ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश और गोआ में नारियल की जटा का कारखाना

2813. **श्री शिंकरे :**
श्री पार्थसारथी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोआ और आन्ध्र प्रदेश में नारियल की जटा का कारखाना लगाने के बारे में विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ये कारखाने लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, उटकमंड

2814. श्री नंजा गौडर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड को कहा है कि वह उसे दी गई फालतू भूमि को वापिस कर दे ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी भूमि थी ; और

(ग) इस कम्पनी द्वारा इस सन्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मद्रास सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमंड को, उसे दी गई फालतू भूमि को वापस करने के लिये नहीं कहा है। तथापि, उसने वनों के मुख्य संरक्षक को हिदायत दी है कि वह फालतू भूमि को वापस लेने के लिये कम्पनी से परामर्श करे। जिला वन अधिकारी के पूछने पर कम्पनी ने बताया है कि उसके पास वापस करने के लिये कोई भूमि नहीं है। मामला अभी वन विभाग के विचाराधीन है।

सेवा निवृत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की समवायों में नियुक्ति

2815. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे समवाय और निगमित निकाय कौन कौन से हैं जिनमें सेवा निवृत नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों का पद सम्भाले हुये हैं, और इन पदों से प्राप्त तुलनात्मक वित्तीय लाभ ब्यौरा क्या है, और

(ख) इनमें से कितने समवायों का प्रबन्ध नियंत्रण अथवा स्वामित्व केन्द्रीय और राज्य सरकारों के हाथ में है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सेवा निवृत नियंत्रक तथा, महालेखा परीक्षक, सर्व श्री वी० नरहरि राव, ए० के० चन्दा, व ए० के० राय हैं। प्राप्य सूचना के अनुसार तीन नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक निदेशकों के पदों को निम्नलिखित कम्पनियों में संभाले हुये हैं:—

1–श्री नरहरि राव :

(1) रेमन इन्जीनियरिंग वर्कस लिमिटेड, (निदेशक)
(2) दी मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (निदेशक)
(3) चामुण्डी केमीकल्स एण्ड फर्टीलायजर्स लिमिटेड (अध्यक्ष)

2–ए० के० चन्दा :

(1) बोलानी ओर्स लिमिटेड (अध्यक्ष)
(2) इन्डस्ट्रियल एन्ड इकोनोमिक कन्सल्टेंटस इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (अध्यक्ष)
(3) मोडेला काटन्स लिमिटेड (अध्यक्ष]
(4) जेसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड (अध्यक्ष)
(5) यूनायटेड कार्बन इन्डिया लिमिटेड (निदेशक)
(6) मोडेला वूलन्स लिमिटेड (निदेशक)
(7) दी टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड (निदेशक)
(8) दी बिसरा स्टोन्स लाइम कम्पनी लिमिटेड (निदेशक)

3–श्री ए० के० राय :

(1) ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड (निदेशक)
(2) मदन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (निदेशक)
(3) टर्नर मारीशन एण्ड कम्पनी लिमिटेड (निदेशक)
(4) इन्डियन डेटोनेटर्स लिमिटेड (निदेशक)
(5) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (निदेशक)
(6) साके व्हील्स लिमिटेड (निदेशक)
(7) अंगोलो ब्रादर्स लिमिटेड (निदेशक)
(8) शालीमार तार प्रोडक्ट्स लिमिटेड (निदेशक)
(9) वेस्ट इंडिया केमीकल्स लिमिटेड (निदेशक)
(10) इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड (निदेशक)
(11) ग्वालियर रेयन एन्ड सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग, वीविंग कम्पनी लिमिटेड (निदेशक)
(12) ध्रान्गध्रा केमीकल वर्क्स लिमिटेड (निदेशक)
(13) हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड (निदेशक)
(14) एलकाक आशडान एन्ड कम्पनी लिमिटेड (निदेशक)
(15) गैस्ट, कीन, विलियन्स लिमिटेड (निदेशक)

चूंकि सार्वजनिक सीमित कम्पनियों के पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा इस हैसियत से उनका पारिश्रमिक नियत करना ही केवल कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड को संदर्भित किया जाता है। इसलिये इन तीनों सेवा-निवृत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षकों के अंशकालिक निदेशकता संबंधी पारिश्रमिक के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं है। फिर भी कम्पनी विधि बोर्ड ने, श्री ए० के० राय के गैस्ट, कीन, विलियम्स लिमिटेड तथा ध्रान्गध्रा केमीकल्स वर्कस लिमिटेड में, अंश-कालिक आर्थिक सलाहकार के पद की नियुक्ति का अनुमोदन निम्नलिखित पारिश्रमिक पर किया है।

(i) **गैस्ट, कीन, विलियम्स लिमिटेड**

वेतन	4,000 रू० प्रतिमास
गृह भाड़ा	350 रू० प्रतिमास
कार भत्ता	250 रू० प्रतिमास

(ii) **ध्रान्गध्रा केमीकल्स वर्क्स लिमिटेड**

संचित वेतन, 20,000 प्रति वर्ष

(ख) जेसप एन्ड कम्पनी के अलावा किसी का नहीं, इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा इन्डस्ट्रीज़ (डवलपमेंट एन्ड रेग्यूलेशन) अधिनियम के अन्तर्गत हस्तगत कर लिया गया है।

हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

2816. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग तथा इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता को तेल के ड्रमों के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई थी, जबकि यह उद्योग प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची में था, कच्चा माल कम उपलब्ध होता था और वर्तमान निर्माता देश की मांग पूरी करने के लिए प्रर्याप्त थे ;

(ख) क्या लाइसेंस के अनुसार वर्तमान कारखानों के निर्धारित क्षमता के अनुसार कच्चा माल जो कि पहले ही कम मिलता था उक्त फर्म को दिया गया ;

(ग) क्या मैसर्स स्टेंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को नियंत्रित तथा दुश्प्राप्य माल उसकी लाइसेंस शुदा क्षमता से चार गुणा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामलों में ऐसा करने का क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 701/67**]

बरौनी-तिनसुकिया सैक्शन पर यात्रियों का परेशान किया जाना

2817. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बरौनी-तिनसुकिया सैव पर यात्रियों को सैनिकों द्वारा सताया तथा परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जी नहीं । लेकिन सैनिक व चारियों द्वारा महिलाओं के डिब्बों और आरक्षित डिब्बों में ज़बरदस्ती बैठ जाने के कुछ इ दुक्के मामले नोटिस में आये हैं । जिन जगहों पर सैनिक कर्मचारी अनधिकृत रूप से क कर लेते हैं, उनसे वे जगहें आर० टी० ओ० की सहायता अथवा उनकी सहायता के बि खाली करा ली जाती हैं

आसाम मेल में लगे भोजन यान में दिया जाने वाला भोजन

2818. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बरौनी और तिनसुकिया के बीच चलने वाली आस मेल से लगे भोजन यान में भोजन के ठेकेदार द्वारा यात्रियों को दिया जाने वाला भोज बहुत ही खराब किस्म का है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस ठेकेदार के विरुद्ध बहुत शिकायते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सलाहकार बोर्ड ने इस ठेकेदार को हटाने के बारे में एव बार निर्णय भी किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके पास अभी तक इसका ठेका होने का क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) उत्तर हां में है ।

(घ) ठेका समाप्त करने के लिए ठेकेदार को कानूनी नोटिस दिया गया था, लेकिन वह अभी भी भोजन यान चला रहा है; क्योंकि वह कटिहार स्थित न्यायालय से निषेधाज्ञा ले आया था जिसके अनुसार रेल प्रशासन को उसे वहां से बेदखल करने से रोक दिया गया है । निषेधाज्ञा समाप्त कराने के लिए रेलवे ने उससे ऊंचे न्यायालय में अपील की है ।

नेशनल इंस्ट्रुमेन्टस लिमिटेड., कलकत्ता

2819. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित नेशनल इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड बिक्री के कम होने *तथा* उत्पादन के घट जाने के परिणाम स्वरुप गंभीर संकट से गुजर रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस फर्म की स्थिति फिर से सुधारने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन, अली अहमद) : (क) और (ख) इंजीनियरी उद्योगों में सामान्य रूप से मंदा आ जाने और रेलवे जैसे बड़े उपभोक्ताओं के विकास कार्यक्रमों की गति कम होने के कारण नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड की बिक्री कम हो गई है। और बाद में 1966–67 के दौरान उत्पादन का स्तर कम कर दिया गया था।

(ग) प्रतिरक्षा की जरुरतों को पूरा करने के लिये कम्पनी नई वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। औकथैल मोसकोप्स और ब्लड प्रेशर के उपकरणों जैसी मदों का भी निर्माण करने के लिये यह तैयार है। आशा है कि इस कार्य क्रम के साथ उत्पादन बढ़ जायेगा।

रेलवे स्टेशनों में लाइसेंस प्राप्त कुली

2820. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा टर्मिनस रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहे लाइसेंस प्राप्त कुलियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन्हें किन शर्तों पर काम दिया जाता है ; और

(ग) क्या उन्हें रेलवे कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 37,781.

(ख) जिन निबन्धनों और शर्तों के अधीन भारिकों को काम पर लगाया जाता है; वे लाइसेंस के रूप में निहित हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 702/67]**

(ग) जी नहीं।

Inadequate facilities at Mohiuddinagar Railway Station

2821. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Mohiuddinagar Railway Station on Hajipur-Bachhwara line on the North-Eastern Railway is a very busy station but there is neither a waiting hall nor water cooling machine or 'Barsati'; and

(b) if so, steps taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Mohiuddinagar is only a road-side station. It is provided with a III class waiting hall and hand pumps, but does not have a platform cover or water cooler, as the present passenger traffic does not justify provision of the same. However, to provide cool drinking water to passengers, water is

stored in earthen 'matkas' and a waterman has been posted for supply of water to pas gers. Necessity of any extension to the existing waiting hall is also being examined by Railway.

(b) Does not arise.

Blast Furnaces at Bhilai

2822. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Steel, Mines and Metal pleased to state :

(a) whether all the blast furnances at Bhilai Steel plant have started functionin

(b) if so, the quantity of steel produced during 1965-66 and 1966-67 separately ;

(c) the quantity of steel exported from the plant during each of the ab two years.

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) All five nances of the 2.5 million ingot tonne stage of expansion are functioning. A sixth furn is under construction.

(b) The quantity of steel produced in 1965-66 and 1966-1967 was 1.37 and 1 million ingot tonnes respectively.

(c) The quantity exported 1965-66 and 1966-67 was 23,800 and 29,800 tonnes finished steel respectively.

Introduction of an Exprees Train between Jhansi and Allahabad

2823. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Railways be pleased to sta

(a) Whether any proposal to introduce an Express Train between Jhansi and All abad via Manikpur for the convenience of passengers is under consideration Government ; and

(b) if so, when this train is likely to be introduced ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : Introductio of an Exprees train between Jhansi and Allahabad via Manikpur was examined but ha not been found operationally feasible, at present, owing to strained line capacity an berthing difficulties at Allahabad. Introduction of this train vis a vis other trains on thi route for which there is also a demand, will again be examined after capacity is availabl on completion of programmed works expected towards the end of 1963.

डूंगरपुर तथा दोहद के बीच रेलवे लाइन

2824. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री ख० प्रधानी : **श्री भालजी भाई परमार :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांसवाड़ा तथा झालोड के रास्ते डूंगरपुर तथा दोहद के बीच नई रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू करने के लिये कोई उप-बन्ध है ; और

(ग) इस काम के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बांसवाड़ा होकर डूंगरपुर रतलाम के बीच एक नयी बड़ी/मीटर लाइन के लिए क्रमश : 1956 और 1957 में अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । रतलाम और दोहद बड़ी लाइन से पहले से जुड़े हुए हैं । उस समय नये निर्माण कार्य पर बड़ी लाइन के लिए 11.42 करोड़ और मीटर लाइन के लिए 8.95 करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान लगाया गया था और यह लाइन अलाभप्रद पायी गयी । इसलिए इस लाइन के बनाने का विचार स्थगित कर दिया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दोहद रेलवे स्टेशन पर निचला पुल

2825. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री भालजी भाई परमार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहद-झालोद रोड के दोहद रेलवे स्टेशन के फाटक पर एक निचला पुल बनाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : दोहद स्टेशन के समीप दोहद-झालोद सड़क पर वर्तमान समपार के बदले एक उपरी सड़क-पुल बनाने का प्रस्ताव है । रेलवे ने इस काम के अपने हिस्से के खर्च के लिए 1967–68 में 5,000 रुपये की व्यवस्था की है और रेलवे के हिस्से के खर्च की बाकी रकम चौथी पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों में उपलब्ध कर दी जायेगी ।

कर्माशियल क्लर्क

2826. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि कोचिंग तथा गुड्स इन्सपेक्टरों, कार्मशियल इंस्पेक्टरों क्लेम्स प्रीवेंशन इंस्पेक्टरों, क्लेमस इंस्पेक्टरों, रीवेमेंट इन्सपेक्टरों तथा लगेज इंस्पेक्टरों जैसे कर्मशियल इंस्पेक्टरों की भर्ती पूर्णतया कार्मशियल इंस्पेक्टरों में से नहीं की जाती ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्य विभाग में 250–380 रुपये के वेतनमान में इन्सपेक्टरों की 25 प्रतिशत खाली जगह स्नातकों को वाणिज्य अप्रेंटिसों के रूप में भर्ती करके भरी जाती हैं, ताकि प्रशासन की कुशलता बढ़ायी जा सके । बाकी खाली जगह उपयुक्त सहायक इन्सपेक्टरों और वाणिज्य कर्मचारियों को पदोन्नति करके भरी जाती हैं ;

कमर्शियल क्लर्कों को वर्दी का दिया जाना

2827. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे खण्डों में कामर्शियल क्लर्कों को पूरी वर्दी नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, जहाँ तक उन कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जो बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क और माल बाबुओं की कोटियां में आते हैं ।

(ख) 1963 मे वर्दियों का जो मानकीकरण अपनाया गया था, उसमें उन वाणिज्यिक कर्मचारियों को छोड़कर, जिनको मानकीकरण से पहले वार्दियां दी जाती थीं, इन कोटियों के वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दी देने की व्यवस्था नहीं थी ।

वाणिज्यिक श्रेणी में उच्चतर वेतन-क्रमों वाले पद

2828. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक श्रेणी में उच्चतम् वेतन क्रमों वाले पदों की प्रतिशतता अन्य श्रेणियों जैसे टिकट-कलक्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, गाड़ी परीक्षक आरक्षण लिपिक तथा विशेष गाड़ी परीक्षक की तुलना में न्यूनतम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : प्रतिशतताएं किसी वर्ग के विभिन्न वेतनक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों और दायित्वों को ध्यान में रखकर नियत की जाती हैं । चूंकि प्रश्न में जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, उनके विभिन्न वेतनक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्य और दायित्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक के लिए जो प्रतिशतता नियत की गयी है उसकी एक दूसरे से तुलना करना ठीक और उचित नहीं है ।

पश्चिमी रेलवे में ऊपरी पुल

2829. श्री शान्तिलाल शाह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांद्रा और बोरिवली के बीच बम्बई उपनगरीय सेक्शन पर पश्चिम रेलवे में कितने ऊपरी पुल बनाने का विचार हैं ;

(ख) उनमें से कितने मंजूर किये जा चुके हैं तथा उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक ऊपरी पुलों के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है, तथा इन पुलों के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :   (क) से (ग) : एक बयान साथ नत्थी है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 703/67]

Demands of Station Masters and Assistant Station Masters

2830. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received some demands put forward by the Station Masters and Assistant Station Masters recently;

(b) if so, the complete details thereof;

(c) the demands Government propose to accept; and

(d) the reasons for non-acceptance of other demands ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) to (d) : A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library**, see No. LT-704/67]

Late Arrival of Trains at Ujjain

2831. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the three trains viz., 86 Up Bhopal-Ratlam, 112-A Up Bhopal-Baroda and 34 Up Bilaspur-Indore, almost daily arrive late at Ujjain Station as a result of which passengers have to face great difficulty because they are unable to catch the connecting trains;

(b) if so, the number of times the said trains arrived late there between the 1st January, 1967 to 20th May, 1967 as a result of which the passengers could not catch the trains departing from that station for their outward journey;

(c) whether a number of persons are unable to board these trains due to overcrowding; and

(d) if so, the number of passengers who could not board these trains during March, April and May, 1967 due to overcrowding and the steps Government propose to take in this connection ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Nos. 86 Up Bhopal-Ratlam, 112 A Bhopal Godhra and 34 Up Bilaspur-Indore passenger trains arrived Ujjain late on 102, 137 and 91 occasions respectivele during the period from 1st January to 20th May, 1967. But maintenance of connections at Ujjain was satisfactory during the above period being generally above 97 percent.

(c) No such case has come to the notice of the Railway-

(d) Does not arise.

Halt Station at Salempur (N. Rly)

2832. Shri Nageshwar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand for opening a halt station at Salempur between Mariahu and Bhanaur on the Jaunpur Allahabad Branch Line (Northern Railway) was made sometime back;

(b) if so, the further progress made in that regard; and

(c) the progress since made in regard to the construction of new railway lines in U. P. approved in the Third Five Year Plan, and the programme envisaged in the coming years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The proposal was examined in the year 1965 but could not be accepted for want of adequate justification. However, it is being examined a fresh.

(c) A statement is given below :-

Halt Station at Salempur (N. Rly.)

Information about construction of new railway lines is not compiled State-wise. but Railway-wise However, out of the new lines included for construction during the Third Plan, the following two lines fall wholly or partly in the State of Uttar Pradesh :

1. Goods Avoiding Lines between Ghaziabad and Tughlakabad, inculding Second Yamuna Bridge.
2. Singrauli-Obra.

Item (1) has since been completed and opened to goods traffic in November 1966 Item (2) is still in progress and is expected to be completed by the end of October 1968.

2. The Fonrth Plan proposals as a whole have not yet been finalized, However, owing to the limited availability of funds for construction of new lines in the Fourth Plan, a major portion of which will be required to complete throw-forward works from the Third Plan, it is unlikely that any of the proposals the U. P. State Govt. will merit adequate priority for inclusion therein.

Permanent way Inspectors Association

2833. Shri Gunanand Thakur :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from Permanent way Inspectors' Association recently; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister af Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Government are satisfied that there is no justification to acceding to their request.

Representation From the Jamalpur town Supply Staff (Eastern Railway)

2834. Shri Gunanand Thakur ;
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received any representation from Town Supply Staff of Jamalpur (Eastern Railway) recently; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Does not arise.

बड़ा जामदा से बलानी तक गाड़ी चलाना

2835. श्री गु० च० नायक :
श्री म० माझी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर बारबिल के रास्ते बड़ा जामदा से बलानी तक तथा डंगुआपोशी से बांसपानी तक यात्री तथा माल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : बड़ा जामदा–बोलानी खदान खण्ड पर बारबिल और डांगोआपोसी-बाँसपानी खण्डों के रास्ते माल गाड़ियां पहले से चल रही हैं। खनिज लदान के इस भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में सवारी गाड़ियों के चलाने से माल यातायात के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहां सवारी गाड़ियों का चलाना न उचित है और न टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक ही है ।

Gangeshwari Intensive Area

2836. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chairman, Khadi and Village Industries Commission has received complaints about serious irregularities including moral turpitude in Gagngeshwari intensive area in Moradabad District ;

(b) whether Government have held any high-level enquiry about these complaints; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Enquiry by the Commission is in progress.

प्रान्ध्र प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण

2837. श्री पार्थीसारथी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण और खनिज निकालने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के लिये इस प्रकार की योजना को अन्तिम रूप देने का कोई विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हां, महोदय । 1966-67 के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आन्ध्र प्रदेश में खनिजों के सर्वेक्षण की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है । इस योजना में विशाखापत्तनम, श्री काकुलम तथा नैलौर जिलों में खनिजों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण शामिल है । इसके अन्तर्गत कुप्य धातुओं, युद्ध सम्बन्धी धातुओं, अपाटाइट, द्रवण श्रेणी चूना पत्थर, वैरी क्यूलाइट तथा हीरों का बड़े पैमाने पर मान चित्रण करके गढ़े खोद कर, खाइयें खोद कर तथा व्यधन द्वारा विस्तृत अनुसन्धान भी होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

2838. श्री शि० चं० झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में और अधिक विदेशी विशेषज्ञों को रखने के लिये ब्रिटेन द्वारा दबाव डाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Location of Industries in Urban Areas

2839. Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Industiral Development and Company Affairs** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that most of the industries which were set up during the period of the last three Five Year Plans were located in urban areas;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to adopt such a policy under which it will be ensured that most of the industries are set up in rural areas in view of the problem of unemploy-ment and starvation in those areas; and

(d) in case it has not been done so far, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) We have no detailed information in the matter.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : In formulating the Third Plan Government had laid down for themselves the objective of encouraging the growth of industries in rural areas and small towns so as to provide opportunities of income and employment in a dispersed manner all over the country. In this connection attention is invited to paragraphs 22 and 23 of Chapter XXV of the publication "Third Five Year Plan."

डमडम जंक्शन और डमडम छावनी के बीच लड़ाई

2840. श्री कं० हाल्दर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1967 की प्रातः डमडम जंक्शन और डमडम छावनी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइनों के पास राज्य सशस्त्र पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल के एक इंसपेक्टर के बीच गोली चली थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे अधिकारियों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) जी हां। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31-5-67 को 23.45 बजे दमदम कैंट स्टेशन के स्टेशन मास्टर से यह सूचना मिलने पर कि आउटर सिगनल के पास चोरी हो गयी है, रेलवे सुरक्षा दल के इन्सपेक्टर और सरकारी रेलवे पुलिस के सब-इन्सपेक्टर मौके पर गये और गेहूं के तीन बोरे बरामद किये। जब उनका दल गेहूं के बरामद किये गये बोरों को लेकर दमदम कैंट स्टेशन की ओर जा रहा था, तब वायरलेस स्टेशन के निकट सुरक्षा के लिए तैनात राज्य सशस्त्र पुलिस के कर्मचारियों ने उन पर गोली चला दी और आरोप लगाया कि गेहूँ के बोरे गाड़ी से चुरा कर ले जाये जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा दल/सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी, जो बाकायदा वर्दी में थे, रुक गये और उन्होंने चिल्लाकर बताया कि वे रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य सशस्त्र पुलिस के कर्मचारी जो सादी पोशाक में थे, मनमाने ढंग से गोली चलाते रहे। इस पर रेलवे सुरक्षा दल के इंसपेक्टर को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी, लेकिन राज्य सशस्त्र पुलिस ने उनके दल के लोगों को पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा दल के इंसपेक्टर, सरकारी रेलवे पुलिस के सब-इन्सपेक्टर और रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को गम्भीर चोटें आयीं। उनको घसीट कर राज्य सशस्त्र पुलिस के कैम्प में ले जाया गया। सूचना मिलने पर दमदम पुलिस स्टेशन के दो सब-इन्सपेक्टर राज्य सशस्त्र पुलिस के कैम्प में आये और उन्होंने रेलवे सुरक्षा दल के इन्सपेक्टर और उनके दल को छुड़ाया।

सरकारी रेलवे पुलिस सियालदह ने दो विरोधी मामले दर्ज किये है—एक राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/307 के अधीन और दूसरा रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 307 के अधीन। इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए पश्चिम बंगाल के इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस से भी बात-चीत की गयी है।

चाय बागान

2841. श्री भ्रात्म दास : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बागानों में चाय के अधिकांश पौधे 60 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चाय के ये पौधे कम चाय पैदा करते हैं और वह चाय घटिया किस्म की भी होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में तथा विदेशी बाजारों में चाय की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार नये पौधे उगाने को प्रोत्साहन दे रही है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने पौधे लगाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 31-3-1963 को नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल क्षेत्र के 21.4 प्रतिशत में लगभग 60 वर्ष पुराने चाय के पौधे थे।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) निम्न क्षेत्रों में नये पौधे लगाये गये थे :—

1962-63	—	1972.29	हैक्टेयर
1963-64	—	2167.00	,,
1964-65	—	2575.40	,,

चाय का निर्यात

2842. भ्रात्म दास : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय की तुलना में श्री लंका की चाय अच्छी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी मन्डियों में भारतीय चाय की तुलना में श्रीलंका की चाय अधिक बिकने लगी है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मंडियों में इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। श्री लंका की चाय को अधीमान दिया गया है क्योंकि वहां की चाय की कीमत भारत की चाय की अपेक्षा कम है। भारतीय रुपये के अवमूल्यन और निर्यात शुल्क में कमी से भारतीय चाय विश्व मण्डी में प्रतिस्पर्धा कर सकेगी।

Allotment of C. I. Sheets to M. P. and Gujarat

2843. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) the quantity of corrugated iron sheets requitioned by Madhya Pradesh and Gujarat during the last three years;

(b) the quantity of sheets allotted to these States during the said period; and

(c) the quantity of sheets actually supplied to these States during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Demands for Galvanised corrugated sheets received by the Iron and Steel Controller from Madhya Pradesh and Gujarat during the last three years were as follows:

(In tonnes)

	Madhya Pradesh	Gujarat
1964-65	2,000	42,100
1965-66	17,896	--
1966-67	22,333	85,000

(b) No allocation of Galvanised Corrugated Sheets to these States, or to any other State, was made during these years.

(c) Despatches of galvanised and black corrugated sheets to these States against earlier allocation during the last three years were as follows :-

(In Tonnes)

	Madhya Pradesh		Gujarat	
	Galvanised Corrugated Sheets.	Black Corrugated Sheets	Galvanised Corrugated Sheets	Black Corrugated Sheets
1964-65	9264	—	5445	—
1965-66	2877	1067	2472	202
1966-67	1171	3862	562	1834

During the year 1964-65 Black Corrugated Sheets were not produced.

Khadi and Village Industries Commission

2844. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sheokumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Commerce be pleassed to state :

(a) whether it is fact that Khadi and Village Industries Commission is facing serious financial crisis;

(b) whether it is also a fact that there is a wide-spread discontentment amongst the employees as a result thereof; and

(c) if so, the action taken to improve the present position of the Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) and (b) : No, Sir.

(c) Does not arise.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2845. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामसेवक यादव :

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में इस समय कितने प्रतिशत कर्मचारी आन्ध्र प्रदेश के हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स के रामचन्द्रपुरम् यूनिट में 600/- रुपये तक प्रति माह वेतनक्रम वाले सभी पद केवल आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित किये गये हैं और क्या इस आशय का कोई आदेश हाल में जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है और क्या यह भारत सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अनुरूप है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट में 73 प्रतिशत और स्विचगीयर यूनिट में 74.8 प्रतिशत।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2846. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कितने सेवा-निवृत्त अधिकारियों को नौकरी दी गई है और उन्हें नियुक्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हैदराबाद यूनिट ने पदोन्नति तथा भर्ती सम्बन्धी नियम बना लिये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में 17 सेवानिवृत्त अधिकारी काम करते हैं। मुख्य रूप से उनकी अर्हता (अधिकांश मामलों में तकनीकी), ज्ञान, लम्बा अनुभव और विशेषीकरण को ध्यान में रख कर उनको रखा गया है।

(ख) पदोन्नति और भर्ती के लिये हैदराबाद यूनिट के पृथक नियम नहीं है, परन्तु इस पर कम्पनी के नियम लागू होते हैं।

रूरकेला उर्वरक कारखाना

2847. श्री दे० ग्रामात : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला का उर्वरक कारखाना घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) जी, हां। राउरकेला इस्पात कारखाने की कोक ओवल बैंटरियों से प्राप्त होने वाली कोक ओवल गैस को अच्छी किस्म की न होने तथा उसके अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण राउरकेला के उर्वरक कारखानों में निर्धारित क्षमता के 30 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करना संभव नहीं हो सका है। अब यह निश्चय किया गया है कि उर्वरक कारखाने के साथ एक नेफ्था स्टीम रीफार्मिग यूनिट लगाया जाये ताकि इस्पात कारखाने से प्राप्त होने वाली कोक ओवन गैस की सप्लाई बढ़ाई जा सके और उसकी किस्म को भी अच्छा बनाया जा सके। ऐसा अनुमान है कि नेपथा यूनिट उत्पादन करने के लिए 1968 के तीसरे क्वार्टर में बन कर तैयार हो जायगा। इससे न केवल उर्वरक कारखाने की पूर्ण क्षमता का उपयोग होने लगेगा बल्कि उर्वरक की उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकेगी।

वाणिज्य दूतों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण का कार्यक्रम

2848. श्री रा० बरुग्रा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य दूतों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और हमारे निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विदेश सेवा के कुछ अधिकारियों के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 'विदेश व्यापार' पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वालों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध कराना और उनको निर्यात-आयात व्यापार संभावनाएं प्रदान करना है, ताकि विदेशों वाणिज्यक पदों पर उनका प्रभाव और सफलता बढ़े।

कार्य-क्रम 5 मास की अवधि का है, पूर्ण मालिक है और दो भागों में विभक्त है, अर्थात पहले 4 महीने का कक्षा में प्रशिक्षण है और बाद में एक महीने का महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों का अध्ययन दौरा है।

कार्यक्रम में निम्न पांच पर्चे हैं :—

1. आर्थिक परिभाषाएं और सामान्य नीतियां।
2. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य।
3. आर्थिक विकास और समस्याएं तथा भारतीय विदेश व्यापार की संभावनाएं।
4. अन्तर्राष्ट्रीय विपणन : तकनीक तथा प्रक्रिया।
5. क्षेत्र के बारे में सलाह देना।

हमारे वाणिज्यिक दूत देश के निर्यात प्रयत्नों में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके पास विश्व व्यापार की नवीनतम जानकारी हो। इस पाठ्यक्रम में इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। इसके प्रभाव का शीघ्र मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पाठ्यक्रम को हाल ही में आरम्भ किया गया है।

पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी०टी०ओ०)

2849. श्री म० ला० सोंधी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष तीन मुफ्त पासों और 6 सुविधा टीकट आदेशों (पी०टी०ओ०) की व्यवस्था है ; और

(ख) सरकार द्वारा (एक) मुफ्त पासों और (दो) सुविधा टिकट आदेशों के लिये प्रति वर्ष कितनी धनराशि नियत की जाती हैं।

रेल मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। रेल कर्मचारियों को पास सुविधा टिकट आदेश निम्न प्रकार से दिये जाते हैं:–

कर्मचारियों की कोटि	प्रतिवर्ष दिये जाने वाले पास सुविधा टिकट आदेश के सेटों की सं०	
	पास	सुविधा टिकट आदेश
राजपत्रित अधिकारी	6	6
तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी		
(i) सेवा के पहले से 5वें वर्ष तक	1	6
(ii) छठे वर्ष से और उसके बाद	3	6

(ख) इसके लिए किसी खर्च की व्यवस्था नहीं की जाती। गाड़ियों में सामान्यतः जितने स्थान की व्यवस्था रहती है और वास्तव में जितने लोग यात्रा करते हैं, उनके अनुपात में इतनी गुंजाइश बच रहती है कि रेल कर्मचारी इस स्वल्प यात्रा सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसी आधार पर वे मुफ्त पास और रियायती यात्रा की सुविधा का उपयोग करते आ रहे हैं।

चाय बोर्ड में महिला एसिस्टैंट

2852. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विदेशों में सेवा करने के लिये चाय बोर्ड ने कितनी महिला असिस्टंट भर्ती की है और उनकी सेवा की शर्तें क्या थीं; और

(ख) पिछले दो वर्षों में कितने विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये और उनकी सेवा की शर्तें क्या थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केमरा फिल्मों की कमी

2853. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केमरा फिल्मों की कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव को दूर करने तथा सप्लाई स्थिति में सुधार करने के हेतु एक करोड़ रुपये के मूल्य की फिल्मों का आयात करने के लिये अतिरिक्त लाइसेंस लिये हैं तथा आंशिक रूप में इस समस्या को हल करने के लिये सुपर बाजार को कुछ सप्लाई की है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं तथा सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पूर्व यूरोपिय देशों से इस देश में सभी प्रकार की फिल्में आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को 103 लाख रुपये के आयात लाइसेंस दिये गये थे । इस आयात का कुछ भाग बिक्री के लिये सुपर बाजार को दिया गया था; इसका खयाल रखा जाता है कि 'रुपया' देशों से राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया सारा माल अधिक से अधिक खुदरा व्यापारियों में बांटा जाये । ऐसा मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त 6 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा सप्लाई देकर किया जाता है ।

आसाम में औद्योगिक बस्तियां

2854. श्री रा० बरुआ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम में जिन औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करने का विचार था, उन्हें स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कच्चे माल की सप्लाई करने तथा क्रय-विक्रय की सुविधाएं देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी आसाम सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्गापुर में श्रमिकों में असंतोष

2855. श्री रा० बरुआ : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में श्रमिकों में बेचैनी निकट भविष्य में समाप्त हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या श्रमिकों में अशान्ति से कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; यदि हां; तो कितना; और

(ग) श्रमिकों में लगातार बेचैनी तथा प्रतिद्वन्द्वी कार्मिक संघों में तनाव के कारण दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) अन्य बातों के साथ साथ यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार के अधिकारी विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन कितनी जल्दी करते हैं।

(ख) जी, हां। ऐसा अनुमान है कि मार्च और अप्रैल 1967 में उत्पादन में क्रमशः 23·5 मिलियन रुपये और 28.1 मिलियन रुपये की हानि हुई है। ऐसा हो सकता है कि कारखाने की देखभाल आदि कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण संयंत्र और उपकरणों की म्याद पर भी प्रभाव पड़ा हो परन्तु इसका ठीक-ठीक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) चूंकि मजदूरों में अशान्ति का मुख्य कारण ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने में विलम्ब है, अतः राज्य सरकार से बार-बार यह निवेदन किया गया है कि वह इस काम को शीघ्र पूरा करें।

चाय का निर्यात

2856. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के आरम्भ में मध्य पूर्व तथा कुछ उत्तर अफ्रिका देशों का दौरा करने वाले चाय सम्बन्धी भारतीय शिष्ट मण्डल ने सिफारिश की है कि भारतीय चाय को विश्व की मण्डियों में प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिये उस पर निर्यात शुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि निर्यातकों के मूल लाभ के अतिरिक्त उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निर्यात शुल्क को समाप्त करने का विचार नहीं है। 1967 के वित्त विधेयक (2) में उपबन्धित निर्यात शुल्क में कमी और अवमूल्यन के कारण निर्यातकों को होने वाले लाभ को निर्यात संवर्धन के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन समझा जाता है।

खादी बोर्ड

2857. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को छह राज्यों से खादी बोर्डों के धन की जाल साजी तथा गबन के कई मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और किस प्रकार की जालसाजी तथा गबन के मामले हुए हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

दुर्विनियोग और गबन के मामलों के सम्बन्ध में 31-3-66 के ब्यौरे

राज्य बोर्ड का नाम	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्यवाही
1. बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग	शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
2. जम्मू तथा काश्मीर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग	विभागीय जांच की गई है और पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
3. केरल राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग और लेखों में गड़बड़ी और जाली दस्तावेज बनाना।	विभागीय जांच की गई और तीन व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया।
4. मद्रास राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग	जांच की गई, अपराधियों को सेवा से हटा दिया गया।
5. उड़ीसा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग	पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।

6. पंजाब राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	निधियों का दुर्विनियोग	विभागीय जांच की गई है। एक व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी गई है और चार अन्य की वेतन वृद्धियां दो वर्ष के लिये रोक दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश में कपड़े की मिलें

2858. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न मिलों में मध्यम तथा मोटे किस्म के सूती कपड़ों का बहुत बड़ा भण्डार जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन जैसी विधि बनाकर इन मिलों का पुनर्नवीकरण करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पुरानी कपड़ा मिलों को अच्छी हालत में लाने के लिये क्या उपाय किये जायें—इसपर अलग से विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें

2859. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितनी वस्त्र मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ख) उनसे कितने व्यक्ति बेकार हो गये हैं; और

(ग) उत्पादन की दृष्टि से कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गत वर्षों में 7 कपड़ा मिलें विभिन्न अवधियों के लिये बन्द रहीं। इन 7 में से 2 मिलें अब भी बन्द पड़ी हैं।

(ख) सातों मिलों में कुल 25,100 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इस समय जो दो मिलें बन्द हैं उनसे 5202 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

(ग) अनुमान है कि लगभग 466 लाख मीटर कपड़े और 97 लाख किलोग्राम सूत के उत्पादन की हानि होगी।

Cooperative Spinning Mill, Etawah U. P.

2860. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans given by the Central Government of the Cooperative Spinning Mill, Etawah, in Uttar Pradesh ;

(b) whether this amount was given by the Central Government direct or through the State Cooperative Bank; and

(c) whether it is a fact that the said Mill is likely to be closed due to loss ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Cotton Mills in Bihar

2861. Shri R. Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total number of cotton mills in Bihar;

(b) the number of those mills which are lying closed, the days for which they remained closed and the reasons therefor;

(c) whether Government propose to re-employ jobless workers by reopening these mills in view of the famine conditions in Bihar, if necessary by taking over control of these mills from the owners; and

(d) whether Government also propose to give some assistance to the State Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Five, excluding one mill whose Registration Certificate has been revoked as it was considered fit for being scrapped.

(b) There is only one mill, namely, Gaya Textile Ltd., Gaya, which continues to be closed since 7-12-1965 for reasons of uneconomic working because of old machinery.

(c) The mill is beyond redemption and its registration certificate is proposed to be revoked.

(d) Does not arise.

टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य

2862. श्री बलराज मधोक : श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री म० ला० सोंधी : श्री दिनकर देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकल टायरों तथा ट्यूबों के नियंत्रित मूल्यों एवं उन मूल्यों में जिनमें व दिल्ली में बेची जा रही हैं, बहुत बड़ा अन्तर है, जिससे गरीब जनता को बड़ी परेशानी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्यों पर टायर तथा ट्यूब उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) साइकिलों के टायर और ट्यूबों के मूल्यों पर कोई सविहित नियन्त्रण नहीं है। फिर भी, शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर दिल्ली में लोकप्रिय ब्रांडों के टायर और ट्यूब उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं कि वास्तविक उपभोक्ताओं को, अधिकृत विक्रेताओं और उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर टायर और ट्यूब निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध हों। इस दिशा में निम्न कदम उठाये गये हैं :-

(एक) अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत साइकिलों के टायर और ट्यूबों को अत्यावश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने की शक्तियां भी शामिल हैं।

(दो) टायर और ट्यूबों के निर्माताओं से कहा गया है कि वे मूल्यों को रोकें और विक्रेताओं और उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को नियमित रूप से सप्लाई करते रहे। निर्माता अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत सहकारी स्टोरों को देने के लिये राजी हो गये हैं। दिल्ली के विभिन्न थोक तथा अन्य सहकारी स्टोरों को साइकिल के टायरों और ट्यूबों की सप्लाई दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा विनियमित की जाती है।

(तीन) नगर निगम कर की रसीदों और रिक्शा स्वामी के लाइसेंसों को दिखा कर वास्तविक उपभोक्ताओं को साइकिल और रिक्शा के टायर नियमित रूप से देने के लिये दिल्ली प्रशासन ने विस्तृत प्रबन्ध किये हैं। साइकिल टायर और ट्यूब विक्रेताओं से अपनी बिक्री और स्टॉक का साफ हिसाब रखने के लिये कहा गया है, ताकि दिल्ली प्रशासन के अधिकारी पूरा नियन्त्रण रख सकें यह और यह सुनिश्चित रख सकें कि इन अनुदेशों का पूरी तरह पालन किया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने साइकिल विक्रेताओं की संस्था से यह भी कहा है कि वह व्यक्तिगत विक्रेताओं के कार्य की निगरानी के लिये प्रबन्ध करे ताकि कोई भी सदस्य विक्रेता दुराचार न करे। संस्था ने, प्रत्येक साइकिल रिक्शा चालक को एक परिचयपत्रक जारी करके इस पद्धति में और सुधार करने की कोशिश की है। इस पत्रक पर टायरों की संख्या और उनको देने की तिथि के लिये स्तम्भ छपे हुए हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

सिक्किम की सीमा के निकट चीनी सेना का आगे बढ़ना

श्री समरगुह (कन्टाई) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"सिक्किम की सीमा के निकट चीनी सेना के आगे बढ़ने और माइक द्वारा भारत विरोधी प्रचार बढ़ाने की और तथा चीनी गश्ती दस्तों और भारतीय सीमान्त गार्डों के बीच मुठभेड़, जिसके परिणामस्वरूप चार भारतीय जवान मारे गये, के समाचार"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : चीन की फौज हमारी उत्तरी सीमा पर काफी समय से बड़ी संख्या में एकत्रित है। उस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

3 जुलाई 1966 से चीनी नाथूला के पार से इस विचार से लाउडस्पीकर पर प्रचार कर रहे हैं जिससे की भारत की स्थिति के सम्बन्ध में गलत कहानियां सुना कर भारतीय सैनिकों के आदर्श और अनुशासन पर कुप्रभाव पड़े। चीनी सरकार ने भारतीय सैनिकों के आदर्श और दृढ़ संकल्प पर इस प्रकार से प्रसारण से बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका गलत अनुमान लगाया, क्योंकि भारतीय फौज इस प्रकार के प्रचार से घृणा करती है।

सरकार ने चीनियों के इस प्रकार के झूठे प्रचार के प्रतिकार के लिए और भारत के विरूद्ध उनके आक्रामक इरादों के भंडा-फोड़ के लिए उपयुक्त कदम उठाये हैं। उन उपायों में नाथूला की सीमा से लाउडस्पीकर द्वारा उनके विरूद्ध प्रसारण का कार्य भी शामिल है। 1–8–66 और 7–11–66 को ये तथ्य सदन के ध्यान में लाए गए थे।

सिक्किम सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हाल ही में कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए हमारे जवानों में से 4 जवानों की मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता।

तिब्बत सीमा पर चीनी फौज की मौजूदगी से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह सजग है और देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों की लगातार समीक्षा होती रहती है।

श्री समर गुह : हाल ही में लगभग सभी समाचारपत्रों में छपा है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया के एक संवाददाता ने नाथूला तथा सिक्किम क्षेत्र में अन्य दर्रों का दौरा किया। वहां से लौटकर संवाददाता ने बताया कि चीनी सेना कई स्थानों में हमारी सीमा से केवल 10 फुट और कई अन्य मामलों में केवल 4 फुट की दूरी पर हैं। क्या चीनी सेना की इन सामरिक गतिविधियों तथा चीन पाकिस्तान के मिली-जुली हरकतों से हमें खतरा है और इससे चीन तथा पाकिस्तान के भारत के विरुद्ध बुरे उद्देश्य सिद्ध होते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध चीनी सेनाओं के जमाव से है, हम उनकी राजनैतिक चालों तथा अन्य हरकतों के बारे में पूरी तरह सजग हैं, यह बात ठीक नहीं है कि चीनी तथा भारतीय सेनाओं में केवल 10 फुट अथवा 4 फुट का अन्तर है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि चीन द्वारा सिक्किम पर आक्रमण को भारत पर आक्रमण समझा जायेगा और हम सिक्किम की भूमि पर आक्रमण होने पर उसकी सुरक्षा के लिये तैयार हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात सभा को, देश को तथा चीनियों को सभी को मालूम है कि सिक्किम की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। यदि कभी हमारी प्रादेशिक अखण्डता को खतरा हो अथवा सिक्किम के राज्य क्षेत्र पर चीन द्वारा कोई कार्यवाही की जाये, तो हम कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम में चीनियो की सहायता से एक युवक अध्ययन दल बनाया गया है और उनके द्वारा भारत विरोधी कड़ा प्रचार किया जा रहा है। सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सिक्किम में किये जा रहे प्रचार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारा सम्बन्ध प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों से है, सिक्किम की स्थिति सिक्किम के चोगपाल के नियंत्रण में है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (Qury)

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली में चीनी राजनयिकों के व्यवहार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। चीनी विभिन्न प्रकार की रहस्यपूर्ण कार्यवाहियां कर रहे हैं। इसलिये, मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

काजू की गिरी का निर्यात, किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण संशोधन नियम, 1967 वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : श्रीमान्, मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत काजू की गिरी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 17 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1785 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 683/67]**

कोयला बोर्ड का 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): श्रीमान् मैं कोयला बोर्ड, कलकत्ता, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 684/67]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, मैं 19 जून, 1967 से आरम्भ होने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(1) आज की कार्य सूची के अवशेष किसी सरकारी कार्य पर विचार करना;

(2) अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक, 1967 पर विचार तथा पारित करना;

(3) कम्पनी न्यायाधिकरण (उत्पादन) विधेयक, 1967 पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित करना;

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966 को एक संयुक्त समिति को सौंपने की राय राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार;

(5) प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the Hazari Report and the Report of the Monopolies Commission will be discussed during the next week.

Dr. Ram Subhag Singh : Efforts would be made to find time for the discussion on these reports during this session.

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda] : The report of Education Commission should be discussed.

Dr. Ram Subhag Singh : It will be taken up afterwards.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में आपने वचन दिया था, उस पर कितना समय लगेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रतिवेदन पर विचार के बाद यह मामला लिया जायेगा ।

सदन की कार्यवाही के वृत्तान्त तथा संसदीय पत्रों की भाषा

LANGUAGE OF THE REPORT OF THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE AND PARLIAMENTARY PAPERS

श्री कंडप्पन (मैसूर) : इस मामले का सम्बन्ध संसदीय कार्यवाही के वृत्तान्त से है । इस समय सभा की समूची कार्यवाही का वृत्तान्त मूल भाषा में रखा जाता है और उसे संसदीय

कार्यवाही के अधिकृत वृत्तान्त के रूप में सचिवालय में रखा जाता है। अंग्रेजी में दिये गये मूल भाषणों का अनुवाद हिन्दी में तथा हिन्दी में दिये गये मूल भाषणों का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है और अनूदित संस्करण प्रतियाँ मांग करने पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अनूदित संस्करण में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषायें होती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जो सदस्य हिन्दी नहीं जानते उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें मूल तथा अनूदित संस्करण दोनों ही देखने पड़ते हैं।

सभा में साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था हो जाने के बाद मंत्री तथा सदस्य प्रायः अंग्रेजी बोलते बोलते हिन्दी में बोलने लगते हैं। किसी विशेष सदस्य के किसी विशेष भाषण के लिये हमें दोनों संस्करण लेकर उनमें से ढूंढ़ना पड़ता है। इसमें बहुत कठिनाई होती है। यह ठीक है कि अधिकृत वृत्तान्त में फेर बदल नहीं किया जा सकता, यद्यपि आपने हमें अपनी भाषाओं में भाषण देने की अनुमति दी है। जिन्हें टेप रिकार्ड करने के बाद अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और उसे अधिकृत वृत्तान्त माना जाता है। परन्तु यह अनुवादक की योग्यता पर निर्भर रहता है और मुझे आशा है कि अनुवादक योग्य ही हैं।

यदि अनुदित संस्करण केवल अंग्रेजी में हो तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। जो सदस्य हिन्दी चाहें, उन्हें हिन्दी में अनुदित वृत्तान्त दिया जा सकता है। अंग्रेजी में दिये गये भाषणों के साथ हिन्दी में दिये गये भाषणों का अंग्रेजी अनुवाद शामिल किया जा सकता है। आप हमें सम्पूर्ण भाषणों का अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध करें।

मुझे बताया गया है कि इस पर अतिरिक्त व्यय होगा। सभा प्रकाशनों में हिन्दी तथा अंग्रेजी साथ साथ छापे जाते हैं। यदि यह समझा जाता है कि इससे हमें हिन्दी पढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा तो यह विचार गलत है। इसमे तो हिन्दी विरोधी भावना उत्पन्न होती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इसमें हिन्दी विरोधी भावना का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ?

श्री कंडप्पन : अंग्रेजी तथा हिन्दी में पृथक वृत्तान्त छापने से कागज तथा छपाई आदि की बचत होगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The hon. Member may be invited to the meeting being convened by you on the language issue. The matter may be discussed there.

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The Minister of External Affairs stated yesterday that he had no information regardiag our diplomatic personnel in China and

Chinese diplomatic personnel in India. I would urge you to ask the Minister to give the latest information in this connection before the House adjourns today. I have also tabled a Calling Attention Notice. It has been reported in the newspapers that a driver of Chinese Embassy slapped a policeman outside Embassy. The Government should take this matter very seriously.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : चीनियों का पेकिंग में तथा यहां चीनी दूतावास में व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है। इस मामले पर पूरी चर्चा की जानी चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : इसके बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री को सूचना दी जायेगी और सभा के स्थगित होने से पहले वक्तव्य देने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्री से निवेदन किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन विधेयक-जारी

ANTI-CORRUPTION LAWS (Amdt,) BILL-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा 14 जून 1966 को प्रस्तावित निम्न-लिखित प्रस्ताव पर अब आगे विचार किया जायेगा। "कि भ्रष्टाचार निरोध विधियों में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : The corruption has gone deeper into each and every part of our nation. It is extending just like the cancerous infection. For instance, the medicines provided to hospitals for distribution among poor patients, are being sold in the market. The construction of border roads remained confined to papers only, which caused inconvenience to our forces in front areas in time of need. Half of the investment allotted for big projects goes into the packets of corrupt officers, which include top officers also. So, if we want to do away with the corruption rampant in the whole life of nation, we will have to adopt some stern and effective measures. Unless the corruption will have mushroom growth and will endanger our freedom one day. If it is our earnest desire to get rid of this cancerous disease of corruption, we should start to tackle this problem from topward i. e. the action against the top corrupt officers and even corruption Ministers should be taken first. If the top officer is an honest man, the whole administration will be made holy. It is unfortunate that our present Govt. do not probably intend to root out the corruption. If any complaint is received against the Minister or any top officer it is tried to keep that in pending or to throw it into waste paper. Moreover, the recommendations given by the Santhanam Committee in this respect are not accepted by the Govt.

If we are serious about rooting out the corruption, we should start a compaign for this purpose. We should try to raise the morality and morale of the people high. Then only we can make our nation strong.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A question was raised yesterday whether public servants' include Ministers or not. But it is still not clear whether a Minister is a public

servent or not. There is no doubt that the corruption has crept into the whole administrative machinery. Ministers are not exception to it. Unless a high powered commission or committee is constituted for dealing with this problem of corruption, it will not be possible to eradicate the deep-rooted corruption. So I want that the discussion on this motion should be postponed till it is clear whether a Minister is a public servant or not. If not, Ministers should be included within the scope of the Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वर्ष 1964 में सर्वप्रथम जब यह संशोधी विधेयक सभा के सामने लाया गया था उस समय भी यह सवाल उठाया गया था और इस सम्बन्ध में उच्चत्तम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया था कि 'लोक सेवक' की परिभाषा के अन्तर्गत मंत्री भी आते हैं। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया था, इस प्रश्न पर तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि एक मंत्री लोक-सेवक है। भारतीय दड संहिता की धारा 21 के खंड 9 के अधीन यह स्पष्ट है कि मंत्री लोक सेवक हैं। अतः इस दृष्टि से विधेयक में इस आशय का एक पृथक खंड जोड़ना उपयुक्त नहीं है।

श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई मध्य) : उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय एक अध्यादेश पर आधारित है जो 1949 में जारी किया गया था। उस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया गया था और दंड संहिता में भी इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं है। साथ ही अध्यादेश का प्रभाव ही समाप्त हो गया है, और उच्चत्तम न्यायालय के अनुसरण में दंड संहिता में भी संशोधन नहीं किया गया है। इस स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम मंत्रियों पर लागू न हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय तो विद्यमान है। परन्तु इस आशय का कोई अधिनियम बना हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय का वही प्रभाव होगा जो एक अधिनियम का होता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब प्रश्न यह उठा है कि क्या उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव अधिनियम के समान ही होगा। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 141 को देखना उपयुक्त होगा, जिसमें यह व्यवस्था है कि उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय भारत राज्य-क्षेत्र के अन्य सभी न्यायालयों में कानून के रूप में मान्य होगा। दूसरे ऐसा कोई परन्तुक या अपवाद खंड नहीं है कि अध्यादेश के समाप्त हो जाने पर उस पर आधारित उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय भी प्रभाव में नहीं रहेगा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह निवेदन है कि अब एक संशोधी विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है जबकि संशोधी विधेयक के सिद्धान्तों आदि पर चर्चा होनी चाहिये। इसलिये इस समय यह प्रश्न कि मंत्री लोक सेवक की परिभाषा में आता है या नहीं अथवा भ्रष्टाचार के प्रश्न पर विचार करना तर्कसंगत नहीं, चाहे यह प्रश्न कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा में मंत्री भी आते हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु भारतीय दंड

संहिता का निवर्चन तो न्यायाधीशों के हाथ में है और कल को उच्चत्तम न्यायालय यह भी कह सकती है कि मंत्री सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिये इसके बारे में मंत्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए ताकि बाद में कोई न्यायालय इस पर अन्य मत व्यक्त न कर सके।

श्री रा० ढो० भन्डारे : मंत्री महोदय ने कहा है कि अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चत्तम न्यायालय द्वारा घोषित किया कानून भारत में सब न्यायालयों पर लागू होगा। उच्चत्तम न्यायालय ने अपना निर्णय एक अध्यादेश के आधार पर किया है। जब अध्यादेश समाप्त हो जाये तो वह कानून तो उस पर आधारित करके बनाया था वह भी समाप्त हो गया। एक अध्यादेश तब भी कानून बन सकता है जब उसे दंड संहिता में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा किया नहीं गया, इसलिये उच्चत्तम न्यायालय का कानून भी उस अध्यादेश के साथ समाप्त हुआ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय तब तक मान्य है जब तक उसे वह अपने बाद के निर्णय से न बदले। जब कानून का निर्वचन होता है तो कानून बनाने वालों की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि कानून में जो शब्द लिखे हैं उनका ही निर्वचन होता है। इसलिये मंत्री महोदय जो यहां कहते हैं उसका प्रभाव न्यायालयों पर नहीं पड़ेगा। उन्हें इसे कानून में बदलना होगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि उच्चत्तम न्यायालय ने अपना निर्णय बदल लिया अथवा यह कह दिया कि क्योंकि वह निर्णय अध्यादेश पर आधारित था और अध्यादेश के समाप्त होने पर यह कानून भी समाप्त हो गया तो हम एक कानून ले आयेंगे और उसमें मंत्रियों को भी शामिल कर लिया जायेगा। यह आश्वासन मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सदन को दे सकता हूं। उस निर्णय में भी स्पष्ट है कि मंत्रीगण सरकारी कर्मचारी हैं और इस अध्यादेश का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये शंका के लिये कोई स्थान ही नहीं है। साथ ही हमें विधि मंत्रालय ने भी यही परामर्श दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में मत्री भी आते हैं और इस कारण उसके बारे में उपबन्ध जोड़ना व्यर्थ है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यदि मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं तो वह मंत्री भी सरकारी कर्मचारियों में हैं तो वह इसे भारतीय दंड संहिता में शामिल क्यों नहीं कर लेते ? क्या इतने वर्षों में किसी मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री पर मुकदमा चलाया है ? वे तो अपने आप को एक अलग श्रेणी का व्यक्ति समझते है। जब तक आप इन्हें कानून का भाग नहीं बनाते, देश की 50 करोड़ जनता में इसका कोई विश्वास नहीं होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : महोदय, मंत्री जी की बात ने सरकार की इच्छाओं के बारे में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। मैं इस बात का उन्हें श्रेय दूंगा कि वह कहते हैं कि मंत्री भी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। यदि मंत्री महोदय गंभीर हैं तो वे दो घंटे बाद आ सकते हैं और एक संशोधन ला सकते हैं।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I cannot understand the contention of the Minister that if an amendment is brought it will take a long time to pass it. Let him

come after sometime and have consultation with the Minister and we are prepared to pass it immediately.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस मामले पर पूरी तरह विचार किया है। हमें ठीक प्रकार से पता है कि सरकारी कर्मचारियों में मंत्री भी आते हैं तथा हमने कानूनी विशेषज्ञों से भी पूछा है और वह कहते हैं कि हम इस विधेयक का संशोधन करके परिभाषा नहीं बदल सकते। इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पास किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जहां मंत्रियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, परन्तु उनमें से किसी पर भी मुकदमा नहीं चला। इसका कारण यह है कि वे जांच करके मत्रियों को दंडित करना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर 2 बजे चर्चा करेंगे।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० के लिए स्थगित हुई)
(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock)

(मध्यान भोजन के पश्चात लोक सभा फिर 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई)
(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के मन में कुछ भ्रम प्रतीत होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय द्वारा जो कानून बनता है वह इतनी ही देर तक रहता है जब तक उसे उच्चत्तम न्यायालय का बड़ा बैंच अथवा दूसरा बैंच नहीं बदलता। दूसरी बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 141 जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया, वह यह है कि उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय नीचे के न्यायालयों पर तो लागू होगा परन्तु वह उसके पश्चात उच्चत्तम न्यायालय पर लागू होना आवश्यक नहीं है और उसे बदला जा सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में कानून बनना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : मैं अपने मित्र से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि जो निर्णय मंत्री जी ने बताया उसमें यह पर्याप्त रूप से नहीं कहा गया कि मंत्रियों को सरकारी कर्मचारियों में शामिल किया जाये। मुझे यह भी पता नहीं है कि न्यायालय ने अपना निर्णय वैसे ही किसी संदर्भ में दे दिया अथवा वह वास्तव में निर्णय था। यदि वैसे ही कह दिया तो उसका मूल्य अधिक नहीं है।

इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस अधिनियय में ही यह लिख दिया जाये कि इस अधिनियम के लिए "मंत्री" भी एक "सरकारी कर्मचारी" समझा जायेगा। श्री विश्वनाथन के प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया है कि यह कानून भूत लक्षित प्रभाव का होगा अथवा नहीं। मेरे ख्याल से इसका भूत लक्षित प्रभाव होना चाहिए।

श्री नायनार (पालघाट) : मेरे विचार में "सरकारी कर्मचारी" में "मंत्री" भी आते हैं। मंत्री महोदय के आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंत्री तो आते हैं और चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे हम अधिनियम में शामिल कर लें।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरे मित्र ने कहा है कि अध्यादेश कानून नहीं है। वह भूल में है। जब तक अध्यादेश रहता है वह कानून है।

इसके अतिरिक्त हमें इस संशोधन सम्बन्धी विधेयक के लिए भ्रष्टाचार-विरोधी अधिनियम को भी बदलना होगा।

यदि आप "मंत्रियों" को सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में लाते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है। इसका कारण यह है कि कानूनी हिसाब से सरकारी कर्मचारी को अपदस्थ करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होती है। परन्तु मंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। इसलिए मंत्री तथा संसद् सदस्यों से निपटने के लिए एक ऊंचे स्तर की मशीनरी की आवश्यकता है। इसलिए मंत्रियों के दुराचार के लिये ऊंचे तथा कारगर तरीके की मशीनरी होनी चाहिए।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : महोदय, इस विधेयक की सीमा बहुत सीमित है। मंत्रियों को भी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता यदि जो मुकदमें पड़े हुए हैं उनमें कुछ मंत्रियों को भी शामिल कर लिया जाता। मेरा कहना यह है कि एक और विधेयक लाया जाये परन्तु वर्तमान कानून में "सरकारी कर्मचारियों" में "मंत्री" भी शामिल हैं।

श्री गजराजसिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यह कहना ठीक नहीं है कि अध्यादेश के समाप्त होने पर उच्चतम न्यायालय के उन पर जो निर्वचनक हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। जब किसी मंत्री, संसदसदस्य के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है तो एक ऊंचे प्राधिकारी की अनुमति लेनी होती है। यदि आप इस विधेयक को किसी न्यायालय में ले जायें तो यह समाप्त कर दिया जायेगा। यह कोई प्रक्रिया का सम्बन्ध नहीं है।

मेरे विचार में ठीक काम यह होगा कि इन मुकदमों को वापस लिया जाये। वर्तमान कानून के अन्तर्गत न्यायालय की अनुमति से इन्हें वापस लिया जा सकता है और फिर से नया मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि हमने इस विधेयक को पास कर दिया तो सदन का मजाक उड़ेगा।

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : प्रश्न यह है कि क्या इस समय परिभाषा के संशोधन करने के लिये कोई संशोधन लाया जा सकता है। मेरे विचार में यह वर्तमान विधेयक की सीमा से परे है।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है वह तब तक अन्तिम निर्णय है तथा सब न्यायालयों पर लागू है जब तक उसे दूसरे मुकदमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा बदला नहीं जाता। इसलिये इस परिभाषा के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaya (Monghyr) : Can the hon, Minister give an assurance that he would clear all these things in another Bill to be brought here soon.

श्री द० रा० चव्हाण : ऐसा आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही मौजूद है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों ने कहा है कि विधेयक में संशोधन लाया जाये ताकि "सरकारी कर्मचारी" में "मंत्रियों" को भी शामिल किया जाये।

वर्तमान विधेयक में यह नहीं लिखा कि भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय जब तक बदला न जाये, कानून है।

भ्रष्टाचार की रोकथाम सम्बन्धित समिति ने, जिसका मैं भी सदस्य था, ने अपनी सिफारिश में कहा था सब मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य सचिव तथा स्थानीय निगमों के सदस्य सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं तथा उसने यह भी कहा था कि इसके लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाये।

मेरा सुझाव यह है कि सदन में जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें देखते हुए यह अच्छा होगा भारतीय दंड संहिता को उचित रूप में संशोधित किया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह आश्वासन आपके निर्णय से पहले ही दे दिया है कि यदि किसी समय इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो हम अवश्य लायेंगे। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु वर्तमान विधेयक में उसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न पूछा गया है कि संथानम समिति की कितनी सिफारिश स्वीकार कर ली है। हमने सिवाय आठ सिफारिशों के बाकी सब सिफारिश स्वीकार कर ली हैं। कुल सिफारिशें 137 थीं।

देश में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मेरे विचार में इस प्रकार की बात फैलाने से अच्छाई होने की बजाये हानि अधिक होती है। अच्छा यह है कि जो विशेष मामले आये उन्हें ठीक कर लें और भ्रष्टाचार के बारे में व्यर्थ की बात न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "भ्रष्टाचार विरोध विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये .

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक को पारित किया जाये"

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Minister stated that only specific cases of corruption should be brought to notice. I want to bring to your notice about a Poona Transport Manager.

Shri V. C. Shukla : How it is connected with this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस समय इसकी अनुमति नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I am speaking under Rule 94. There was a case of importing foreign goods for which foreign exchange was sanctioned and licence was given. There is a report about it to C.B.I. There is violation of Foreign Exchange Regulation as also violation of Customs Act. But they have not taken any action on that. Then there is the case against three Ministers of previous West Bengal government, I was assured that action will be taken against Vijay Singh Nahar, Ishwar Lal Jalan and Nameskar. I want to know whether C. B. I. has investigated the same. Also whether you have implemented the recommendations of the Santhanam Committee. But still I support the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान, सदस्य महोदय ने सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संख्या 353 का उल्लंघन किया है। उन्हें इस प्रकार आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। हम प्रत्येक मामले में कार्यवाही करने को तैयार हैं, यदि हमारी नजर में उन्हें लाया जाये। मैं इन सारे आरोपों को खंडन करता हूँ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. I have not made any new allegation. They were already raised in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने इन प्रश्नों को तीसरी लोक सभा में उठाया था न कि वर्तमान लोकसभा में। इसलिए मंत्री महोदय को ऐसा कहने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye : That has not ended. I am speaking under the Rules.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

पारपत्र विधेयक
PASSPORT BILL

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय श्री चागला की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान करने का विनियमन करने के लिए पारपत्रों और यात्रा-दस्तावेजों को जारी करने का और उससे आनुषंगिक या संबद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे खेद है कि मैं विधेयक प्रस्ताव करते समय यहां नहीं था।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विवाद रहित विधेयक को पास किया जाये। इसे यहां लाने का कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय इस दिशा में दिया है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में विदेशों में जाने की अनुमति भी आती है।

इस निर्णय से पूर्व जो पारपत्र दिये जाते थे वे प्रशासनिक विनियमों के अनुसार दिये जाते थे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन प्रशासनिक विनियमों का भी मनमाने रूप से प्रयोग नहीं होता था।

संसार का कोई भी देश नहीं है जहां पारपत्रों के जारी करने पर नियन्त्रण नहीं है। अमरीका में तो कोरिया के युद्ध के समय से वहां के राष्ट्रपति को पारपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था और वह अब भी जारी है। मैं तो कहता हूँ कि यहां साधारण कानून हो।

विधेयक में पारपत्र तथा यात्रा-दस्तावेजों के जारी करने की बात कही है। पारपत्र के अतिरिक्त दूसरे कागजात की भी आवश्यकता पड़ती है। पारपत्र केवल नागरिक को जारी किया जाता है परन्तु जिनके पारपत्र जब्त कर लिये जायें उन्हें आप पहचान के प्रमाणपत्र देते हैं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि इनको अधिक मामलों में दिया जायेगा।

यदि आप यह कहते हैं कि प्रशासनिक व्यक्ति इसको ठीक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। इसमें तो विश्वास का प्रश्न आता है। प्रशासन पर आपको विश्वास तो करना ही होगा। हम सामान्यतः पारपत्र 3 से 5 वर्ष के लिए जारी करते हैं।

मैंने पारपत्र जारी न करने के पश्चात् अपील के प्रश्न पर बड़ा विचार किया और इस परिणाम पर पहुंचा की आदलतों में यह मामले अपील के रूप में गये तो वहां देर लगेगी। इसलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास ही इसे भेजा जाये ताकि यह जल्दी से इसे निपटा दे। हां हम उस अधिकारी को यह मामले देंगे जिसे कानून का ज्ञान होगा।

केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि पारपत्र देने से इन्कार कर दे। परन्तु यह उन मामलों में मना किया जायेगा जो सार्वजनिक हित में नहीं होंगे। उन व्यक्तियों को भी पारपत्र नहीं दिया जाएगा जो बाहर जाकर अपना निर्वाह न कर सकेंगे ताकि भारतीय नागरिकों का अपमान न हो वहां। हम उन व्यक्तियों को भी पारपत्र नहीं देंगे जो अकुशल हैं क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का वहां जा कर शोषण होता है। जिनके पास नौकरी के वाउचर हैं, उन्हें पारपत्र जारी किये जायेंगे।

जिन लोगों को अदालतों से अनैतिकता के मामले में दो वर्ष की सजा हो गई हो उन्हें भी पारपत्र नहीं दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार जन हित के मामले में पारपत्र देने से इन्कार कर सकती है।

हम पारपत्र देने से पूर्व पुलिस तथा गुप्तचर विभाग से पूछते अवश्य हैं परन्तु फिर सोचते हैं कि पारपत्र देने से इन्कार किया जाय अथवा नहीं।

"लोक हित" की व्याख्या करना असम्भव है। कोई न्यायालय अथवा न्यायाधीश इसकी व्याख्या नहीं कर सका है।

बहुत कम मामलों में पारपत्र देने में इन्कार किया जाता है। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस मामले में किसी प्रकार का मत-भेद नहीं किया जाएगा। दल के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर तथा धनी और निर्धन के बीच किसी प्रकार का मत-भेद नहीं किया जाएगा। हम प्रत्येक मामले की इस विधेयक के उपबन्धों के आधार पर जांच करेंगे। इस आश्वासन के साथ में इस विधेयक की सिफारिश करता हूँ।

उपाध्यक्ष मोहदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान करने का विनियमन करने के लिए पारपत्रों और यात्रा-दस्तावेजों को जारी करने का और उससे आनुषंगिक या संबद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): I move that the Bill be referred to a Select Committee consisting of 15 members with instructions to report by the 30th July, 1967. I move it with a view to overcoming the various defects and shortcomings in the Bill. If the bill is passed in its present form, the powers of the Government will increase vastly as a result thereof. The Government will make a misuse of these powers.

Pressure is often exerted upon the passport authorities to issue passport to certain specified persons. They have their own views also. It is, therefore, clear that the

Government will definitely misue the powers conferred by this Bill. Shri Golwalker, the Sasanghchalak of R. S.S. was refused a passport to visit that country by the Government of Burma. on the other hand, Sheikh Abdullah was given passport to go abroad and he made a misuse of the passport. the Government did not cancel or impound his passport.

It is not proper to vest such powers in the authorities which are liable to misuse it. The provision relating to appeal is that a appeal can be preferred to another executive officer against the orders of one executive officers. This is like an appeal from Caesar to Caesar, which, in fact is no right of appeal.

Shri Chagla has not been able to define the word 'public interest'. I think that the Government is isterested to retain this right. The word Public interest' can be misused. It is feared that the Government. Will use this clause against such persons who oppose the Government.

Sub-section (f) of Section 6 can be misused wherein it has been provided that the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document to a pers on onthe ground that proceeding in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a Criminal Court in India. This Section should be improved upon. Sub-section (g) of Section 6 and Section 13 and 16 also need to-be improved.

The Bill should be referred to a select committee so that all the shortcomings are removed. .

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मेरे विचार में इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक अध्यादेश के स्थान पर आना है और प्रवर समिति के प्रतिवेदन से पहले ही अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता है।

मुझे प्रसन्नता है कि उच्चतम न्यायालय ने पारपत्र के सम्बन्ध में विधेयक की आवश्यकता का महत्व बताया है, परन्तु मेरे विचार में इस विधेयक के उपबन्ध उन सभी मामलों का समावेश करने के लिए काफी नहीं है जो ठीक या गलत तौर पर पारपत्र अस्वीकार करने अथवा प्रदान करने से उठते हैं। पारपत्र के मामले में सभा के समक्ष कई प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष रीता फारिया के पारपत्र का प्रश्न उठा था। वह वियतनाम जाना चाहती थी। यह मामला उठाया गया था कि उसका पारपत्र अवरुद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं। फिजो से मिलने इग्लैण्ड जाने के लिए छिपे नागाओं को अनुमति देने का प्रश्न भी उठा था। यह सभी उठाए गए मामले न्यायिक न हो कर राजनैतिक हैं। अतः यह उचित है कि ऐसे प्रश्नों पर पारपत्र अधिकारी विचार करें और अपीलें अपीलीय अधिकारियों द्वारा निपटाई जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

चौथा प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I beg to move ;

"That this House agrees with the Fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th June. 1967."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 14 जून, 1967 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

इस्पात पर से नियन्त्रण हटाने के बारे में संकल्प–जारी
RESOLUTION RE ; STEEL DECONTROL Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री नम्बियार द्वारा 2 जून, 1967 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर सेवा करेगी :–

"यह सभा सरकार द्वारा इस्पात से नियन्त्रण हटाये जाने का जिसके फलस्वरूप इस्पात का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, निरनमोदन करती है।"

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : आज एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि इस्पात के मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है, विनियंत्रण के बाद इस्पात के सभी किस्मों के मूल्य में, चाहे वह दुर्लभ किस्म हो अथवा सुलभ किस्म हो, भारी वृद्धि हुई है। रेलवे मंत्री ने आयव्ययक प्रस्तुत करते समय कहा था कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण रेलवे का व्यय बढ़ गया है, नियंत्रण हटाने के मामले में दो प्रकार के विचार है। उत्पादकों का मत नियंत्रण हटाने तथा अधिक लाभ उठाने के पक्ष में है। उनके एकाधिकार वाले हित हैं, परन्तु दूसरा मत आम जनता का है जिनके अनुसार विनियंत्रण ठीक नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। इस्पात के मूल्यों के साथ-साथ अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। अतः किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिये प्रथम और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्पात का मूल्य बहुत ही उचित स्तर पर नियंत्रित किया जाये।

देश में एकाधिकार वादियों का प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण है, यह बात सच है कि इस्पात के मूल्यों तथा बाज़ार पर टाटा कम्पनी का नियंत्रण है। समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्यों को कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिये इस्पात दिया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश विभिन्न राज्यों से मालूम हुआ है कि उन्हें आवश्यक वस्तुयें नहीं पहुँचाई जा रही हैं। उसका कारण यह है कि इस्पात नियंत्रण के दर की समाप्ति के बाद जे० पी० सी० आ गई है। वह केवल मूल्य ढांचे तथा उसके वितरण के मामले को अपनी आवश्यकता तथा पसन्द के अनुसार देखती है। वह छोटे उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं देती।

लघु उद्योगों तथा निर्यात प्रोत्साहन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है। मूल्य बढ़ जाने पर हम विश्व की मण्डियों में प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इससे हमारे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में कमी होगी।

[श्री गु० सिं० ढ़िल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

आन्तरिक मूल्यों के सम्बन्ध में इस्पात उत्पादों पर बहुत अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है। पिछले 15 वर्षों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, वह सहन नहीं की जा सकती। उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप इस्पात के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है। मुझे समझ में नहीं आती कि इसका क्या लाभ है।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि स्थिति में परिवर्तन हो गया है। विनियंत्रण इस प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप किया गया है। ऐसा करके गलती की गई है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि यदि मूल्य बढ़ें तो फिर से नियंत्रण किया जा सकता है। अब वह समय निकट आने लगा है जबकि इस मामले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार द्वारा इस्पात से नियंत्रण हटाये जाने का, जिसके फलस्वरूप इस्पात का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, निरनुमोदन करती है।"

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : We may reconsider the question of decontrol of steel but the wording of the resolution is such that it should be opposed, There is no new point with regard to the question of decontrol of steel. The different items of iron have been decontrolled from time to time. When any commodity is controlled, people have to experience lots of difficulties. They prefer to pay more than to experience all such difficulties. They do not favour control.

Our country is producing steel in sufficient quantities and there is no need of controlling its distribution. The price should not be controlled. Only maximum and minimum prices should be determined so that the stockists do not earn huge profits. The position with regard to the steel is exactly similar.

Shri Namhiar has pointed out that a number of employees of the Iron Control Offices are likely to be retrenched. We should provide them with alternative jobs, but we should not put the public to inconvenience only to avoid such retrenchment. The prices should continue to be controlled but the distribution should be decontrolled.

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह (जूनागढ़) : यद्यपि श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प के प्रथम भाग से मैं सहमत नहीं हूँ जिसमें इस्पात पर से नियंत्रण हटाये जाने के बारे में सरकार की निन्दा की है तथापि मैं संकल्प के द्वितीय भाग से सहमत हूँ।

लोहा और इस्पात के गत 25 वर्ष के नियंत्रण से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि इससे चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। श्री नम्बियार को शायद इस बारे में अनुभव नहीं है इसलिए ही वह इस्पात पर पुनः नियंत्रण लगाने की बात कह रहे हैं। 30 अप्रैल को इस्पात से नियंत्रण हटाने की घोषणा की गई थी। परन्तु बाद की कार्यवाही ठीक नहीं की गई। आज मंत्री ने कहा कि मूल्य वृद्धि तथा विनियंत्रण में कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पहली अप्रैल को ही मूल्य वृद्धि की घोषणा कर दी गई थी, इसलिए यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

सभापति महोदय : अब वैदेशिक कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे । माननीय सदस्य उसके पश्चात अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

चीनी दूतावास के कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : BEHAVIOR OF CHINESE EMBASSY STAFF

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को अधिसूचित किया गया कि भूतपूर्व प्रथम सचिव श्री चेन-न्यू-चिह अब मान्यता प्राप्त अधिकारी नहीं है और वह विदेशी पंजीकरण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आते हैं । उनको आगे सूचित किया गया था कि वह प्रादेशीय पंजीकरण अधिकारी, नई दिल्ली के सम्मुख उपस्थित हों । उन्होंने ऐसा नहीं किया है इसलिए दूतावास को आदेश दिया गया है कि उन्हें यहां से भेज दिया जाये ।

श्री चेन-न्यू-चिह चीनी दूतावास में ही ठहरे हुए हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राजनयिक परम्परा के अन्तर्गत दूतावास की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । हमारी प्रथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राजनैतिक परम्पराओं का आदर करने की है । वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने पूर्वोपाय के रूप में दूतावास पर निगरानी करने वाले अन्तिम दल की वृद्धि कर दी है । कल शाम को घटी एक घटना से यह बात स्पष्ट हो गई कि चीनी न केवल राजनयिक परम्पराओं अपितु अधिकार प्राप्त मिशन के सदस्यों के रूप में व्यवहार के स्तर का पालन नहीं करते हैं ।

कल शाम लगभग साढ़े आठ बजे चीनी दूतावास के बाहर एक कार आई जिसको निगरानी के दौरान पुलिस द्वारा रोक लिया गया । कार में दूतावास के कार्यकारी राजदूत थे जो प्रत्यक्ष रूप से नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को जा रहे थे । आदेशानुसार ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने कार की तलाशी लेने की अनुमति माँगी । ऐसा बहुत ही नम्रतापूर्वक किया गया, परन्तु कार में बैठे लोगों ने तलाशी देने से इन्कार कर दिया । इसी तर्क-वितर्क के दौरान एक व्यक्ति ने सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस के सिपाही संख्या 17262 को चांटा मार दिया । श्री पारसनाथ ने वर्दी पहनी हुई थी और उसने भड़काने वाली कोई कार्यवाही नहीं की थी । इस समय पुलिस दल वास्तव में वहां एकत्र भीड़ से चीनी अधिकारियों की रक्षा कर रहे थे । इस दुर्घटना के पश्चात भी पुलिस अधिकारियों ने अपना नम्रतापूर्वक व्यवहार नहीं छोड़ा तथा वे भीड़ से उनकी रक्षा करते रहे । हम इस बात पर शीघ्रता से विचार कर रहे हैं कि चांटा मारने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

चीनी दूतावास के तृतीय सचिव को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया है तथा उसको 72 घंटे के अन्दर भारत से चले जाने का आदेश दिया गया है । 72 घंटे की अवधि 17 जून के मध्याहन को समाप्त होगी । इस समय-सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात सरकारी उचित कार्यवाही करने के बारे में विचार करेगी ।

श्री प्र० के० देव (कालाहाँडी) : यह हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है। यह चाटां पुलिस अधिकारी पर ही नहीं बल्कि समूचे देश पर मारा गया है। सरकार को इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए तथा चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर लेने चाहिए।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I would like to know why the chinese official was not arrested at the moment he slapped the police constable ? Whether it is a fact that police has been asked to tolerate this type of humiliations ?

Diplomatic status of the first Secretary of the Chinese Embassy has been withdrawn. Now he has become an ordinary foreign citizen. I would, therefore, like to know whether a foreigner who refuses to get himself registered in the Foreign Registered office cannot be arrested under the rules. I would also like to know whether the Embassy has got to right to give protection to a criminal ?

The hon-Minister should try to know why the Arab students went to the Chinese Embassy and remained therefor six long hours.

Lastly I want to know the action proposed to be taken by the Government to check the escape of the said Chinese diplomats. It is feared that they might have already escaped from India as the case of the Pakistan High Commission have been frequently coming to Chinese Embassy. I would, therefore, request the Government to take firm steps in this matter.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to say with regret that it appears that uptil to-day Mau-Tie-Tung was ruling over the Chinese Land only but now he has started ruling over New Delhi also.

श्री ब० सू० मूर्ति (अमलापुरम) : नहीं यह गलत है।

Shri Madhu Limaye : Then what is else ! I was thinking that you people will feel shy-(Interruption)

Shri Randhir Singh (Rohtak) This is wrong.

Shri Madhu Limaye : 'Besharam'. I think you will support me.

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उनको बेशर्म शब्द वापस लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ अनुशासन होना चाहिए। हमें अधिक शिष्ठता से कार्य करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। भाषा का प्रयोग करते समय भी हमें सावधानी से कार्य करना चाहिए। चीन के दूतावास के पास जो थोड़ासा क्षेत्र है वह भारत नहीं है।

Shri Madhu Limaye : This incident has not happened in the Embassy premises.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारी बात समझ रहा हूँ। हमें तनिक शिष्ठता तथा सावधानी से काम लेना चाहिए। सरकार इन परिस्थितियों में जो भी उचित समझेगी, कार्यवाही करेगी। यह सोचना गलत है कि सरकार भारत के सम्मान के बारे में चिन्तित नहीं है।

डा० सुशीला नायर : मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं कि क्या 'बेशर्म' शब्द पार्लियामेंटरी है :

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** ***in the Chair*** }

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा कि इस शब्द का प्रयोग किस सन्दर्भ में किया गया है। उसके बाद निर्णय दूंगा।

Shri Madhu Limaye : If an employee of the Chinese Embassy can slap our policeman on duty on our land then how can we boast of our sovereignty ? It is on account of this weakness on the part of our Government I said that Mao-Tse-Tung not only ruling over Peking but he is also ruling over New Delhi,

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : यह बहुत आपत्तिजनक है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Government does not take these incidents as serious. They have grabed thousands square miles of territory. Do Government feel that it is a minor thing ? This insult is the insult of our sovereignty. Will Government snap diplomatic relations with China ? Further I want to know whether the diplomat who has been stupped of diplomatic status has escaped from embassy premises and might be indulging in subversive activities ? These points should be clarified. I suggest that strong policy should be adopted towards China and the areas taken over by China by force should be got vacated.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There is no doubt that it is very shameful for China to have acted in that manner. It is challenge to our honour and dignity. I agree with the sentiments expressed here by hon.friends. I want to know whether it is not an offence to give a slap to our constable ? This has happend here in Delhi. This is not a minor thing. It should be taken seriously. I request that an enquiry should be held in this matter. The culprits should be brought before a court and they should be prosecuted according to the law of the land and they should be brought to book. Thereafter they should be deported from here.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : चीन ने पेकिंग में हमारे राजनयिकों को पीटा गया है अब दिल्ली में चीन का दूतावास भारत के विरुद्ध ऐसी-ऐसी चालें करने लगा है। वहां पर अरब विद्यार्थियों को भोज दिया गया है। चीन भारत के विरुद्ध कई प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है। मिजों और नागा लोगों को सहायता दे रहा है और पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। मिजो लोग पाकिस्तान जाकर चीन जाते हैं और वहां लड़ाई सम्बन्धी परीक्षण प्राप्त करते हैं, और हथियार आदि प्राप्त करके भारत लौटते और भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं। 1962 में हम देख चुके हैं कि आसाम तथा पूर्वी भारत में क्या हुआ था ? आज फिर स्थिति वैसे ही होती जा रही है। अब हमारा अपमान किया गया है। कल को कुछ भी हो सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ क्यों नहीं लेती ? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि चीन के प्रति कठोर नीति अपनाये।

अध्यक्ष महोदय : मानवीय सदस्य अपनी बात संक्षिप्त में कहें और भाषण न देने लग जायें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मन्त्री महोदय पेकिंग स्थिति सभी देशों के राजनयिकों की बैठक बुला कर वहाँ की सरकार पर दबाव डलवायेगी ? क्या राजनयिक उन्मुक्ति के अन्तर्गत एक राजनयिक ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मार सकता है ? इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : It is question of insult to entire nation, but I want to say that the marxist brethren have not Condemned this incident. This happening is matter of concern to us all. We should all concider this in that perspective and not accuse Government.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) क्या मन्त्री महोदय को इंगलैंड के एक पूर्व दृष्टान्त का पता है कि लंदन में एक बार चीनी दूतावास में डा० सनयात सेन को बन्दी बना दिया था तो उसे इङ्गलैंड के लोगों ने दूतावास में घुस कर छुड़ाया ?

श्री मु० क० चागला : महोदय मैं भी इस बात से उतना ही नाराज हूं जितने और सदस्य, परन्तु यह आरोप मत लगाइये कि मैंने कोई कार्यवाही नहीं की । हमने जो कार्यवाही की है वह आपको बताता हूँ । हमने उनके प्रथम सचिव को राजनयिक उन्मुक्ति से वंचित कर दिया है और कहा है कि विदेशी लोगों का रजिस्ट्रेशन करने वाले विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराये । हमने अपने हवाई अड्डों तथा चौकियों को कह दिया है कि यह व्यक्ति बच कर भागने न पाये । यदि वह दूतावास से बाहर जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा तथा बन्दी बनाया जायेगा ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम तुरन्त कार्यवाही चाहते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : If you cannot take action, leave him and people will themselves take action.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये । टोकिये मत । यदि आप उन्हें नहीं सुनना चाहते हो मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि उत्तर न दें । हां हम मन्त्री महोदय से इतना अवश्य कह सकते हैं कि देश की इस नाराजगी का ध्यान रखें और उचित कार्यवाही करें ।

श्री मु० क० चागला : जहां तक पुलिस के सिपाही का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त खेदजनक मामला है तथा हम इस सम्बन्ध में कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं । हमारा सभ्य लोगों का देश है । मैं आश्वासन देता हूं कि जो भी कानूनी तौर पर सम्भव होगा वह कार्यवाही की जायेगी । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत मैं यहां उनके दूतावास में नहीं घुस सकता तथा न ही वे हमारे में वहां घुस सकते हैं और सौभाग्य से घुसे भी नहीं हैं ।

श्री ए० बी० वाजपेयी (बलरामपुर) : पुलिस ने अपना कार्य क्यों नहीं किया ?

श्री मु० क० चागला : पुलिस को हिदायत दी है कि बहुत सावधानी बर्ते तथा जो भी कानूनी कार्यवाही सम्भव है वह करें। यदि हमने उन्हें पकड़ लिया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : आप तो यह कह रहे हैं कि एक वकील अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। किसी ने उसकी पत्नी का अपमान किया तो वकील साहब बोले कि कल मैं अदालत से आपके विरुद्ध कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री मु० क० चागला (वैदेशिक कार्य मन्त्री) : श्री वाजपेयी जी ने अरब विद्यार्थियों के बारे में पूछा है। हमारी सूचना के अनुसार चीनी दूतावास ने कुछ समय पूर्व एक चलचित्र दिखाने का विज्ञापन दिया था और वह विद्यार्थी उस निमन्त्रण के कारण गये थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : छः घन्टे तक वे फिल्म देखते रहे ?

श्री मु० क० चागला : हमें यह पता नहीं कि वे अन्दर क्या करते रहे। परन्तु वे गये थे निमन्त्रण पर। मैं सभा से कुछ छपाना नहीं चाहता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Delhi) : The embassies of Pakistan and certain other countries are helping China and they hobnob there. Have they been warned ?

Shri M. C. Chagla : If some Ambassadors wants to go to the China embassy how can be stop them. ?

Shri Kanwar Lal Gupta : They hobnob there.

श्री मु० क० चागला : हमें पाकिस्तान तथा चीन के सम्बन्धों का पता है। परन्तु इस व्यक्ति को पाकिस्तान द्वारा यहां से भागने नहीं दिया जायेगा। हमने अपनी सब चौकियों को सख्त निर्देश दे दिये हैं कि जहां भी यह व्यक्ति मिले इसे गिरफ्तार कर लिया जाए तथा उस पर मुकदमा चलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर किसी दलबन्दी प्रश्न नहीं है। सारा राष्ट्र इससे उत्तेजित है कि भारत में ही एक भारतीय का एक चीनी ने अपमान किया है। इसलिए यह मामला हमें सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

इस्पात पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बारे में संकल्प-जारी
RESOLUTION RE : DECONTROL OF STEEL-Contd.

श्री विरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : मैं यह पूछ रहा था कि मूल्य क्यों बढ़ गए हैं। इसका कारण है कि हिन्दुस्तान लिमिटेड को अकार्यकुशलता बनाए रखने की अनुमति है तथा इस देश को यह दिखाना कि अकार्यकुशलता संस्था होते हुए भी वह अपना घाटा मूल्य बढा कर पूरा कर रहा है।

उप-प्रधान मन्त्री ने 27 अप्रैल, 1967 को अखिल भारतीय निर्माता संस्था की वार्षिक बैठक में कहा कि व्यापारी वर्ग को अपने क्षेत्र में अधिक दाम बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए यदि इसमें अस्थाई घाटे भी हों और असुविधा भी।

परन्तु महोदय आपने स्वयं मद्रास में 14 मई को यह कहा था कि यदि इस्पात के कारखानों के लगे धन का 10वां भाग भी कृषि में लगाया जाता तो खाद्य की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती जितनी आज है।

डा० चन्ना रेड्डी ने भी मूल्यों को बढ़ने से रोकने को देश की सबसे बड़ी समस्या कहा है। परन्तु इतना कहने के पश्चात् उन्होंने इस्पात के मूल्य को बढ़ने दिया। इसका सबसे अधिक लाभ सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को हुआ है।

इसका प्रभाव क्या हुआ है ? रेलवे मन्त्री ने गरीब यात्रियों का किराया बढ़ा दिया है तथा माल ले जाने का किराया भी बढ़ा दिया है तथा मूल्य के कुचक्र को प्रोत्साहन मिला है।

इस मूल्य बढ़ने का एक परिणाम यह भी है कि भारत के गरीब लोगों पर 24 करोड़ रु० का प्रति वर्ष बोझ पड़ गया है। इसका हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड को 15 कोरड़ रु० प्रति वर्ष का लाभ हो रहा है। यह धन देता कौन है ? इस धन में 12 करोड़ रु० सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी विभाग दे रहे हैं तथा 3 करोड़ रु० सहायता के रूप में दे रहे हैं। इस प्रकार यह 15 करोड़ रु० सरकारी खजाने से प्राप्त होता है।

मैं श्री नम्बियार से सहमत नहीं हूं कि इसका उपचार विनियन्त्रण है।

इंजिनियरिंग उद्योग में इस्पात की खपत होती है। इसके लिए मन्त्री महोदय ने कहा है कि इंजिनियरिंग का सामान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेचते हैं। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस उत्पादन का कितना प्रतिशत आप निर्यात करते हैं ? इसका अधिकांश भाग तो आज भारत में ही उपयोग होता है तथा इंजिनियरिंग उद्योग में बड़ा मंदा आ गया है। मंदे को समाप्त करने के लिए मूल्यों को कम करना चाहिए परन्तु यहां उन्हें बढ़ाया जा रहा है।

उसके पश्चात् आप आवास परियोजनाओं को लीजीये। इसका प्रभाव सबसे अधिक निर्धन लोगों पर पड़ता है और इस्पात के मूल्य बढ़ने के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा जो मकान बनाये जा रहे हैं उनके मूल्य बढ़ गये हैं। इस प्रकार यह मूल्य केवल इस्पात उद्योग के ही नहीं बढ़े अपितु इसका प्रभाव देश के अन्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

जब किसी वस्तु के ढ़ेर लग जायें तो उसके मूल्य घट जाते हैं परन्तु सरकार का अपना हिसाब ही अलग है। यह वस्तुओं की अधिक मात्रा होते हुए भी भाव बढ़ाते हैं।

हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड को 1966–67 में अपना उत्पादन 70 करोड़ रु० की मात्रा में कम करना पड़ा। यह सच है कि इस सदन में मन्त्री महोदय ने कहा है कि अब मूल्य कुछ गिरावट पर हैं तथा मांग उनकी बढ़ी नहीं है और यह और कम हो रही है। मुझे पता चला है कि हिन्दुस्तान इस्पात के वित्तीय परामर्शदाता ने कहा है कि 1966–67 में वहां 70 करोड़

रु० का कम उत्पादन हुआ। बम्बई तथा कलकत्ता में तो पहले के बेचने के मूल्यों से भी मूल्य कम हैं।

श्री नम्बिनार ने कहा है कि एकाधिपत्य है, परन्तु यहां संयुक्त प्लांट समिति का न केवल एकाधिकार है बल्कि "कारटेल" है। क्योंकि इसमें निर्माताओं की यूनियन ने उत्पादन बेचने का प्रबन्ध आदि पर नियन्त्रण किया हुआ है। यह कार्य ही संयुक्त प्लांट समिति कर रही है।

माहताब समिति ने भी कहा है कि इस्पात के मूल्य कई अन्य वस्तुओं के मूल्यों से अधिक बढ़ गये हैं।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

मूल्यों को क्यों बढ़ने दिया गया ? इसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड तथा टाटा लोहा और इस्पात यह अभिवेदन किया कि लागत व्यय बढ़ गया है और मूल्य भी बढ़ने चाहियें। क्या संसार की अन्य अर्थ व्यवस्था भी इस प्रकार चल रही है ?

अभी थोड़े दिन पूर्व मन्त्री महोदय ने कहा कि हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड का लागत मूल्य कम है तथा दुर्गापुर कारखाने का मूल्य सबसे कम है। परन्तु पांडे समिति ने कहा है कि दुर्गापुर के कारखाने का प्रबन्ध सबसे खराब है। यदि दुर्गापुर के कारखाने के मूल्य सबसे कम हैं तो भिलाई तथा रूरकेला के मिलों का प्रबन्ध तो दुर्गापुर के मिल से भी खराब होना चाहिए, क्योंकि वहां इन दोनों से कम लागत व्यय आता है। इस प्रकार खराब प्रबन्ध में इन मिलों की होड़ लग रही है।

1964 में हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड अपने कर्मचारियों को टाटा लोहा इस्पात से भी कम वेतन दे रहे थे। मैं चाहता हूं कि श्री नम्बियार इस बात पर ध्यान दें।

हिन्दुस्तान इस्पात के परामर्शदाता श्री नकरा का कहना है कि 1 करोड़ रु० के उत्पादन में 40 लाख रु० का घाटा होता है।

बिलेट तथा बार्स (छड़ों) के मूल्य में क्रमशः 9 तथा 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; इससे देश के सभी भागों में लघु उद्योगों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि मूल्यों को 30 अप्रैल की दर तक घटा दिया जाये। इस्पात संयत्रों में स्पर्धा उत्पन्न करना है। इसके लिए संयुक्त संपत्र समिति को समाप्त किया जाना चाहिए।

इस्पात संपत्रों के जनरल मैनेजरों को यह बता दिया जाना चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि नहीं की जायेगी क्योंकि सभी निजी उद्योगों की तरह उनके लागत व्यय में भी वृद्धि हुई है। मन्त्री महोदय को लागत व्यय पर जोर देना चाहिए। मूल्य अधिक होने के कारण उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन बेचने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और इस प्रकार करोड़ रुपये के उत्पादन में कमी होगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस्पात संपन्नों को मूल्य वृद्धि की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि ये संपन्न उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं करते हैं। इसमें भी मुख्य अपराधी हिन्दुस्तान स्टील ही है क्योंकि उन्होंने उपभोक्ताओं को बिल्कुल भी चिन्ता नहीं की है। उनका रवैया यह है कि उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा अवश्य कम किया जाना चाहिए।

मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। इस्पात विनियन्त्रण जारी रहना चाहिए। मूल्यों को तत्काल कम किया जाना चाहिए।

Randhir Singh (Rohtak) : The Spirit of the resolution is creditable. It is a matter. of regret that our Government has failed to assess whether on controlling or decontrolling the prices take the downward trend. That is a basic thing. We must know about it.

Steel is as much essential for the farmer as food. All the instruments used by the farmers are made of Steel. I would, therefore, urge the hon-Minister to bring the prices of Steel. I am not only taking about the prices of the steel but the prices of other essential commodities shold be brought down.

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् मैं इस संकल्प को मतदान के लिए रखूंगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Artificial scarcity is created of each of every commodity in our country. In 1956 the foodgrain production in our country was about 59 million tons and about one million tons of foodgrains were imported from abroad. But according to the presents position we produce 76 million tons and about 7 million tons of foodgrains were imported from abroad. I would like to know why starvation conditions are prevailing in our country when we have produced and in ported more foodgrains. What are the reasons for Prevailing scarcity in the country ?

Similar is the case of Iron and Steel. Inspite of the fact that production of Iron and Steel has gone up, steel is scarcely available and its prices have also gone up.

I would, therefore, urge the Government to analyse the reasons of artificial scarcity of essential commodities being created by some interested parties.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर): नियंत्रण से हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। राज्य नियंत्रण की बुराइयों के बारे में सब जानते हैं। मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ है कि माननीय सदस्य नम्बियार पुनः नियंत्रण करना चाहते हैं। इसी नियंत्रण के कारण ही 'कोटा राज' आरम्भ हुआ था। तीसरी लोक सभा में बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया गया था जिनसे लोह तथा इस्पात मंत्रालय में हुए गोलमाल का पता लगा था। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद भी नियंत्रणों के ही कारण है। नियंत्रणों के फलास्वरूप ही चोरबाजारी होती है तथा कालाधन बाजार में आता और अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। यदि स्वेच्छिक विनियमन हो, जैसा कि इस्पात के मामले में है, तो इससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी उद्योग के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि लगाये धन पर सन्तोषजनक लाभ हो। इस्पात उद्योग में पूंजी विषेश सुविधाजनक हो गई है और इसी कारण विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पात का उत्पादन करने के हेतु अनेक फर्में मैदान में

आगई हैं। नियंत्रण हटाये जाने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए भी यह विकास नितान्त आवश्यक है। इन सब बातों के अतिरिक्त लाइसेंस तथा परमिट देने की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब होता है और इससे वाणिज्य तथा व्यापर की प्रगति में बाधा पड़ती है। मई, 1967 के पश्चात् इस्पात के मूल्यों में 5 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई हैं। लागत व्यय में हुई वृद्धि की तुलना को देखते हुए यह नगण्य है।

देश में मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों का अदक्षता पूर्ण कार्य करने के परिणामस्वरूप सरकारों को होने वाले हानि है। हिन्दुस्तान स्टील में लगाये गये धन के अनुसार लाभ नही हो रहा है। इस्पात के लागत व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है सयंत्रों को कुशलतापूवर्क चलाया जाये। उनको लगाये गये धन के अनुसार मुनाफा भी कमाना चाहिए। इसके साथ साथ लागत व्यय को भी कम करना नितान्त आवश्यक है, यदि आप इस्पात मूल्यों को कम करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि विनि-यन्त्रण से हमारी अर्थ व्यवस्था को पर्याप्त लाभ हुआ है।

रूस, पोलैन्ड तथा यूगोस्लाविया भी केन्द्रीयकरण से दूर हट रहे हैं और इससे उनकी अर्थव्यवस्था को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने अपने कारखानों तथा फैक्टरियों को पहले से अधिक आजादी दी है जिससे वे अधिक कुशलता से कार्य करने लगे हैं।

यदि हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और मूल्यों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए विनियंत्रण अच्छा कार्य कर सकता है।

उत्पादक शुल्क से भी मूल्यों में वृद्धि होती है इसलिए उत्पादन शुल्कों का भी कम किया जाना चाहिए।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : विनियंत्रण का सभा के सभी भागों से स्वागत किया गया है। राजसमिति की नियुक्ति से पूर्व लौह तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में विलम्ब के बारे में अनेक शिकायतें आती थी, उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को लोह तथा इस्पात संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कठि-नाई उठानी पड़ती थी। इसके दो परिणाम होते थे। एक तो यह कि वास्तविक उपभोक्ता को इस्पात नहीं मिलता था और मांग कृत्रिम थी। जहां कि हम कच्चे लोह को निर्यात करने की स्थिति में हैं वहां हमें इसका आयात करना पड़ता था। गत वर्ष हमने 2.07 लाखटन कच्चे लोहे का निर्यात किया जिससे पांच करोड़ रुपये की कमाई हुई।

राज समिति, जो कि अर्थशास्त्रियों पर आधारित थी, ने सिफरिश की थी कि लोहा तथा इस्पात से धीरे धीरे नियंत्रण हटा दिया जाये। उन्होंने संयुक्त संयंत्र समिति बनाने की भी सिफारिश की थी। राज समिति के प्रतिवेदन की सावधानी से जांच करने के बाद मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस समिति की अधिकाँश सिफारिशों को लागू कर दिया जाये। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त संयंत्र समिति तथा प्राथमिकता समिति की स्थापना की गई और रीरोलिंग उद्योग के सभी उत्पादों से नियंत्रण हटा दिया गया। इससे बहुत अच्छा प्रभाव बना।

दूसरी अवस्था में हमने बिलेट, कच्चा लोहा तथा मोटी चादरों से नियंत्रण हटा दिया। इसके पश्चात वर्तमान उपाध्यक्ष श्री खांडिलका की अध्यक्षता में नियंत्रण तथा विनियंत्रण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने शेष किस्म के लोहे तथा इस्पात से भी धीरे धीरे नियंत्रण हटाने की सिफारिश की। इसके प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेगे कि इस समिति की सिफारिशों पर और आगे विचार किया जाना चाहिए और हमें शेष किस्म के लोह तथा इस्पात से भी नियंत्रण हटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

1-3-1964 से उत्पादन शुल्क तथा भाड़े में हुई वृद्धि को मूल्य में जोड़ने के अतिरिक्त इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धिकी तुलना में भी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि नगण्य है। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि गैलवेनाइजड शीट के मूल्य में 29 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि काफी अधिक है, जिंक के मूल्यों में वृद्धि हो जान के कारण 120 रु० की वृद्धि हुई है। स्थिति इस प्रकार है कि यद्यपि नालीदार चादरों का भाव रुपये 1200 प्रतिटन था तथापि वे बाजार में 2200-2500 रुपये प्रतिटन के भाव पर भी किसी को उपलब्ध नहीं है। इस मूल्य पर बेंचने से उत्पादनकर्ता को पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा था। जिस कारण नालीदार चादरों के उत्पादन में पर्याप्त कमी हो गई। जो थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ वह प्रतिरक्षा सेवा में चला गया, जिस कारण किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। अब इस मूल्य वृद्धि के पश्चात नालीदार चादरों के उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे आशा है कि चोर बाजार में बताये जाने वाले मूल्यों में कमी होगी।

संयुक्त संयंत्र समिति कोई उत्पादन संघ नहीं हैं। इसमें हिन्दुस्तान स्टील के तीन प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के दो तथा एक प्रतिनिधि रेलवे बोर्ड का होता है। इसके अध्यक्ष लोहा तथा इस्पात नियंत्रक होते हैं। श्री शाह ने उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि लिये जाने के बारे में सुझाव दिया है, उसपर विचार किया जायेगा। यथा सम्भव सुधार का प्रयत्न किया जावेगा। इस समिति के अलावा एक प्राथमिकता समिति होती है जो अनेक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर ध्यान रखती है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों ने देश के इस्पात उद्योग में पर्याप्त सहायता दी है

जहांतक निर्यात का सम्बन्ध हैं हम यथासम्भव निर्यात करने का प्रयत्न करेंगे। यह सच है कि गत वर्ष रीरोलिंग उद्योग ने 7,61,00,000 रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया हैं, सरकार इस उद्योग को 1.5 करोड़ रुपये की राजसहायता दी हैं। इस वर्ष भी उनका अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस पर हम विचार कर रहे हैं तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि निर्यात उद्योग को कोई कठिनाई न उठानी पड़े तथा प्राथमिकता इस्पात और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात जारी रहे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि विनियंत्रण लाभधारी सिद्ध होगा। इसलिए मैं श्री नम्बियार से निवेदन करूंगा कि वह संकल्प को वापस ले लें।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मेरा उद्देश्य नियंत्रण लगाने का नहीं है, बल्कि इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना है कि इस्पात में मूल्य वृद्धि बहुत हानिकारक है। महताब समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्पात के मूल्यों को स्थिर रखने से ही मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। इसलिए इस्पात के मूल्यों के बढ़ने से ही मुद्रास्फीति बढ़ती है और देश की आर्थिक स्थिति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु सरकार ने इसी क्षेत्र में विनियंत्रण के पश्चात मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि की अनुमति दे दी है, श्री शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लागत में कमी की गुंजायश है और इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने बताया है कि हाल ही में इस्पात के मूल्यों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यह गलत है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा इस्पात में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है, हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए यह बहुत हानिकारक है, यदि यह खरीद की मार्केट होती तो मूल्य अवश्य गिरते।

यह उचित समय हैं जबकि इस्पात के मूल्यों को कम करके मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि सरकार का एकाधिकार है। इसलिए इस्पात के मूल्यों को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मैं नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूँ, परन्तु विनियंत्रण के नाम पर उत्पादकों को मनमानी करने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर मतदान लिया जाये।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने यह कहा था कि भाड़े तथा उत्पादन शुल्क की वृद्धि को मूल्य में जोड़ने के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई।

लोहा तथा इस्पात के कर्मचारियों का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं और उनको वैकल्पिक काम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय इस पर पुनः विचार कर संकल्प को वापिस ले लेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा सरकार द्वारा इस्पात से नियंत्रण हटाये जाने का जिसके फलस्वरूप इस्पात का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

खाद्यान की वसूली की योजना के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : SCHEME FOR PROCUREMENT OF FOOD GRAINS

श्री भगवान दास (ओसग्राम) : मैं निम्नलिखित संकल्प पुरः स्थापित करता हूँ "कि इस सभा की राय है कि देश के कुछ भागों में दुलर्भता की स्थिति का प्रभाव कम करने के

लिए सरकार को अनाज के बड़े उत्पादकों से सारे फालतू अनाज का अनिवार्य रूप से समाहार करने और देश भर में उसका समान वितरण करने के लिए तुरन्त एक योजना बनानी चाहिए।"

8 से 11 अप्रैल, 1967 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्र के खाद्य तथा कृषि मंत्री ने एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने का वचन दिया था। परन्तु सभा में बार बार पूछे जाने पर भी इस बजट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

यह आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में फालतू अनाज वाले राज्यों के साथ ही कमी वाले राज्य हैं। यही कारण है कि साथ साथ वाले विभिन्न राज्यों में एक ही वस्तुओं के मूल्य भी अलग अलग हैं। जहां पंजाब तथा हरियाना में गेहूँ 80 रुपये क्विटंल है, वहां उत्तर प्रदेश में इसका भाव 140 से 150 रुपये क्विटल है।

श्री अमृत शहारा (बाडमेर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस संकल्प के पश्वात एक अन्य संकल्प के लिए दो घंटे का समय रखा गया था। यदि उस संकल्प को आज प्रस्तुत नहीं किया जाता तो क्या उसके लिए अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये,

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा अब नहीं किया जा सकता। सभा सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 19 जून, 1967/ज्येष्ठ 29, 1889 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, June 19, 1967/ Jyaistha, 29, 1889 (Saka).